भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2006-07

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली

केन्द्रीय जल आयोग
भारत–भूमि एवं जल संसाधन : तथ्य

• भौगोलिक क्षेत्र एवं अवस्थिति	329 मिलियन हैक्टेयर 8''–4' अक्षांतर एवं 37''–6' उत्तर देशांतर 68''–7' रेखांश एवं 97''–25' पूर्व
• जनसंख्या 2006 (2001 की जनगणना के अनुसार (अनुमानित)	1128.52 मिलियन
• **वर्षा परिवर्तन**	**पश्चिमी क्षेत्रों में 100 मिलीमीटर से** पूर्वी क्षेत्र में 11000 मिलीमीटर तक
• वृहत् नदी बेसिन (आवाह क्षेत्र 20000 वर्ग किलोमीटर से अधिक)	253 मि. हैक्टेयर वाले 12 आवाह क्षेत्र
• मध्यम नदी बेसिन (आवाह क्षेत्र 2000 और 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच)	25 मिलियन हैक्टेयर वाले 46 आवाह क्षेत्र
• महत्वपूर्ण नदियों की कुल नौगम्य लम्बाई	14464 किलोमीटर

<u>जल संसाधन</u>

• औसत वार्षिक वर्षा ¼2001–2005½	3693.6 वि. घन मीटर
• माध्य वार्षिक प्राकृतिक अपवाह	1869 वि. घन मीटर
• अनुमानित उपयोगी सतही जल क्षमता	690 वि. घन मीटर
• कुल पुनःपूर्ति योग्य भू–जल संसाधन	433 वि. घन मीटर
• सिंचाई के लिए उपलब्ध भू–जल संसाधन	369.6 घन मीटर
• घरेलू औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए उपलब्ध भू–जल क्षमता	71 वि. घन मीटर (लगभग)

• चरम सिंचाई क्षमता	140 मि. हैक्टेयर
• सतही जल से सिंचाई क्षमता	76 मि. हैक्टेयर
• भूजल से सिंचाई क्षमता	64 मि. हैक्टेयर
• पूर्ण की गई वृहद तथा मध्यम परियोजनाओं के कारण उपलब्ध भंडारण (10 मि. घन मीटर से कम सक्रिय क्षमता सहित)	213 वि. घन मीटर
• निर्माणाधीन / विचाराधीन परियोजनाओं के फलस्वरूप उपलब्ध अनुमानित अतिरिक्त संभावित सक्रिय भंडारण	184 वि. घन मीटर

<u>भू–संसाधन (2000–01)</u>

• कुल कृष्य भूमि	183.5 मि. हैक्टेयर
• सकल बुवाई क्षेत्र	190.6 मि. हैक्टेयर
• निवल बुवाई क्षेत्र	140.9 मि. हैक्टेयर
• सकल सिंचित क्षेत्र	768.6 बि. हैक्टेयर
• निवल सिंचित क्षेत्र	55.1 बि. हैक्टेयर

<u>जल–विद्युत</u>

• अन्तिम जल विद्युत क्षमता (अनुमानित)	148701 मेगावाट
• 1 अप्रैल, 2003 तक विकसित क्षमता	30873 मेगावाट

अध्यक्ष की ओर से

केन्द्रीय जल आयोग कि वर्ष 2006–2007 की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष है। इस रिपोर्ट में केन्द्रीय जल आयोग के कार्यों और कार्यकलापों की पूरी जानकारी दी गई है जिसमें जल संसाधन के विकास और प्रबंधन में किए गए योगदान को दर्शाया गया है।

केन्द्रीय जल आयोग ने जल क्षे के विकास हेतु आवश्यक नेतृत्व और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई तथा वर्ष 2006–2007 में सभी तकनीकी और नीतिगत मामलों पर जल संसाधन मंत्रालय को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने विभिन्न समितियों की अध्यक्षता की तथा विभिन्न मामलों में काफी योगदान दिया। केन्द्रीय जल आयोग ने सिन्धु जल संधि प्रावधानों के अन्तगर्त मामलों के संबंध में सिन्धु बेसिन की बगलियार और अन्य परियोजनाओं के बारे में मंत्रालय को तकनीकी सहायता उपलब्ध कारायी। वृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और अन्य जल संसाधन विकास स्कीमों के मूल्यांकन के नियमित कार्यकलापों, वृहत् मध्यम और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण, परियोजनाओं का प्रबंधन, परियोजनाओं से संबद्ध पर्यावरणीय मामलों, जलीय संरचनाओं के अभिकल्प, जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण और अध्ययन तथा बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं को वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक किया गया। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय जल आयोग की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न प्रकार है :–

परामर्शी और सलाहकार सेवाएं :

- भारत तथा पड़ौसी देशों में 125 जल संसाधन विकास परियोजनाओं के संबंध में अभिकल्प परामर्श ।

जल संसाधन परियोजनाओं का प्रबोधन और मूल्यांकन :

- जल संसाधन विकास परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन तथा बहु–उद्देश्यीय सिंचाई/बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की स्वीकृति ।
- 73 वृहत्, 33 मध्यम और 9 विस्तार/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं का प्रबोधन तथा 133 परियोजनाओं का कमान क्षेत्र विकास कार्य।
- अखिल भारतीय त्वरित कार्यक्रम के अंतर्गत 1884.221 करोड़ रूपये के केन्द्रीय अनुदान की नियुक्ति हेतु प्रस्तावों की जांच।
- जल निकायों के नवीकरण, पुनःस्थापन और पुनरूत्थान हेतु स्कीम के अंतगर्त प्रस्तावों की जांच।

बाढ़ प्रबंध :

- विशेषकर असम, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, जिन्हें भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा, में प्रभावी बाढ़ प्रबंधन की सहायता के लिए 2006 की मानसून अवधि के दौरान 6655 बाढ़ पूर्वानुमान (95.72 प्रतिशत यथार्थता के साथ) को समय पर जारी करना ।
- बाढ़ नियंत्रण हेतु बाढ़ प्रबंधन/मास्टर योजना की 98 स्कीमों का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन।

(बलजीत सिंह आहूजा)
अध्यक्ष
केन्द्रीय जल आयोग

विषय–वस्तु

अध्यक्ष की ओर से
वर्ष की मुख्य–मुख्य उपलब्धियां

अध्याय–I	प्रस्तावना	पृष्ठ संख्या
अध्याय–II	जल संसाधन विकास	
अध्याय–III	नदी प्रबंधन	
अध्याय–IV	बेसिन आयोजन	
अध्याय–V	अभिकल्प एवं परामर्श	
अध्याय–VI	जल प्रबंधन, जलाशय अवसादन और परियोजना के बाद मूल्यांकन	
अध्याय–VII	परियोजनाओं का मूल्यांकन	
अध्याय–VIII	परियोजनाओं का प्रबोधन	
अध्याय–IX	निर्माण उपकरण आयोजन और प्रबंधन	
अध्याय–X	अन्तर राज्यीय मामले	
अध्याय–XI	जल संसाधन परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रबंधन	
अध्याय–XII	विदेशी सहायता	
अध्याय–XIII	पड़ौसी देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	
अध्याय–XIV	कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	
अध्याय–XV	प्रशिक्षण	
अध्याय–XVI	सतर्कता	
अध्याय–XVII	विभिन्न समितियों में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व	
अध्याय–XVIII	प्रचार एवं प्रकाशन	

वर्ष 2006–2007 की उपलब्धियां

अभिकल्प :

- केन्द्रीय जल आयोग के अभिकल्प एकक ने 125 जल संसाधन विकास परियोजनाओं के लिए जलीय संरचना की विभिन्न किस्मों का विस्तृत अभिकल्प तथा आरेखण किया ।
- उपलब्ध तकनीकी साफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षमताओं का संवर्धन तथा प्रशिक्षण के माध्यम से केन्द्रीय जल आयोग के इंजीनियरों की अभिकल्प संबंधी क्षमताओं में वृद्धि करने का कार्य किया गया ।
- सी–डेक द्वारा केन्द्रीय जल आयोग का पोर्टल "संगम" कार्य पूरा किया गया । पोर्टल को प्रचालनात्मक बनाया गया और एचटीपीपी://सीडब्ल्यूसी.जीओवी.आईएन (htpp://cwc.gov.in) में डाला गया ।

नदी प्रबंधन :

- देश में फैले 878 स्थलों पर जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण किये गये ।
- 9 प्रमुख नदी बेसिनों में फैले 175 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों (28 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्थलों सहित) को चालू किया गया । बाढ़ मौसम 2006 के दौरान 6655 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किये गये जिसमें से 6370 ¼95.7 प्रतिशत½ परिशुद्धता की निर्धारित सीमाओं के भीतर थे । बाढ़ मौसम के दौरान दैनिक बाढ़ बुलेटिन तथा साप्ताहिक बाढ़ समाचार पत्र जारी किये गये ।
- भूटान में 35 जल मौसम–विज्ञानीय स्थलों के रख–रखाव के लिए भूटान शाही सरकार को सहायता उपलब्ध करायी गई ।
- उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र में 13 ¼भारत में 11 और नेपाल में 2½ जल विद्युत परियोजनाएं अन्वेषणाधीन थीं।
- मिजोरम में 57 लघु सिंचाई योजनाएं अन्वेषणाधीन थीं । 44 योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है तथा शेष 13 योजनाओं के संबंध में अन्वेषण कार्य/रिपोर्ट तैयार करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है ।
- फरवरी, 2007 तक वर्ष 2006–07 के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए 98 बाढ़ प्रबंधन योजनाओं/मास्टर योजनाओं की जांच/मूल्यांकन किया गया।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना ¼2007–12½ के लिए जल संसाधनों संबंधी कार्यकारी दल के भाग के रूप में दसवी योजना के दौरान बाढ़ क्षेत्र के भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन की समीक्षा करने तथा 11वीं योजना हेतु नीति और योजना के आकार संबंधी सुझाव देने के लिए सदस्य ¼नदी प्रबंध½ की अध्यक्षता में बाढ़ प्रबंधन संबंधी एक उप–दल का गठन किया गया था।

मानव संसाधन प्रबंध :

- देश के भीतर 167 सेवारत अधिकारियों को अन्य संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण, सेमिनार/कार्यशाला आदि में मार्गदर्शन लेने के लिए भेजा गया तथा 27 सेवारत अधिकारियों ने विदेश में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। राष्ट्रीय जल अकादमी पुणे ने केन्द्रीय/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 882 अधिकारियों के लिए 34 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 2 कार्यशालाएं आयोजित की गई।

अध्याय–1
प्रस्तावना

1.1 केन्द्रीय जल आयोग का इतिहास

केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन विकास के क्षेत्र में देश का एक शीर्षस्थ संगठन है, जो कि श्रम विभाग के संकल्प सं. डी. डब्ल्यू. 101(2), दिनांक 5 अप्रैल, 1945 के तहत ''केन्द्रीय जल मार्ग, सिंचाई एवं नौवहन आयोग'' के नाम से अस्तित्व में आया। वर्ष 1951 से इसे ''केन्द्रीय विद्युत आयोग'' में शामिल कर दिया गया और पुनः इसका नाम ''केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग'' (के.ज. एवं वि.आ.) रखा गया । कृषि और सिंचाई मंत्रालय में आए परिवर्तनों के पश्चात् केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग के जल स्कंध को वर्ष 1974 में ''केन्द्रीय जल आयोग'' का नाम दिया गया, जो अभी भी बना हुआ है । इस समय केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है और यह इसका प्रमुख तकनीकी अंग है। इसका प्रबंधन केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा संवर्ग द्वारा किया जाता है, जो जल संसाधन मंत्रालय की एकमात्र संगठित सेवा है।

1.2 संगठन

केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान एक अध्यक्ष हैं, जो कि भारत सरकार के पदेन सचिव स्तर के अधिकारी हैं । केन्द्रीय जल आयोग का कार्य तीन स्कंधों, अर्थात् अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध, जल आयोजना एवं परियोजना स्कंध तथा नदी प्रबंधन स्कंध में बंटा हुआ है। इनसे सम्बद्ध कार्य संबंधित स्कंधों के अधीन हैं और प्रत्येक स्कंध के एक पूर्णकालिक सदस्य, जो कि भारत सरकार के पदेन अपर सचिव स्तर के अधिकारी हैं, के अधीन रखा गया है। प्रत्येक स्कंध, जिसमें अनेक संगठन शामिल हैं, उसे सौंपे गये कार्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों और कर्तव्यों के निपटान करने के लिए उत्तरदायी हैं । इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने में विभिन्न अधीशासी अभियंता, सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी अभियंता तथा अन्य अभियांत्रिकी तथा गैर–अभियांत्रिकी अधिकारियों व सहायक स्टाफ द्वारा सदस्य को सहायता प्रदान की जाती हैं। इसमें अलग से एक मानव संसाधन प्रबंध एकक है, जिसके प्रधान मुख्य अभियंता है, जो केन्द्रीय जल आयोग के मानव संसाधन प्रबंध/विकास, वित्तीय प्रबंधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक मामलों से संबंधित कार्यों को देखते हैं । इसके अतिरिक्त केन्द्र तथा राज्यों में सेवारत इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए पुणे में राष्ट्रीय जल अकादमी कार्य कर रही है, जो सीधे अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करती है । अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं:–

<u>अध्यक्ष</u>

संगठन का प्रधान–देश के सतही जल संसाधनों के समग्र आयोजना एवं विकास से सम्बद्ध विभिन्न कार्यकलापों की देख–रेख और कुल मिलाकर आयोग के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है ।

<u>सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना)</u>

यह स्कंध राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार बेसिन–वार सतही जल क्षेत्रों की समग्र आयोजना एवं विकास तथा जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय संदर्शी योजना, जल संसाधन परियोजनाओं के तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन तथा परियोजनाओं के निरूपण एवं कार्यान्वयन में राज्यों को सहायता देने, लक्षित लाभों को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए चुनिंदा परियोजनाओं का प्रबोधन करने, अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए परियोजनाओं को तैयार करने, पर्यावरणीय पहलुओं, परियोजनाओं के लिए निर्माण तथा मशीनरी से संबंधित मदों तथा जल संसाधन आदि में दूरस्थ संवेदी तकनीकी के प्रयोग आदि के लिए उत्तरदायी हैं ।

<u>सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान)</u>

यह स्कंध देश की नदी घाटी परियोजनाओं की आयोजना, व्यवहार्यता अध्ययन, मानकीकरण तथा अभिकल्प आदि में मार्ग–दर्षन करने तथा सहायता उपलब्ध कराने और वृहद एवं मध्यम बांधों की सुरक्षा

संबंधी पहलुओं, परियोजनाओं का जल विज्ञानीय अध्ययन, अनुसंधान कार्यकलापों का समन्वय, आदि जैसे कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी है।

<u>सदस्य (नदी प्रबंधन)</u>

यह स्कंध नदी आकृति विज्ञान, बाढ़ प्रबंध, बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की तकनीकी आर्थिक जांच और उसकी स्वीकृति, निकासी, कटाव रोधी उपाय से संबंधित तकनीकी मामलों का मार्गदर्शन करने, जल विज्ञानीय तथा जल मौसम विज्ञानीय आंकड़ों का संग्रहण, सभी प्रमुख बाढ़ प्रवण नदियों के बाढ़ पूर्वानुमान का निरूपण और चुनिंदा महत्वपूर्ण जलाशयों का अंतर्वाह पूर्वानुमान, कमान क्षेत्र विकास आदि को ध्यान में रखते हुए वृहत् एवं मध्यम परियोजनाओं का प्रबोधन कराने के लिए उत्तरदायी है ।

वर्ष 2006–2007 के दौरान अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों के पदों की पदधारिता निम्न प्रकार है :–

1 अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	श्री आर. जेयसीलन ¼01.04.2006 से 30.11.2006½ श्री एस.के. दास ¼01.12.2006 से 31.03.2007)
2 सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान)	श्री एस.के. दास ¼01.04.2006 से 30.11.2006) श्री ए.बी. पाल* ¼01.12.2006 से 28.02.2007) श्री बी.एस. आहूजा** ¼01.03.2007 से 31.03.2007)
3. सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना)	श्री बी.एस. आहूजा ¼01.04.2006 से 31.03.2007)
4. सदस्य (नदी प्रबंध)	श्री एस.के. अग्रवाल ¼01.04.2006 से 31.01.2007) श्री बी.पी. सिंह* ¼01.02.2007 से 28.02.2007) श्री ए.बी. पाल ¼01.03.2007 से 31.03.2007)

1.3 प्रमुख कार्य

केन्द्रीय जल आयोग सामान्यतः बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य के लिए सबंधित राज्य में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए स्कीमों के बारे में संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श करके इन्हें प्रारंभ करने, समन्वय करने और विकसित करने के सामान्य उत्तरदायित्व को निभाता है । आयोग, आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार की किसी भी स्कीम का निर्माण तथा निष्पादन कार्य भी कर सकता है ।

उपर्युक्त उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :–

- आवश्यकतानुसार आवश्यक सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करना, विद्युत उत्पादन के संबंध में नदी घाटी के विकास के लिए अभिकल्प एवं योजनाएं तैयार करना, गुरूत्व प्रवाह अथवा लिफ्ट द्वारा सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रबंध, पुनर्वास एवं पुनः स्थापना, मृदा संरक्षण, जल मग्नता रोधी उपाय, क्षारीय और लवणीय मृदा का सुधार, जल निकास तथा पेयजल आपूर्ति करना ।
- भारत सरकार अथवा संबधित राज्य सरकार की ओर से किसी भी नदी घाटी विकास योजना का निर्माण कार्य शुरू करना ।
- जब भी आवश्यकता हो, किसी विशेष क्षेत्रों तथा इलाकों के लिए नदी घाटी तथा विद्युत विकास योजनाओं के अन्वेषण, सर्वेक्षण तथा तैयारी में राज्य सरकारों (गठित किए गए आयोगों, निगमों अथवा निकायों) को सलाह तथा सहायता देना ।

- जल संसाधन विकास के संबंध में भारत सरकार को सलाह देना, विभिन्न राज्यों के बीच अधिकारों तथा विवादों, जो जल के संरक्षण एवं उपयोग संबंधी किसी योजना को प्रभावित कर सकते हैं और नदी घाटी विकास से संबंधित अन्य कोई मामला हो उसे आयोग को भेजा जा सकता है ।
- जल संसाधनों के बेसिन–वार विकास के संबंध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को सलाह देना ।
- अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित सभी मामलों के बारे में भारत सरकार को सलाह देना।
- जल मार्गों, ज्वारीय नदियां, वर्षा, अपवाह तथा तापमान, भू–जल संसाधनों, जलाशयों की गाद, द्रवचालित संरचनाओं का व्यवहार, पर्यावरणीय पहलुओं आदि के बारे में, आंकड़े इकट्ठा करना, संग्रहण में समन्वय करना, प्रकाशित करना तथा इनका विश्लेषण करना और इन मामलों के बारे में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करना ।
- समूचे भारत में जल की गुणवत्ता सहित जल संसाधनों तथा इनके उपयोग से संबधित सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्रित करना, रख–रखाव करना तथा प्रकाशित करना और जल संसाधनों के संबंध में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करना ।
- नदी घाटी विकास के सभी पहलुओं के संबंध में भारत तथा विदेश में भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण से संबंधित स्कीमें प्रारंभ करना तथा उसकी व्यवस्था करना।
- सिंचाई परियोजनाओं के उपस्करों, पर्यवेक्षण तथा रिकार्ड की पद्धतियों, सामग्री और निर्माण, अभिकल्प और प्रचालन को मानकीकृत करना ।
- सिंचाई के निरन्तर विकास के लिए सिंचाई परियोजनाओं के सामाजिक–कृषि–आर्थिक तथा पारिस्थितिकी संबंधी पहलुओं के संबंध में अध्ययन करना ।
- बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई, नौवहन, जल–विद्युत विकास आदि जैसी नदी घाटी विकास स्कीमों के विभिन्न पहलुओं तथा सम्बद्ध संरचनाओं और अभिकल्प विशेषताओं पर अनुसंधान कार्य करना तथा समन्वय करना ।
- जल संसाधन विकास के लिए दूरस्थ संवेदन सेटेलाइट तकनीक तथा नदी पूर्वानुमान एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास जैसी आधुनिक आंकड़ा संग्रहण तकनीकों को बढ़ावा देना।
- विद्यमान और भावी बांध–सुरक्षा पहलुओं का अध्ययन करना तथा बांध सुरक्षा उपायों के लिए उपस्करों को मानकीकृत करना।
- नदी रूख का दृष्टांकन करने के लिए तटीय अपरदन/तटीय क्षरण समस्याओं को देखने के लिए आकारकीय अध्ययन शुरू करना तथा ऐसे सभी मामलों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देना।
- परीक्षण एवं अनुसंधान करना तथा जल संसाधनों के किफायती एवं इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी ही अन्य गतिविधियां आयोजित करना।
- जल संसाधनों के उपयोग तथा संरक्षण के क्षेत्र में और देश में हुई प्रगति तथा उपलब्धियों के बारे में प्रोत्साहन एवं जन–जागरूकता पैदा करना।

1.4 मुख्यालय

इस समय केन्द्रीय जल आयोग (मु.), में मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में 18 संगठन हैं जिसमें 9 संगठन जल आयोजना एवं परियोजना के अंतर्गत है, 6 संगठन अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध के अन्तर्गत है तथा 2 संगठन नदी प्रबंध स्कंध के अन्तर्गत हैं। इसके अलावा मुख्यालय में मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) की

अध्यक्षता में मानव संसाधन प्रबंध एकक भी है। संगठनों का ब्यौरा अनुबंध–I में ओरगानोग्राफ में दिया गया है।

1.5 क्षेत्रीय कार्यालय

जल संसाधन क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने तथा राज्य सरकार के विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से केन्द्रीय जल आयोग ने क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है । मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं । ये कार्यालय बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, दिल्ली, गांधीनगर, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर, पटना, शिलांग, सिलीगुड़ी में स्थित हैं ।

1.6 कार्मिक प्रबंधन

1 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों की संख्या 4074 है, जब कि स्वीकृत पद 5213 हैं । मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत तथा भरे हुए पदों का ब्यौरा सारणी 1.1 में दिया गया है। विभिन्न वर्गों में स्वीकृत तथा भरे हुए पदों का सारांष तालिका 1.2 में दिया गया है ।

तालिका 1.1
कर्मचारियों की संख्या

वर्ग	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या
मुख्यालय	1995}	4074
क्षेत्रीय कार्यालयों	3218}	
कुल	5213	4074

तालिका 1.2
स्वीकृत तथा भरे हुए पदों का समूह–वार ब्यौरा

क्रम संख्या	वर्ग	स्वीकृत	भरे हुए
1.	समूह क	710	551
2.	समूह ख	480	408
	समूह ख (अराजपत्रित)	558	423
3.	समूह ग	2448	1865
4.	समूह घ	1017	830
	कुल	5213	4074

1.7 प्लॉन स्कीम तथा वार्षिक बजट

1.7.1 प्लॉन स्कीम

केन्द्रीय जल आयोग में वर्ष के दौरान प्रचालनाधीन प्लॉन स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

(करोड़ रूपए)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	दसवीं योजना का परिव्यय	2006–07			मार्च, 2007 तक दसवीं योजना के दौरान कुल व्यय	मुख्य उद्देष्य
			बजट प्राक्कलन	वित्तीय प्राक्कलन	वास्तविक व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राष्ट्रीय जल अकादमी	10.00	1.77	1.79	1.64	6.59	केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए प्रषिक्षण पाठ्यक्रम चल रहा है ।
2.	हिम जल विज्ञान अध्ययन	2.00	0.54	0.45	0.39	1.65	हिम अपवाह आंकड़ों का संग्रहण तथा हिम अपवाह माडल तैयार करना ।
3.	भारत की नदियों में जल गुणवत्ता का प्रबोधन	7.50	1.4	073	0.51	3.99	376 जल पर्यवेक्षण केन्द्रों से जल संसाधन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में जल मौसम विज्ञानीय आंकड़ों का संग्रहण
4.	भूटान से निकलने वाली नदियों संबंधी जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण	1.50	0.06	0.06	0.12	1.57	भूटान के माध्यम से भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों हेतु जल विज्ञानीय आंकड़ों का संग्रहण तथा वास्तविक समय आंकड़ों का

							संचरण ।
5.	प्रबोधन संगठनों का सुदृढ़ीकरण	19.00	3.94	3.50	3.30	15.73	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम / गैर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वृहत / मध्यम / विस्तार नवीकरण, आधुनिकीकरण सिंचाई स्कीमों का प्रबोधन एवं मूल्यांकन तथा जल निकायों का नवीकरण।
6.	सिन्धु बेसिन में किरथई एवं अन्य परियोजनाएं	7.00	1.98	1.15	1.07	5ण्81	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी।
7.	गंगा तथा सिन्धु को छोड़कर मुख्य जल विज्ञानीय केन्द्रों की स्थापना / रख–रखाव	40.00		9.28	8.74	40.44	111 प्रमुख जल विज्ञानीय स्थलों को चलाना तथा रख–रखाव तथा गंगा व सिंधु को छोड़कर अन्य नदियों में जल मौसम विज्ञानीय आंकड़ों का संग्रहण ।
8.	उत्तर पूर्वी राज्यों में जल संसाधन विकास हेतु अन्वेषण	5.28	0.44	0.51	0.47	5.94	मिजोरम में 57 लघु सिंचाई स्कीमों का सर्वेक्षण तथा अन्वेषण और अरूणाचल प्रदेष

							में 14 जल विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण ।
9.	तीस्ता जल विद्युत परियोजना रंगिट, एच.ई. परियोजना चरण–2 एवं 4 तथा मानस तीस्ता संपर्क का अन्वेषण	9.00	3.47	2.17	1.89	11.00	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की तैयारी।
10.	भारत तथा नेपाल की सांझी नदियों के संबंध में बाढ़ पूर्वानुमान	3.00	0.12	0.00	0.00	0.12	नेपाल में 37 जी एण्ड डी तथा मौसम विज्ञानीय स्थलों का आर. एंड एम.
11.	ब्रहमपुत्र और बराक बेसिन में एच.ओ.तथा एफ. एफ. नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण	14.00	3.66	3.20	2.28	13.55	ब्रहमपुत्र और बराक बेसिन में 39 एच.ओ. व एफ.एफ. स्थलों का आर.एण्ड एम.
12.	जल विज्ञान परियोजना चरण– I एवं II	15.13	2.89	0.15	0.04	14.33	जल विज्ञान परियोजना चरण– II को जनवरी, 2006 से संस्वीकृत किया गया ।
13.	अंतर्वाह पूर्वानुमान सहित एफ.एफ. नेटवर्क की स्थापना एवं आधुनिकीकरण	51.00	16.65	13.30	11.95	29.87	दूरमापी प्रणालियों आदि की संस्थापना करके 172 एफ.एफ. स्थलों का आधुनिकीकरण
14.	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय	25.00	2.89	4.4	0.00	18.86	के.ज.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आवासीय /गैर आवासीय भवनों का निर्माण
15.	पंचेष्वर बहुउद्देष्यीय परियोजना	15.00	2.13	1.66	1.51	11.02	पंचेष्वर बहुउद्देयीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

							की तैयारी. 31 जल विज्ञानीय तथा मौसम विज्ञानीय स्थलों का आर.एण्ड एम.
16.	कोसी उच्च बांध का सर्वेक्षण और अन्वेषण	30.00	13.90	6.39	5.17	12.45	विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का सर्वेक्षण व अन्वेषण तथा तैयारी । संयुक्त परियोजना कार्यालय 17.8. 2004 को खोला गया ।
17.	बांध सुरक्षा और पुनर्वास के बारे में के.ज.आ. में सुविधाओं तथा कौषल का उन्नयन	8.00	2.26	1.04	0.76	2.23	बांध भंग माडलिंग तथा आपातकाल कार्य योजना संबंधी दो यूनिटों की स्थापना ।
18.	कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण	8.00	2.10	1.01	0.75	6.68	के.ज.आ. के नेटवर्किंग, प्रकाषन यूनिट तथा पुस्तकालय का उन्नयन, हार्डवेयर व साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति तथा रख–रखाव ।
19.	जल विद्युत अभिकल्प पम्पयुक्त भण्डारण तथा यंत्रीकरण हेतु विषेषीकृत यूनिटों की स्थापना करना	3.00	0.90	0.17	0.18	0.94	यंत्रीकरण म्यूजियम की स्थापना तथा विषेषीकृत विषयों में कार्मिकों को प्रषिक्षण देना ।
20.	जलाषय अवसादन तथा अन्य दूरस्थ संवेदी अनुप्रयोग संबंधी अध्ययन	14.00	2.44	2.07	1.96	8.36	जलाषय अवसादन, नदी आकृति विज्ञान, दूरस्थ संवेदी तकनीकों का उपयोग करके

							समूचे भारत में सिंचित कमान क्षेत्रों में जलमग्न और लवणता और अथवा क्षारीयता प्रभावित क्षेत्रों का मूल्यांकन। –जल राषि तकनीकों का उपयोग करके जलाषय अवसादन अध्ययन। –6 नदियों का आकृति विज्ञान अध्ययन।

1.7.2 वार्षिक बजट

वर्ष 2006–2007 के लिए केन्द्रीय जल आयोग का योजना तथा गैर–योजना बजट परिव्यय तथा व्यय तालिका 1.3 में दी गई है।

तालिका 1.3

स्कीमों के अंतर्गत योजना तथा गैर–योजना परिव्यय तथा व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	योजना		गैर–योजना	
1	2	3	4	5	6
1.	निर्देशन तथा प्रशासन	–	–	11.46	13.16
2.	परामर्शी	–	–	13.77	14.82
3.	अनुसंधान	–	–	1.03	0.97
4.	प्रशिक्षण	1.77	1.64	0.53	0.46
5.	आंकड़ों का संग्रहण	10.07	8.74	40.35	43.32
6.	सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	–	–	5.44	5.22
7.	अन्य–वृहत एवं मध्यम सिंचाई	16.70	9.51	3.15	2.73
	–बाढ़ नियंत्रण	45.22	23.36	32.09	36.89

1.8 परामर्शी सेवाएं

केन्द्रीय जल आयोग का अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध तथा अन्वेषण परिमंडल भारत तथा विदेश में केन्द्रीय विभागों, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों को नदी घाटी परियोजनाओं की आयोजना, सर्वेक्षण व अन्वेषण तथा अभिकल्प में परामर्शी सेवा मुहैया करा रहा है ।

1.9 सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

केन्द्रीय जल आयोग के प्रषासनिक नियंत्रण में सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है । सरकारी प्रयोजनों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग करने के लिए निरन्तर उपाय किए गए । सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) की अध्यक्षता में आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है । इन बैठकों में हिन्दी के प्रगामी प्रगति के लिए आवष्यक विभिन्न उपायों पर चर्चा की जाती है तथा लिए गए निर्णयों पर समय पर कार्रवाई की जाती है । वर्ष 2006–07 के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में निम्नानुसार कार्रवाई की गई है :–

1. हिन्दी प्रषिक्षण के लिए पांच अधिकारियों को नामित किया गया । हिन्दी टंकण के लिए कुल चार अधिकारियों को नामित किया गया जबकि हिन्दी आषुलिपि में 11 अधिकारियों को नामित किया गया ।
2. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने तथा आदेषों, अनुदेषों के अनुपालन को सुनिष्चित करने के लिए गांधीनगर, कोयम्बटूर तथा भोपाल का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को ठीक करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए ।
3. हिन्दी के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा राजभाषा नियमों और प्रोत्साहन योजनाओं आदि के प्रावधानों की व्यावहारिक जानकारी देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में हिन्दी कार्यषालाओं का आयोजन किया गया । गांधीनगर, कोयम्बटूर तथा भोपाल स्थित कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 98 अधिकारियों ने भाग लिया।
4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों का अनुवाद करने के अलावा केन्द्रीय जल आयोग की वर्ष 2005–06 की वार्षिक रिपोर्ट जल लेखा परीक्षा और जल संरक्षण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा अन्य नेमी सामग्री का हिंदी में अनुवाद किया गया।
5. वार्षिक कार्यक्रम 2006–07 के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा हिंदी में जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से विभागीय शब्दावली तैयार की गई है तथा परिचालित की जा रही है।
6. केन्द्रीय जल आयोग ने हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए वर्ष 2004–05 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की राजभाषा वैजयंती शील्ड (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त की। यह शील्ड 10.10.2006 को जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान की गई।
7. सितम्बर, 2006 में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताएं, अर्थात टिप्पण–आलेखण, निबंध–लेखन, आशु भाषण, काव्य स्पर्धा तथा तकनीकी लेख आयोजित की गई तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। 'क' ख तथा ग स्थित कार्यालयों अर्थात आयोजना परिमण्डल, फरीदाबाद, प्रबंधन निदेशालय, चण्डीगढ़ तथा उत्तर पूर्वी अन्वेषण परिमण्डल तथा मुख्यालय के समन्वय अनुभाग और बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास निदेशालय को वर्ष के दौरान हिंदी में अपना सर्वाधिक कार्य करने के लिए वर्ष 2005–06 के लिए राजभाषा चल शील्ड प्रदान की गई।
8. जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 16.11.2006 को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एवं सदस्य ¼अभिकल्प एवं अनुसंधान½ ने भाग लिया।
9. हिंदी की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने दिनांक 27.04.2006 को दक्षिण पश्चिम नदियां, उप मण्डल, मंगलौर का तथा दिनांक 12.10.2006 को – अपरदन निदेशालय, कोच्चि का दौरा किया।

1.10 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व तालिका 1.4 में दी गई है :–

तालिका 1.4

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का विभिन्न ग्रेडों में प्रतिनिधित्व

(1.1.2007 के अनुसार)

वर्ग	भरे हुए पदों की	अनुसूचित जाति	अनुसूचित	अ. पि. वर्ग के

	संख्या	के पदों की संख्या	जनजाति के पदों की संख्या	पदों की संख्या
समूह क	521	59	19	9
समूह ख	598	101	12	5
समूह ग	1596	201	39	60
समूह घ	829	233	82	11
कुल	3544	598	152	85

टिप्पणीः– उपर्युक्त आंकड़ों में सीएसएस,सीएसएसएस और सीएससीएस संवर्गों से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं किए जाते जिसका नियंत्रण जल संसाधन मंत्रालय और संवर्ग नियंत्रण आर्थिक कार्य विभाग और सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाता है ।

1.11 विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों को भरे जाने से संबंधित स्थिति

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 33 में विकलांग व्यक्तियों हेतु पदों को अभिज्ञात किया गया है तथा 01.01.2007 तक विकलांग व्यक्तियों की स्थिति तालिका 1.5 में दी गई है। पिछले रिक्त 9 स्थानों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

तालिका 1.5

01.01.2006 तक तैनात विकलांग व्यक्तियों की संख्या की स्थिति

समूह	कुल	ओ. एच.	वी.एच.	एच.एच.
"क"	2	–	–	3
"ख"	3	–	1	4
"ग"	5	–	–	5
"घ"	2	4	1	7
कुल	12	4	2	19

ओ. एच. : शारीरिक रूप से विकलांग एच. एच. : बहरे/बधिर विकलांग वी. एच. : नेत्रहीन विकलांग

टिप्पणीः– उपर्युक्त आंकड़ों में सीएसएस,सीएसएसएस और सीएससीएस संवर्गों से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं किए जाते जिसका नियंत्रण जल संसाधन मंत्रालय और संवर्ग नियंत्रण आर्थिक कार्य विभाग और सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाता है।

1.12 कल्याणकारी उपाय तथा प्रोत्साहन

विद्यमान विभिन्न कल्याणकारी उपाय तथा प्रोत्साहन इस प्रकार है :–

1. तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए हितकारी निधि ।
2. वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बचत की आदत डालने के लिए को–ऑपरेटिव थ्रिफ्ट सोसायटी ।
3. पुरस्कार तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर खिलाड़ी कार्मिकों को बढ़ावा देना।
4. शिकायतों का समय पर निपटान ।

कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कार्यकलापों का सार नीचे दिया गया हैः–

1.12.1 हितकारी निधि

केन्द्रीय जल आयोग में हितकारी निधि की स्थापना 1966 में की गई थी जिसका उद्देश्य प्राकृतिक विपदाओं में होने वाली क्षति को पूरा करने तथा स्वयं के कैंसर, क्षयरोग आदि जैसी लम्बी बीमारियों पर होने वाले चिकित्सा व्यय की पूर्ति के लिए सहायता प्राप्त करने के हकदार सदस्यों को तथा सेवा के दौरान

मरने वाले कर्मचारी के परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करना है । यह वित्तीय सहायता निम्नलिखित दो प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है:–

– 10,000 रूपये की तत्काल राहत, तथा
– 8000 रूपये तक दीर्घावधि राहत, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो आठ मासिक किस्तों में देय है ।

इस निधि का संचालन शासी निकाय द्वारा किया जाता है । इस निकाय में अध्यक्ष, अवैतनिक सचिव, कोषाध्यक्ष और 8 सदस्य हैं । इस निधि के लेखा परीक्षित लेखे वार्षिक आम सभा की बैठक में आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं । विद्यमान अंशदान की दर 5 रूपये प्रतिमास है । वर्ष 2006–2007 के दौरान तत्काल राहत के 6 मामलों तथा दीर्घावधि निधि के 4 मामलों को हितकारी निधि के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया।

1.12.2 को–ऑपरेटिव थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी

डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन को–ऑपरेटिव थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला केन्द्र, विद्युत विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय का प्रधान भुगतान एवं लेखा कार्यालय और केन्द्रीय जल आयोग का भुगतान एवं लेखा कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कल्याण और लाभ के लिए मार्च 1959 से कार्य कर रही है जिसका पंजीकृत कार्यालय पश्चिमी खंड–1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में स्थित है। यह सोसाइटी 90000/–रूपये तक नियमित ऋण तथा 10000/– रूपये तक आपातकालिक ऋण उपलब्ध कराती है जो क्रमशः 60 तथा 10 मासिक किश्तों में वसूल किया जाता है । सोसाइटी सेवा–निवृत होने वाले सदस्यों को उपदान (ग्रेच्यूटी) की अदायगी करती है तथा सदस्य कल्याण निधि से दिवंगत सदस्यों का बकाया ऋण माफ करती है ।

1.12.3 खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियां

केन्द्रीय जल आयोग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने अंतर–मंत्रालयी एथलेटिक्स तथा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा अपने बढ़िया प्रदर्शन से ख्याति अर्जित की। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने अन्तर–मंत्रालयी एथलेटिक्स, दिल्ली स्टेट मास्टर्स एथलेटिक्स तथा एशिया मास्टर चैम्पियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन से चार खेलों में प्रथम स्थान, दो खेलों में द्वितीय स्थान तथा एक खेल में तृतीय स्थान प्राप्त किया। केन्द्रीय जल आयोग की हॉकी की टीम अंतर–मंत्रालयी हॉकी प्रतियोगिता में विजेता रही तथा बेहतर खिलाड़ी का पुरस्कार मिला।

1.12.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए जनसंपर्क कक्ष की स्थापना करना

केन्द्रीय जल आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति /अन्य पिछड़ेवर्ग/ विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक जनसंपर्क कक्ष की स्थापना की गई है।

1.13 केन्द्रीय जल आयोग का पुनर्गठन

व्यवसायिक तरीके से राष्ट्रीय जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए डा0 एस आर0 हाशिम, तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ यह भी सिफारिश की है कि "केन्द्रीय जल आयोग के पुनर्गठन के समूचे प्रश्न पर सक्षम परामर्शदाताओं की नियुक्ति करके विस्तार से अध्ययन" किया जाए।

तद्नुसार जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त अध्ययनों के लिए परामर्श का कार्य भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ महाविद्यालय, हैदराबाद को सौंप दिया है । अध्ययन में विचारार्थ विषय इस प्रकार हैंः– (1) केन्द्रीय जल आयोग और इसके कार्यों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन । (2)2025 के लिए जल क्षेत्र में भावी प्रक्षेपण (3) 2025 के लिए भावी प्रक्षेपणों के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग के मिशन और केन्द्रीय जल आयोग के संबंध में संगठनात्मक संरचना तथा इससे सम्बद्ध मुद्दे ताकि मिशन को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा सके ।

सितम्बर, 2002 में भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय द्वारा मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तत्पश्चात् विचाराधीन विषयों के अनुसार अध्ययन की सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ पारस्परिक क्रिया संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय से अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

1.14 केन्द्रीय जल आयोग के लिए नागरिक घोषणा–पत्र

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग के लिए नागरिक घोषणा–पत्र सदस्य ¼जल आयोजना एवं परियोजना½, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग के नागरिक घोषणा तैयार करने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया था जिसके सदस्य–सचिव और नोडल अधिकारी मुख्य अभियंता (बीपीएमओ) थे। जल संसाधन मंत्रालय की सहमति से नागरिक घोषणा–पत्र को अन्तिम रूप दिया गया है और केन्द्रीय जल आयोग के बेवसाइट पर प्रकाशित किया गया है।

1.15 सूचना अधिकार अधिनियम

संसद द्वारा 15 जून, 2005 को अधिनियमित सूचना अधिनियम का अधिकार 12 अक्तूबर, 2005 (इसे अधिनियम के 120वें दिवस) को प्रवृत्त हो गया । केन्द्रीय जल आयोग ने अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित किया है । सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की अनुपालना में केन्द्रीय जल आयोग से संबंधित सूचना को इसके कार्यालय की बेवसाइट एचटीपीपीः//के.ज.आ.ण्एनआईसी.आईइन के जरिए सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखा है।

2006–07 के दौरान सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना हेतु 119 अनुरोध प्राप्त हुए थे। सभी मामलों में सूचना उपलब्ध करायी गई थी।

अध्याय–2
जल संसाधन विकास

2.1 भारत में जल संसाधन

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा देश के जल संसाधनों का आवधिक मूल्यांकन किया जा रहा है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार देश की जल संसाधन क्षमता जो नदियों में प्राकृतिक अपवाह के रूप में पाई जाती है, लगभग 1869 बिलियन घन मीटर है । यह विश्व के कुल नदी प्रवाह के 4 प्रतिशत से ज्यादा है । तथापि, स्थलाकृति की विभिन्न बाधाओं तथा स्थान व समय के असमान वितरण की वजह से यह अनुमान लगाया गया है कि कुल वार्षिक जल क्षमता का लगभग 1123 बिलियन घन मीटर से ही लाभदायी उपयोग लिया जा सकता है । इसमें उपयोज्य सतही जल के माध्यम से 690 बिलियन घन मीटर तथा भू–जल के माध्यम से 432 बिलियन घन मीटर शामिल है।

यद्यपि पेयजल प्रयोजन हेतु जल को जल उपयोग में उच्च प्राथमिकता दी गई है तथापि, सिंचाई, जल का प्रमुख उपभोक्ता है । मूलभूत सिंचाई क्षमता, जिसे वृहत, मध्यम तथा लघु परियोजनाओं के जरिए उपयोग योग्य सतही जल संसाधनों का उपयोग करके सृजित किया जा सकता है, लगभग 75.9 मिलियन हैक्टेयर होगी । भूजल के उपयोग में आने वाली सिंचाई क्षमता अब 64 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है। इस प्रकार सतही और भू–जल संसाधनों से कुल सिंचाई क्षमता 139.9 मिलियन हैक्टेयर होगी। इसके अलावा इसमें अधिशेष से कमी वाले बेसिनों में सुदूर अंतर–बेसिन अंतरण द्वारा लगभग 35 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकती है । प्रमुख नदी बेसिनों में जल संसाधन क्षमता को केन्द्रीय जल आयोग प्रकाशन – जल और संबद्ध सूचना जनवरी, 2005 संबंधी पुस्तिका में दिया गया है।

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर समाज की वर्तमान तथा भावी जल तथा खाद्यान्नों की आवष्यकताओं को सही ढंग से पूरा करने के लिए सरकारों द्वारा जल संसाधन से सम्बद्ध मामलों के लिए निम्नलिखित अभिवृद्धि/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है :–

- जल उपयोग क्षमता में सुधार करना,
- कमान क्षेत्र विकास तथा सहभागी सिंचाई प्रबंध,
- बाढ़ प्रबंधन तथा अपरदन नियंत्रण,
- तटीय अपरदन का संरक्षण,
- बांध सुरक्षा तथा पुनर्वास,
- विद्यमान जल निकायों का पुनःस्थापन एवं पुनःरूद्धार,
- भू–जल का उपयुक्त विनियमन एवं प्रबंध,
- भू–जल का पुनःभरण,
- दक्षिणी नदियों से षुरू होने वाली नदियों के अन्तर संपर्क हेतु कार्यसूची पर कार्रवाई करना,
- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति तथा सफाई,

केन्द्रीय जल आयोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इन दबाव/प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उद्देष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे रहा है ।

2.2 जल संसाधन क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं

चूँकि समूचे देश में वर्षा की असमानता सुपरिचित है, इसलिए विभिन्न योजना अवधियों में में सिंचित कृषि के लिए जल संसाधनों के विकास को उच्च प्राथमिता दी गई हैं। विद्यमान प्रणालियों के समेकन के साथ–साथ सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने की प्रमुख कार्य नीति रही है । वृहद, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं तथा कमान क्षेत्र विकास के माध्यम से सिंचाई सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

2.2.1 सिंचाई क्षमता : वृहत तथा मध्यम सिंचाई क्षेत्र

देश की मूलभूत सिंचाई क्षमता अनुमानतः 140 मिलियन हैक्टेयर आंकी गई है जिसमें से वृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से प्राप्त सिंचाई क्षमता 58.5 मिलियिन हैक्टेयर आंकी गई है । वृहद, तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता जो 1951 में 9.7 मिलियन हैक्टेयर थी, नौवीं योजना के अंत तक बढ़कर 36.98 मिलियन हैक्टेयर हो गई है। दसवीं योजना का लक्ष्य 42.28 मिलियन हैक्टेयर तक संचयी सिंचाई क्षमता को प्राप्त करना है । क्रमबद्ध योजना अवधियों में सृजित क्षमता के संचयी आंकड़ें चित्र 2.1 में दिये गये हैं ।

2.2.2 वृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू किये जाने के समय पर देश में 74 वृहद् तथा 143 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1951 की योजनावधि से लेकर 2007 की दसवीं योजना के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार हैः 368 वृहद्, 1087 मध्यम तथा 215 विस्तार/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण स्कीमें जिसमें से दसवीं योजना के अंत तक 202 वृहद्, 865 मध्यम और 126 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाऐं को पूरा कर लिए जाने की आशा है जिसका ब्यौरा तालिका 2.1 में दिया गया है। नौवीं योजना के अंत तक सृजित संचयी सिंचाई क्षमता 36.98 मि.है. थी तथा दसवीं योजना हेतु प्रारम्भिक लक्ष्य 9.93 मि.है. रखा गया था जिसे मध्य अवधि मूल्यांकन के दौरान संशोधित करके 6.50 मि.है. रखा गया था। नौवीं योजना के अंत क वृहद् तथा मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से सृजित राज्यवार संचयी क्षमता तथा दसवीं योजना तक सम्भावित संचयी उपलब्ध तालिका 2.2 में दी गई है। वृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सृजित सिंचाई क्षमता का विकास तथा विभिन्न योजना अवधियों में तद्नुरूपी परिव्यय/व्यय तालिका 2.3 में दिया गया है।

तालिका 2.1

दसवीं योजना तक षुरू की गई तथा पूर्ण की गई वृहद, मध्यम और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं की संख्या

वर्ग	शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या			पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या			ग्यारहवीं योजना तक ले जाई गई।
	योजना पूर्व	योजना	कुल	योजना पूर्व	योजना	कुल	
वृहत	74	368	442	74	202	276	166
मध्यम	143	1087	1230	143	865	1008	222
विस्तार/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण	—	215	215	—	126	126	89
कुल	217	1670	1887	217	1193	1410	477

Source: Report of the Working Group on Water Resources for XI Five Year Plan (2007-12)

तालिका 2.2

वृहद् एवं मध्यम सिंचाई क्षेत्र के माध्यम से सिंचाई क्षमता का राज्यवार सृजन

(हजार हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	राज्य	मूलभूत सिंचाई क्षमता	नौवीं योजना (1997–2002) तक सृजित क्षमता	दसवीं योजना के दौरान सृजित क्षमता का लक्ष्य	दसवीं योजना तक सृजित क्षमता
1	आंध्रप्रदेश	5000.00	3303.22	3051.59	3742.66
2	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1.20
3	असम	970.00	243.92	174.37	312.90
4	बिहार	5223.50	2680.00	1714.83	2959.00
	झारखंड	1276.50	354.47	230.45	603.97
6	गोआ	62.00	21.17	15.33	37.65
7	गुजरात	3000.00	1430.37	1300.83	2218.50
8	हरियाणा	3000.00	2099.49	1849.97	2191.36
9	हिमाचल प्रदेश	50.00	13.35	7.51	15.45
10	जम्मू–कश्मीर	250.00	179.69	168.75	203.30
12	कर्नाटक	2500.00	2121.12	1844.82	2127.75
13	केरल	1000.00	609.49	558.87	1090.47
14	मध्यप्रदेश	4853.07	1386.90	875.63	1451.90
	छत्तीसगढ़	1146.93	922.50	760.74	1810.68
15	महाराष्ट्र	4100.00	3239.00	2147.24	3494.15
16	मणिपुर	135.00	91.15	72.91	103.05
17	मेघालय	20.00	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	10.00	0.00	0.00	1.00
20	उड़ीसा	3600.00	1826.56	1794.17	1989.97
21	पंजाब	3000.00	2542.48	2485.99	2604.67
22	राजस्थान	2750.00	2482.15	2313.87	2890.35
23	सिक्किम	20.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडू	1500.00	1549.31	1549.29	1561.06
25	त्रिपुरा	100.00	4.90	4.50	18.70
27	उत्तर प्रदेश	12154.00	7910.09	6334.00	8781.35
	उत्तरांचल	346.00	280.30	185.41	289.65
28	पश्चिमी बंगाल	2300.00	1683.29	1527.12	1769.89
	कुल संघ शासित प्रदेश	98.00	6.51	3.94	6.51
	कुल (राज्य+संघ शासित प्रदेश)	58465.00*	36981.43	30972.13	42277.06

स्रोत : योजना आयोग

तालिका 2.3

सिंचाई क्षमता के सृजन में योजना–वार परिव्यय और संचयी विकास

(वृहद् एवं मध्यम परियोजनाएं)

अवधि	परिव्यय/ व्यय ¼करोड़ रूपये में)	संचयी व्यय ¼करोड़ रूपये में)	सृजित क्षमता ¼मिलियन हैक्टेयर में)		उपयोग की गई क्षमता (मिलियन हैक्टेयर में)
			के दौरान	संचयी	
योजना–पूर्व अवधि			9.70	9.70	9.70
प्रथम योजना (1951–56)	376	376	2.50	12.20	12.98
दूसरी योजना (1956–61)	380	756	2.13	14.33	13.05
तीसरी योजना (1961–66)	576	1332	2.24	16.57	15.77
वार्षिक योजना (1966–69)	430	1762	1.53	18.10	16.75
चौथी योजना (1969–74)	1242	3004	2.60	20.70	18.69
पांचवी योजना (1974–78)	2516	5521	4.02	24.72	21.16
वार्षिक योजना (1978–80)	2079	7599	1.89	26.61	22.62
छठी योजना (1980–85)	7369	14968	1.09	27.70	23.57
सातवीं योजना (1985–90)	11107	26075	2.22	29.92	25.47
वार्षिक योजना (1990–92)	5459	31534	0.82	30.74	26.32
आठवीं योजना (1992–97)	21072	52606	2.21	32.95	28.44
नौवीं योजना (1997–2002)	49289	101895	4.03	36.98	31.03
दसवीं योजना (2002–2007)*	71213	173108	5.30	42.28	34.38

* अनन्तिम स्रोत : योजना आयोग

योजना तथा योजना पूर्व अवधि के दौरान षुरू की गई तथा पूर्ण की गई वृहत, मध्यम एवं विस्तार/नवीनीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं की संख्या क्रमषः चित्र 2.2, 2.3 एवं 2.4 में दर्षायी गई है ।

चित्र 2.2

वृहद सिंचाई परियोजनाएं

नौवीं योजना के अंत तक योजना पूर्व तथा योजना अवधियों के दौरान शुरू की गई पूर्ण की

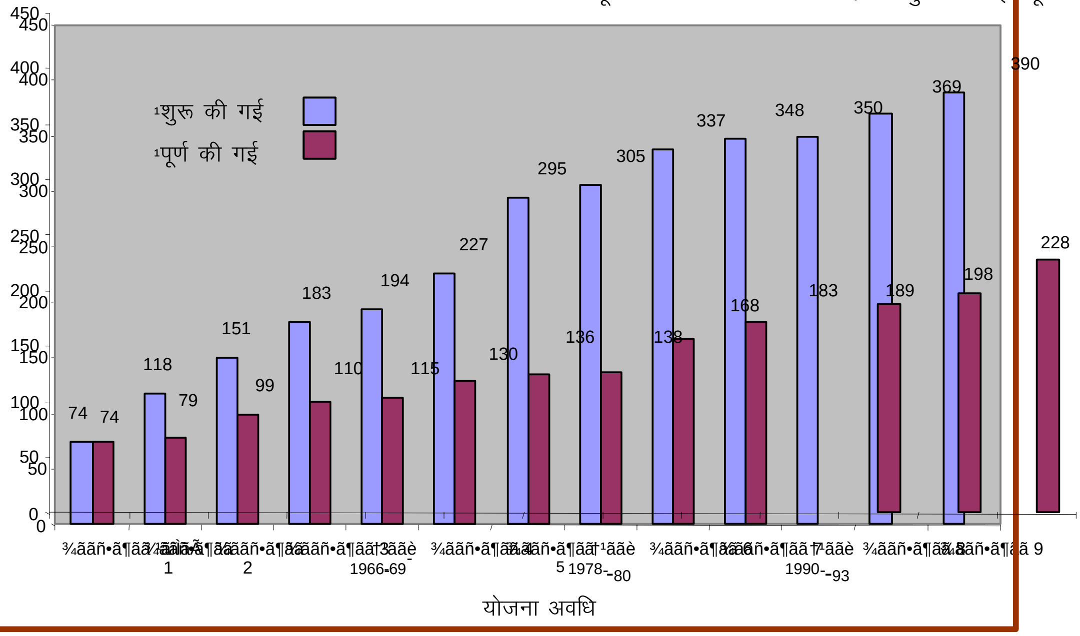

नौवीं योजना के अंत तक योजना पूर्व तथा योजना अवधियों के दौरान शुरू की गई तथा पूर्ण की गई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं (संचयी)

चित्र 2.3

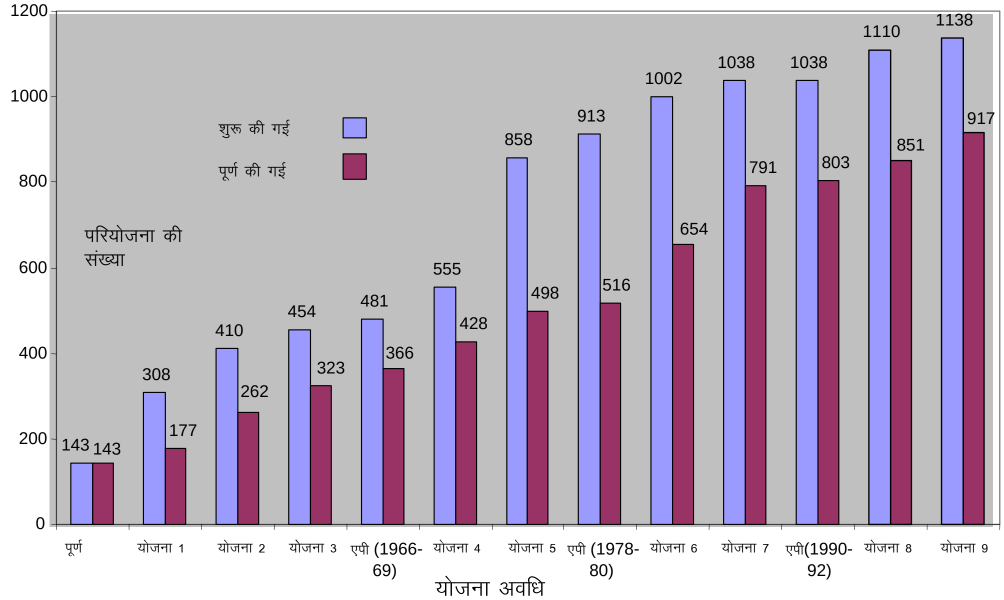

नौवीं योजना के अंत तक योजना पूर्व तथा योजना अवधियों के दौरान शुरू की गई तथा पूर्ण की गई विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं संचयी

चित्र 2.4

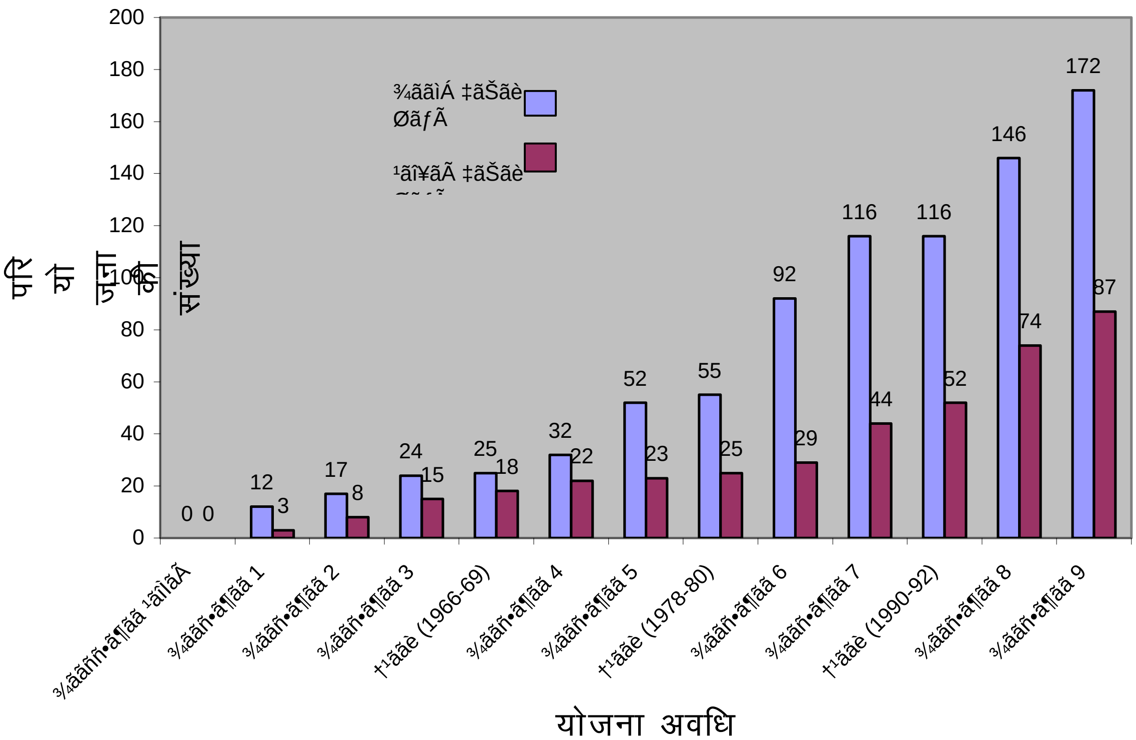

2.2.3 आदिवासी उप–योजना जिलों के अंतर्गत सिंचाई विकास

सिंचाई निदेशालय में सुदृढ़ीकरण के भाग के रूप में प्रारम्भ में मार्च, 1979 में आदिवासी सेल मंजूर किया गया था। आदिवासी सेल को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लाभ के लिए मध्यम/सिंचाई परियोजनाओं वाले दिए गए सभी राज्यों के संबंध में आदिवासी उप योजना जिलों के क्षेत्रों के सिंचाई विकास पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना है। आदिवासी उप योजना जिलों को लाभ देने वाली सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती है। वर्ष 2005–06 की रिपोर्ट तैयार की गई थी।

चित्र

भारत

आदिवासी क्षेत्र

अरब सागर

बंगाल की खाड़ी

उप योजना क्षेत्र

आदिवासी संकेन्द्रण

आदिवासी बहुल जनसंख्या

चित्र 2.5 आदिवासी उप योजना क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र एवं आदिवासी संकेन्द्रण पाकेटो को दर्शाने वाला भारत का मानचित्र

अध्याय–3
नदी प्रबंध

3.1 जल विज्ञानीय आंकड़ों का क्रमबद्ध संग्रहण तथा भंडारण

इस समय केन्द्रीय जल आयोग 878 जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क चला रहा है। इन 878 केन्द्रों में से 288 प्रमापी स्थल, 194 प्रमापी तथा निस्सारण स्थल, 120 प्रमापी निस्सारण और गुणवत्ता स्थल तथा 35 प्रमापी निस्सारण तथा गाद स्थल हैं जबकि शेष 241 प्रमापी निस्सारण, गाद तथा जल गुणवत्ता स्थल हैं। इन स्थलों का बेसिन–वार वितरण का विस्तृत ब्यौरा नीचे सारणी 3.1 में दिया गया है ।

तालिका 3.1
जल विज्ञानीय पर्यवेक्षण स्थलों का बेसिन–वार ब्यौरा

क्रम सं0	बेसिन का नाम	स्थलों की संख्या
1	सिन्धु	37
2	गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना/बराक	443
3	गोदावरी	64
4	कृष्णा	68
5	कावेरी	34
6	सवर्णरेखा	2
7	ब्राह्मणी–वैतरणी	13
8	महानदी	41
9	पेन्नार	8
10	माही	13
11	साबरमती	13
12	नर्मदा	25
13	तापी	18
14	तापी से तादरी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	16
15	तादरी से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	29
16	महानदी तथा पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	12
17	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियां	17
18	लूनी सहित कच्छ तथा सौराष्ट्र के बीच पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां	15
	कुल	878

क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा एकत्र किये गये मूल आंकड़ों को उप–मंडलों, मडलों तथा परिमंडल स्तर पर संशोधित एवं वैधीकृत किया जाता है और अधिप्रमाणित आंकड़ों को जल वर्ष और जल गुणवत्ता वर्ष पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है, तत्पश्चात् भण्डारण, अद्यतन सुधार आदि के लिए केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को भेजा जाता है। आंकड़ो के संबंध में आयोजना (पी एंड पी) एवं विकास यूनिट तथा सूचना प्रणाली संगठन द्वारा केन्द्रीय जल आयोग एवं मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अनुरोध के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को आंकड़ों का प्रसार किया जाता है।

आयोजना एवं विकास युनिट कम्प्यूटरीकृत प्रपत्र में गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन से संबंधित जल विज्ञानीय आंकड़ों का रख–रखाव करता है । इन नदी बेसिनों के आंकड़ों का वर्गीकृत होने के कारण इन्हें वर्गीकृत आंकड़ों की निर्मुक्ति के लिए बनाए गए प्रक्रिया तथा दिषा–निर्देषों का अनुपालन करते हुए, अनुरोध करने पर ही वास्तविक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है । आवश्यकतानुसार, ऐसे आंकड़ों की

निर्मुक्ति के लिए जल संसाधन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जल विज्ञान परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात् अब अन्य क्षेत्रों के लिए भी कम्प्यूटरीकृत आंकड़े उपलब्ध हैं ।

3.1.1 जल विज्ञान परियोजना

केन्द्रीय जल आयोग ने विश्व बैंक की सहायता से भारत में 9 प्रायःद्वीपीय राज्यों में फैली जल विज्ञान परियोजना चरण–। को क्रियान्वित किया है। परियोजना के अन्तर्गत जल संसाधनों के दीर्घावधि आयोजना, अभिकल्प एवं प्रबंधन हेतु विश्वसनीय आंकड़ों को उपलब्ध कराने तथा आकड़ों के संग्रहण हेतु अवसंरचना में सम्बर्धन के साथ–साथ संबद्ध पहलुओं में अनुसंधान कार्यकलापों के लिए जल विज्ञानीय सूचना प्रणाली स्थापित की गई है।

केन्द्रीय जल आयोग ने जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत जल वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों अर्थात गॉज और निस्सरण, जलगुणवत्ता और जलवायु के आंकड़ा भंडारण और प्रचार–प्रसार के लिए सभी सतही और भूजल में भागीदार अभिकल्पों के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसकी सुविधा के लिए विभिन्न डॉटा भंडारण केन्द्रों के मेटा डेटा (आंकड़ों की उपलब्धता संबंधित सूचना) वाले संयोजित कैटेलॉग को बेव (इंडिया–वॉटर कॉन) पर लिया गया है। इस केटेलॉग में विभिन्न अभिकरणों के पास उपलब्ध डाटा के प्रकार और इसकी अवधि और बारम्बारता, जिसके लिए इसे उपलब्ध कराया गया है, को डेटा उपयोग कर्त्ताओं को सीधे उपलब्ध कराएगा और उपयोगकर्त्ता डेटा अनुरोध फाइल खोल सकते हैं। अब तक उत्पादित डेटा अनुरोध फाइल को सभी संबंधित डेटा भंडारण केन्द्रों को ई–मेल कर दिया है और ये डेटा भंडारण केन्द्र उपयोग कर्त्ता की पात्रता को प्रमाणित करने के पश्चात इनकी आपूर्ति कर सकते हैं ।

जल विज्ञान परियाजना–1 की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में जल विज्ञान परियोजना–।। शुरू की गई है। इसमें जल विज्ञान परियोजना–1 के पैटर्न पर चार और राज्यों अर्थात पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोआ और पांडिचेरी में जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली की स्थापना और ऑकड़ों के उपयोग के लिए मौजूदा 9 राज्यों और केन्द्रीय अभिकरणों में ऊर्ध्वाधर विस्तार की परिकल्पना की गई है ।

केन्द्रीय जल आयोग की जल विज्ञान परियोजना चरण–2 के प्रस्ताव में दो मुख्य घटक शामिल हैं – संस्थागत सुदृढ़ीकरण और Åर्ध्वाधर विस्तार । प्रस्ताव की अनुमानित लागत आकस्मिकताओं के बिना 2489.76 लाख और आकस्मिकताओं के साथ 2962.98 लाख रूपए हैं ।

I संस्थागत सुदृढ़ीकरण

इस घटक के अन्तर्गत जल विज्ञान–। के दौरान अपेक्षित हार्डवेयर/साफ्टवेयर के प्रशिक्षण, उन्नयन/पुनःस्थापन, वेवसाइट के अनुरक्षण, आंकड़ों के प्रचार–प्रसार, ज्ञान को आपस में बांटने, कार्यशाला/सेमिनार/अध्ययन दौरों आदि के माध्यम से क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के रूप में जल विज्ञान–। के अन्तर्गत किए गए लाभों को समेकित करने का प्रस्ताव है।

आंकड़ों के संसाधन, संगठन और प्रबंधन के क्षेत्र में संगणक क्षमताओं को बढ़ाने तथा देश में साफ्टवेयर को विकसित करने का प्रस्ताव है ताकि ए.एम.सी. से संबद्ध समस्याओं को दूर किया जा सके। अतिरिक्त डाटा अर्थात जल उपयोग, सामाजिक–आर्थिक स्थिति आदि को समेकित करने के लिए डाटा भण्डारण केन्द्र साफ्टवेयर का उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे परियोजना के क्षैतिज Åर्ध्वाधर विस्तार घटक के अन्तर्गत सभी सहभागी एजेंसियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करेगी। राष्ट्रीय जल अकादमी में अतिरिक्त अवसंरचना संबंधी सुविधाओं का सृजन करने के लिए प्रावधान किया गया है।

II Åर्ध्वाधर विस्तार

जल विज्ञानीय अभिकल्प सहायक का विकास

विभिन्न राज्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न जल संसाधन परियोजनाओं के निरूपण में जलविज्ञानीय विश्लेषण एकसमान नहीं हैं और आज भी इनमें से कुछ परियोजनाओं को आनुभाविक नियमों का उपयोग करके निरूपित किया जा रहा है, जोकि अब उपयोग में नहीं हैं। जलविज्ञानीय विश्लेषण विभिन्न डाटा दृश्यलेख परिस्थिति के अन्तर्गत विभिन्न विकल्पों को पता लगाकर सीमित रूप में किया जा रहा है। जल विज्ञान–।। के अन्तर्गत युक्तिमूलक अभिकल्प एवं विश्लेषण हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु यंत्रों का विकास करने तथा पूर्ण जल प्रणाली के जल विज्ञानके अध्ययन सहित एकीकृत जल संसाधन विश्लेषण करने का प्रस्ताव है।

परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप प्रस्तावित हैं:–

- जलविज्ञानीय विश्लेषण और रिपोर्ट लेखण हेतु व्यापक साफ्टवेयर
- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के महत्वपूर्ण आदान के रूप में जल विज्ञान विश्लेषण के मानक पद्धतियों का विकास
- हिम जलविज्ञान में बेहतर प्रौद्योगिकी का विकास
- गैर–प्रभावी स्रवण क्षेत्रों के लिए अभिकल्प सहायक
- कृषि अपवाह स्कीमों के लिए अभिकल्प सहायक

जल विज्ञान–।। की स्थिति

यह परियेाजना अक्तूबर, 2005 में आर्थिक मामलों की मण्डलीय समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी तथा भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच परियोजना संबंधी समझौते पर 19 जनवरी, 2006 को हस्ताक्षर किए गए थे। केन्द्रीय जल आयोग की प्रमुख गतिविधियों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

- अभिकल्प सहायक संबंधी जल विज्ञान के विकास संबंधी टी.ओ.आर. तथा ई.ओ.एल. नवम्बर 2006 में अनुमोदन हेतु जल संसाधन मंत्रालय के पास भेजे गए हैं। एच.डी.ए.संबंधी समिति के दो बैठके आयोजित की गई।
- जल विज्ञानीय द्वारा परिसंस्करण साफ्टवेयर कि विकास संबंधी बोली दस्तावेज तैयार हैं।
- राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे में अतिरिक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने संबंधी अनुमान जल संसाधन मंत्रालय के पास भेजे गए हैं।

3.2 बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी सेवाएं

तकनीकी आर्थिक कारणों से हमारे देष में जहां कही अतसंरचनात्मक बाढ़ प्रबंध उपाय नियोजित एवं निष्पादित किए जाते हैं वे केवल कुछ सीमा तक ही बाढ़ के लिए होते हैं । जबकि अत्यधिक मात्रा वाली बाढ़ें तबाही मचा देती हैं । तद्नुसार आगामिक बाढ़ों की अग्रिम जानकारी के लिए बाढ़ प्रबंध के संस्तनात्मक उपायों के सामान्तर बाढ़ पूर्वनुमान एवं चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था की जा चुकी है, जो कि बाढ़ नुकसान कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और साथ ही बचाव/राहत कार्यों की बेहतर आयोजना में भी सहायता करती है । बाढ़ पूर्वानुमान (स्तर पूर्वानुमान और अन्तर्वाह पूर्वानमान)बाढ़ों के साथ और इसके बिना (बहुउद्देष्यीय) जलाष्यों के इष्टतम विनियमन में भी सहायता प्रदान करता है ।

भारत में वैज्ञानिक तरीके से बाढ़ पूर्वानुमान कार्यकलापों का प्रारम्भ 1958 में हुआ जब भूतपूर्व केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना में आने वाली बाढ़ों के बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनियां जारी करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान एकक की स्थापना की थी। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस सेवा का विस्तार अब तक भारत के लगभग सभी प्रमुख बाढ़ प्रवण अन्तर्राज्यीय नदी बेसिनों को षामिल करने के लिए किया जा चुका है । इस समय 175 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र हैं इनमें से 147 स्तरीय पूर्वानुमान केन्द्र तथा 28 अंतर्वाह पूर्वानुमान केन्द्र वृहत बांधों/बराजों पर हैं । इसमें 15 राज्यों में 71 नदी उप बेसिनों सहित देश में 9 वृहद् नदी बेसिन शामिल हैं।

औसतन केन्द्रीय जल आयोग बाढ़ मौसम के दौरान प्रति वर्ष लगभग 6000 पूर्वानुमान जारी कर रहा है । सामान्यतया ये पूर्वानुमान नदी क्षेत्र, बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों और बेस केन्द्रों के आधार पर 12 से 48 घंटें पहले जारी किए जाते हैं । बाढ़ पूर्वानुमान के उद्देश्य से 850 गॉज और निस्सरण स्थलों पर जल वैज्ञानिक ऑकड़े और 500 वर्षा गॉज– स्थलों पर जल मौसम वैज्ञानिक आंकड़े रखे जा रहे हैं जिन्हें लगभग वॉयरलैस केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए संप्रेषित किया जा रहा है । मौसम वैज्ञानिक विभाग के बाढ़ प्रबंध कार्यालयों से मौसम की संक्षिप्त जानकारी मौसम पूर्वानुमान/भारी वर्षा चेतावनी आदि भी एकत्र की जा रही है ।

3.2.1 2006 के दौरान बाढ़ पूर्वानुमान निष्पादन

बाढ़ मौसम 2006 बाढ़ पूर्नानुमान निष्पादन दौरान 6655 बाढ़ पूर्वानुमान (5070 स्तरीय पूर्वानुमान तथा 1585 अन्तर्वाह पूर्वानुमान) जारी किए गए जिसमें से 6370 (95.7 प्रतिशत) पूर्वानुमान पर्याप्ता की सीमा के भीतर थे। इसी प्रकार जारी किए गए 1585 अंतर्वाह पूर्वानुमानों में से 26 केन्द्रों में 1543 (97.4 प्रतिशत) यर्थाथता की स्वीकार्यता सीमा के भीतर थे बाढ़ पूर्वानुमान की निष्पादन चित्र 3.1 में दिया गया है।

147 स्तरीय पूर्वानुमान केन्द्रों में से 6 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों, अर्थात सूरत में तापी अहमदावाद में साबरमती बानाकवोरी वीयर में माही, नंदेड में गोदावरी, दियोगांव ब्रिज में भीमा तथा करीमगंज में कुशियारा, अभूतपूर्व बाढ़ की परिस्थिति देखी गई जहां बाढ़ मौसम के दौरान प्राप्त उच्च बाढ़ स्तर अपने संबंधित गत एच.एफ.एल. से अधिक रहा। 8 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों, अर्थात माटीजूरी में खटखल, राजघाट में सुवर्णरेखा, बलहर्षा में वार्धा, गंगाखेड में गोदावरी, अयोध्या में घाघरा, बेनगढ़ में बागमती, हरिनखोला में मुंडेश्वरी तथा बसुआ में कोसी, उच्च बाढ़ की स्थिति देखी गई अर्थात जहां गत एच.एफ.एल. के 0.5 मीटर के भीतर शीर्ष स्तर प्राप्त किया गया।

गोदावरी, कृष्णा, माही, साबरमती तथा तापी के बेसिने के अनेक पहुँच मार्गों में वर्षा की बहुत उच्च तथा लम्बी अवधि की गतिविधि के कारण विभिन्न जलाशयों (जहां अंतर्वाह पूर्वानुमान जारी किए गए थे) से अंतर्वाह और बाद में बहिःप्रवाह लम्बी अवधि हेतु काफी व्यापक थे आशा है कि कई स्थानों पर तात्कालिक प्रवाह (क्यूमेक्स में) गत रिकार्ड से आगे निकल गया। सूरत में आई बाढ़ ऐसा उदाहरण है जहां उकाई बांध से निमुक्ति के कारण अभूतपूर्व बाढ़ आई।

कुछ बेसिनों (उनमें से अधिकांश बेस केन्द्र हैं) में 200 केन्द्रों के प्रति घंटा स्तरीय आंकड़ों का प्रबोधन, संग्रहण और विश्लेषण किया गया था और प्रमुख नदियों, अर्थात गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र गंगा आदि की बाढ़ की स्थिति का लम्बी दूरी के पूर्वानुमान (सलाहकार स्परूप के) का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया गया। इसे वेबयुक्त साफ्टवेयर द्वारा प्राप्त किया गया जो नई दिल्ली में केन्द्रीय जल आयोग के केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ प्रत्येक मंडलीय आंकड़ा केन्द्र के साथ जुड़ा था। यह अधिकांश महत्वपूर्ण जानकारी विभिन्न उपभोक्ता एजेंसियों के अलावा वास्तविक समय आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई थी।

3.2.2 बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं का आधुनिकीकरण

केन्द्रीय जल आयोग बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं को अद्यतन तथा आधुनिक बनाने में निरूतर प्रयास कर रहा है ताकि इसे अधिक यर्थाथ, प्रभावी और समय परक बनाया जा सके। बाढ़ पूर्वानुमान कई चरणों पर किया जाता है अर्थात आंकड़ा पर्यवेक्षण, संग्रहण, संचारण, संकलन और विश्लेषण पूर्वानुमानों का निरूपण और उनका प्रचार–प्रसार।

दसवीं योजना के दौरान महानदी और चम्बल बेसिनों में अंतर्वाह पूर्वानुमान सेवाओं का आधुनिकीकरण शुरू किया गया था ताकि (i) स्वःचालित आंकड़ा संग्रण के उपयोग (ii) वी.एस.ए.टी. के माध्यम से सेटालाइट पर आधारित संचार प्रणाली के उपयोग तथा (iii) कम्प्यूटर पर आधारित स्रवण क्षेत्र माडलों का उपयोग करके पूर्वानुमान निरूपण तकनीकों के सम्बर्धन द्वारा पूर्वानुमानों की गुणवत्ता और यर्थाथता में सुधार किया जा सके। यह स्कीम विभिन्न बांध स्थलों और बाढ़ प्रणत शहरों में काफी सहायक साबित हुई है ताकि वे बांधों तथा सम्पति व पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जलाशय विनियमन हेतु अग्रिम में कार्रवाई कर सकें। 11वीं योजना के दौरान इस प्रणाली का ब्रह्मपुत्र, बराक, दमोदर, कृष्णा, गोदावरी, यमुना, घाघरा, रापती और सतलुज में विस्तार करने का प्रस्ताव है।

नदि बेसिन	दूरमापी केन्द्र
गोदावरी बेसिन	63
कृष्णा बेसिन	41
ब्रह्मपुत्र बेसिन	21
दमोदर बेसिन	20
यमुना बेसिन	15
महानदी बेसिन	8

गृह मंत्रालय की यू.एस.ए.आइ.डी. सहायता प्राप्त विपदा प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत महानदी बेसिन के बाढ़ पूर्वानुमान और आप्लावन पूर्वानुमान माडल हेतु निर्णय समर्थन प्रणाली के विकास संबंधी प्रस्ताव तथा सतलुज बेसिन के फ्लेश बाढ़ पूर्वानुमान का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है। ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिनों (सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ संयुक्त परियोजना) हेतु वास्तविक बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली विकसित करने संबंधी एक अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

3.3 बाढ़ स्थिति मूल्यांकन और बाढ़ क्षति

बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा के राज्यों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के भागों में बाढ़ की स्थिति घटती बढ़ती रही। संकलित बाढ़ क्षति के आंकड़े तालिका 3.1 में दिए गए हैं।

तालिका 3.1

गत 10 वर्षों के दौरान बाढ़ों के कारण हुई क्षति

वर्ष	प्रभावित क्षेत्र (मिलियन हैक्टयर में)	प्रभावित जनसंख्या (मिलियन में)	कुल क्षति (करोड़ रूपये में)
1997	4.569	29.663	2831.181
1998	10.845	47.435	8860.721
1999	7.765	27.993	3612.760
2000	5.382	45.013	8864.544
2001	6.175	26.463	7109.416
2002	7.090	26.323	2574.543
2003	6.503	34.466	4434.354
2004	8.031	34.215	336.591

2005	3.376	29.684	2822.155
2006	0.437	28.015	662.095

3.3.1 बाढ़ बुलेटिन

केन्द्रीय जल आयोग प्रभावित राज्य सरकारों तथा अपने अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर बाढ़ मौसम के दौरान दैनिक बाढ़ बुलेटिन तथा विशेष बाढ़ बुलेटिन जारी कर रहा है। वर्ष के दौरान एन.डी.एम.ए. द्वारा जारी मानक परिचालन पद्धति के अनुसार अधिकांशतः 3 घंटेवार आधार पर, जब अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, 48 विशेष बुलेटिन (अभूतपूर्व और उच्च बाढ़ की स्थिति को जोड़कर) जारी किए गए। इसके अलावा 158 साधारण बुलेटिन जारी किए गए जिसमें स्तरीय तथा अंतर्वाह पूर्वानुमान जानकारी दोनों शामिल हैं।

3.3 बाढ़ प्रबंधन कार्य

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) ने 40 मिलियन है0 क्षेत्र (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/8 वां अर्थात 329 मि0 है0) बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है जिसमें से 32 मि0 है0 (80 प्रतिशत) बाढ़ प्रवण क्षेत्र संरक्षणीय है । मार्च, 2006 तक लगभग 16.7436 मि0है0 क्षेत्र को उपयुक्त स्तर तक सुरक्षा प्रदान किए जाने का अनुमान था । यह सुरक्षा तटबंधों के निर्माण (34398 कि0मी0), जल निकास चैनल (51318 कि.मी), शहर बचाव कार्य (2432) तथा गांवों के स्तर को बढ़ाकर (4984) प्रदान की गई है। 2006–07 हेतु प्रत्याशित व्यय सहित मार्च 2007 तक बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत किया गया संचयी व्यय 14405.74 करोड़ रूपए है।

3.5 बाढ़ मैदान क्षेत्रण

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा विद्यमान बाढ़ मैदान क्षेत्रण नक्शों के अद्यतन तथा अंकीरण संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। यह कार्य 1:15000 पैमाने पर भारतीय सर्वेक्षण द्वारा 1.79 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर किया जाना चाहिए जिसमें भौतिक भू–जांच के रूप नवीनतम सूचना को निगमित करके असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर के राज्यों का 54,700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया है। भारतीय सर्वेक्षण और केंद्रीय जल आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 70.00 लाख रूपए के भुगतान की नियुक्ति की गई है जैसा कि भारतीय सर्वेक्षण द्वारा मांगी गई थी। भारतीय सर्वेक्षण ने बाढ़ मैदान क्षेत्रण नक्शों को अद्यतन करने तथा अंकीकरण का कार्य शुरू कर दिया है और 53 नक्शों (असम राज्य के 33 नक्शें तथा उत्तर प्रदेश के 20 नक्शों) का कार्य पूर्ण हो चुका है।

3.6 नदी आकृति विज्ञान

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरस्थ संवेदी तकनीकों का उपयोग करके इलाहाबाद से बक्सर के पहुंच में छः बाढ़ प्रवण नदियों, अर्थात कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, सतलुज और गंगा का आकृति विज्ञान अध्ययन किया गया है।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की द्वारा घाघरा और सतलुज की नदियों संबंधी अंतिम मसौदा संशोधित रिपोर्टों को तैयार किया जा रहा है। केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में नदी गंडक संबंधी मसौदा आकृति विज्ञान रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इलाहाबाद से बक्सर तक नदी गंगा और नदी ब्रह्मपुत्र संबंधी आकृति विज्ञान अध्ययन वैचारिक चरण पर है। सभी हिमालयीय नदियों के आकृति विज्ञान अध्ययन संबंधी स्थाई समिति के गठन हेतु जल संसाधन मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर जल संसाधन मंत्रालय ने कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियों के आकृति विज्ञान अध्ययनों हेतु गठित पूर्व में गठित समितियों के प्रतिस्थापन में जून, 2006 में भारत की हिमालयीय नदियों आकृति विज्ञान अध्ययन संबंधी स्थाई समिति का गठन किया है। समिति की प्रथम बैठक नई दिल्ली में 13 दिसम्बर, 2006 को सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में दसवीं योजना में विचारार्थ 6 बाढ़ प्रवण नदियों के अध्ययनों को जारी रखने के अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 10 और नदियों, अर्थात

महानन्दा, महानदी, यमुना, तापी, कृष्णा, तुंगभादरा, शारदा, रापती, बागमती तथा हसरी सहायक नदियों तथा ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी एवं पगलादिया सहायक नदयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की द्वारा तैयार की गई नदी कोसी संबंधी मसौदा आकृति विज्ञान रिपोर्ट स्थाई समिति के विचाराधीन है। कोसी, घाधरा, सतलुज और गंगा नदियों के आकृति विज्ञान अध्ययन 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिप्लवन होगें।

सदस्य (नदी प्रबंध) की अध्यक्षता में पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के लिए नदियों में न्यूनतम प्रवाह संबंधी जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण को सलाह देने से संबंधित कार्यकारी दल ने जल गुणवत्ता समीक्षा समिति को सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण ने जल गुणवत्ता के संकट को कम करने की दृष्टि से जल की चोरी पर रोक लगाने तथा भूमि नदी और अन्य निकायों संबंधी उपचारित वाहित मल/ट्रेड बहिःस्रावों के निस्सारण संबंधी स्कीमों को तैयार करने के लिए सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक स्थाई दल–।। की गठन भी किया है। 2006–07 के दौरान दल की तीन बैठकें आयोजित की गई और नदी के पहुंच मार्गों के चुनिंदा स्थानों में प्रदूषकों को कम करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु विचारार्थ विषय तैयार किए गए और जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए।

3.7 जल गुणवत्ता प्रबोधन

केन्द्रीय जल आयोग भारत के सभी बृहत् नदी बेसिनों को शामिल करके विभिन्न पैरामीटरों के विश्लेषण के लिए त्रि–आयामी प्रयोगशाला प्रणाली के साथ 371 प्रमुख स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है । भारत की मुख्य नदियों पर स्तर–एक प्रयोगशालाएं 258 क्षेत्रीय जल गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों पर स्थित हैं जिनमें नदी जल के भौतिक पैरामीटर जैसे तापमान, रंग, सुगन्ध, विशेष चालकता कुल धुलनशील ठोस पदार्थ, फॉसफोरस और घुलनशील ऑक्सीजन का पता लगाया जाता है । इसके अलावा नदी जल के 25 भौतिक रसायन विशेषताओं और जीवाणु संबंधी पैरामीटरों का विश्लेषण करने के लिए चुनिंदा प्रभागीय मुख्यालयों पर 24 स्तर दो प्रयोगशालाएं स्थित हैं । 4 स्तर तीन/दो प्रयोगशालाएं वाराणसी, दिल्ली, हैदराबाद और कोयम्बटूर में कार्य कर रही हैं जहां पर 41 पैरामीटर, भारी अवयव/विषैले पैरामीटर और कीटाणुनाशक जिसमें शामिल है, का विश्लेषण किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों को आंकड़ा आधार प्रणाली में कम्प्यूटरीकृत किया जाता है और जल गुणवत्ता वर्ष पुस्तिका और जल गुणवत्ता बुलेटिनों के रूप में प्रचार–प्रसार किया जाता है जिन्हें वार्षिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है और जल गुणवत्ता बुलैटिन नियमित रूप से जारी किए जाते हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल संसाधनों की गुणवत्ता को बनाए रखने में समन्वित प्रयासों के लिए जून, 2001 के पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण का गठन करके एकीकृत रूप से जल गुणवत्ता प्रबोधन पर बल दिया है । केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अधिकतर राज्य स्तर की जल गुणवत्ता पुनरीक्षण समितियों के सदस्य–सचिव हैं ।

जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण ने पारि–प्रणाली को संरक्षित करने के लिए नदियों में न्यूनतम प्रवाहों पर जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण को परामर्श देने के लिए सदस्य, (नदी प्रबंध) केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया है । जल गुणवत्ता के संकट को कम करने के लिए भूमि, नदी और अन्य जल निकायों पर संसाधित मल–जल/औद्योगिक बाहीस्रावों के जल पृथक्करण/निस्सरण में प्रतिबंध लगाने के लिए स्कीमें तैयार करने के लिए सदस्य(नदी प्रबंध) की अध्यक्षता में स्थाई दल–2 का गठन किया गया है । 2006–07 के दौरान दल की तीन बैठकें आयोजित की गई थीं और नदी पहुॅचों में चुनिंदा स्थानों में प्रदूषकों को कम करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए विचारार्थ विषय तैयार किए गए और जल गुणवत्ता निर्धारण प्राधिकरण को भेजे गए ।

3.8 तटीय अपरदन

भारतीय तटरेखा के एक बड़े भाग को विभिन्न कारणों, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित, की वजह से निरन्तर अपरदन का सामना करना पड रहा है। राष्ट्रीय जल राशि कार्यालय, देहरादून के अनुसार भारतीय तटरेखा की लम्बाई बढ़कर लगभग 7516.60 किलोमीटर हो गई है । लगभग सभी समुद्री राज्यों/संघषासित प्रदेशों को विभिन्न मात्रा में तटीय अपरदन समस्या का सामना कर पड़ रहा है।

समुद्री अपरदन से सुमेद्य तटीय क्षेत्रों के संरक्षण में समुद्री राज्यों/संघशासित प्रदेशों को सहायता देने की दृष्टि से निम्नानुसार दो स्कीमें हैं:–

3.8.1 केन्द्रीय प्रायोजित योजना

दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए 20.64 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से तटीय और गंगा बेसिन राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों में नाजुक अपरदन रोधी कार्यों संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना मार्च, 2004 में अनुमोदित की गई थी। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु के तटीय संरक्षण कार्यों तथा तट पोषण संबंधी मार्गदर्शी परियोजना और तटीय एटलस की तैयारी संबंधी प्रस्तावों को योजना में शामिल किया गया था। यह योजना अब राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दी गई है। बाद में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में संशोधित करके 46.17 करोड़ रूपए कर दिया गया था:–

1. जम्मू एवं कश्मीर में झेलम, चेनाब तथा तवी नदियों के महत्वपूर्ण पहुंचमार्गों में अपवहन संबर्धन तथा बाढ़ चैनल क्षमता बढ़ाने की अपरदन रोधी योजना (अनुमानित लागत 23 करोड़ रूपए) को दसवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु तटीय तथा गंगा बेसिन राज्यों के अलावा राज्यों में महत्वपूर्ण अपरदन रोधी कार्यों की राज्य क्षेत्र योजना में शामिल किया गया था।

2. कर्नाटक राज्य की समुद्र रोधी अपरदन योजना की अनुमानित लागत 3.21 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 5.74 करोड़ रूपए कर दी गई है। इसके फलस्वरूप राज्य क्षेत्र योजना की कुल लागत बढ़कर 2.53 करोड़ रूपए हो गई है।

46.17 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत में से केन्द्रीय अंश 38.57 करोड़ रूपए तथा राज्य का अंश 7.60 करोड़ रूपए है। वित्तीय वर्ष 2006–07 तक 8.52 करोड़ रूपए का केन्द्रीय अंश निर्मुक्त किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर में झेलम, चेनाब, तवी नदियों के महत्वपूर्ण पहुंचमार्गों में अपवहन संबर्धन तथा बाढ़ चैनल क्षमता बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर सरकार को अग्रिम के रूप में निमुक्ति हेतु 15.50 करोड़ रूपए (केन्द्रीय अंश) की प्रथम किश्त की सिफारिश की गई है।

3.8.2 राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना

तट अपरदन से समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के तटीय क्षेत्रों के संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय तटीय संरक्षण परियोजना तैयार की जा रही है ताकि नाहरी संसाधनों अथवा अन्य घरेलू संसाधनों के माध्यम से वित–पोषण की सम्भावना का पता लगाया जा सके। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश का प्रस्ताव परियोजना में शामिल करने हेतु स्वीकार्य पाया गया है जबकि आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात के तटीय राज्यों और लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश से केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अंडमान और निकाबार द्वीपसमूह के संघ शासित प्रदेश ने अभी तक कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

3.8.3 तटीय संरक्षण और विकास सलाहकार समिति

संरक्षित तटीय क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से पूर्व में गठित तट अपरदन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था और सदस्य (नदी प्रबंध) की अध्यक्षता में अप्रैल, 1995 में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तटीय संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति के रूप में पुनः नाम दिया गया जिसमें सभी तटीय राज्यों और संबद्ध केन्द्रीय विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। तटीय संरक्षण और विकास सलाहकार समिति की अभी तक 10 बैठकें हो चुकी हैं, गत बैठक 18–19 जनवरी, 2007 के दौरान विशाखापटनम में आयोजित की गई थी।

3.9 उत्तर पूर्व जल संसाधन प्राधिकरण

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल संसाधन विकास हेतु संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श के पश्चापत् ससक्तिशील–स्वतःपूर्ण सत्ता अर्थात उत्तर पूर्व जल संसाधन प्राधिकरण का गठन करने का प्रस्ताव है। अरूणाचल प्रदेश सरकार प्रस्तावित प्राधिकरण की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव से सहमत नहीं था और उसने विशेषकर विद्यमान संगठनों अर्थात केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण आदि, जो उत्तर पूर्व क्षेत्र में जल संसाधन परियोजनाओं का विकास करते समय बाढ़ प्रबंधन के मामलों को ध्यान में रखता है, की दृष्टि से ऐसी आवश्यकता के बारे में अनिच्छा जाहिर की थी। इन विचारों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था।

तत्पश्चात् मार्च, 2006 में सचिव (जल संसाधन) द्वारा ली गई बैठक में अतिरिक्त लाभ संबंधी मामलों, जिनका जल विद्युत परियोजनाओं के कारण जलमग्नता, संबद्ध अवसंरचना एवं पुनर्वास पैकेज के विकास और परियोजनाओं हेतु पस्तावित प्राधिकरण के अधिकार के प्रावधान आदि पर विचार करके अरूणाचाल प्रदेश में विस्तार किया गया था, पर चर्चा की गई।

विचार विमर्श करने तथा उत्तर पूर्व जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना के माध्यम से अरूणाचल प्रदेश की जलविद्युत क्षमता का उपयोग करके तथा क्षेत्र का एकीकृत विकास करके सर्वसम्मति बनाने संबंधी एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया गया है। उच्च स्तरीय दल के निम्नलिखित शामिल हैंः–

1. प्रोफेसर सेफ्फदीन सोज, जल संसाधन मंत्री – अध्यक्ष
2. डा. मोनटेक सिंह अहलूवालिया, माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग – सदस्य
3. श्री गागोंग अपांग, माननीय मुख्य मंत्री – सदस्य
4. श्री तरूण गोगई, माननीय मुख्य मंत्री, असम – सदस्य
5. डा. किरट एस. पारिख, माननीय सदस्य (जल संसाधन और Åर्जा, योजना आयोग, संयोजक)

अध्याय–चार
बेसिन आयोजना

4.1 राष्ट्रीय जल आयोजना

देष के विभिन्न भागों में जल के असमान वितरण और बाढ़ एवं सूखे के बार–बार आने से जल संसाधनों के विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधितों की भागीदारिता पर बल दिया गया है । जल संसाधनों के विकास एवं उपयोग की आयोजना एक बहु–स्तरीय प्रक्रिया है जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों और लाभभोगियों के बीच गहन सामंजस्य होता है ।

4.2 राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद (रा0 ज0 सं0 परिषद) का गठन मार्च, 1983 में एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय के रूप में किया गया, जिसके अध्यक्ष, माननीय प्रधान मंत्री जी हैं । परिषद का संघटन चित्र 4.1 में दर्शाया गया है । परिषद की अब तक 5 बैठकें हो चुकी हैं।

अध्यक्ष
भारत के प्रधानमंत्री

उपाध्यक्ष
केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री

सदस्य	**सदस्य**
केन्द्रीय मंत्री • वित्त • कृषि • विद्युत • ग्रामीण विकास • षहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन • नौवहन • पर्यावरण एवं वन • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता • पूर्वोतर क्षेत्र का विकास • आदिवासी मामले • उपाध्यक्षः योजना आयोग • **केन्द्रीय राज्य मंत्री,** – जल संसाधन – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सभी राज्यों के मुख्य मंत्री भारत के केन्द्रषासित प्रदेषों के प्रमुख

सचिव

सचिव–केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय

चित्र– 4.1 राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की संरचना

दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की 5 वीं बैठक में हुए विचार–विमर्श और तदनन्तर बनी सर्वसम्मति के पश्चात् परिषद द्वारा राष्ट्रीय जल नीति 2002 अपनाई गई जिसे सभी संबंधितों को परिचालित करने का निर्देष दिया गया । नीति का शीर्षक 'राष्ट्रीय जल नीति – 2002' है ।

4.3 राष्ट्रीय जल बोर्ड

राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन में प्राप्त प्रगति की समीक्षा के लिए और समय–समय पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद को प्रगति की सूचना देने के लिए भारत सरकार ने सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में सितम्बर, 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया है । कुछ संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिव, अध्यक्ष (केन्द्रीय जल आयोग) और राज्य/संघ शासित सरकारों के मुख्य सचिव इसके सदस्य हैं और सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) इसके सदस्य सचिव हैं । बोर्ड की संगठनात्मक संरचना चित्र 4.2 में दर्शायी गई है ।

बोर्ड ने अभी तक 12 नियमित और 2 विशेष बैठकें आयोजित की हैं। 5 जनवरी, 2005 को हुई बोर्ड की 12वीं बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई:–

- राष्ट्रीय जल बोर्ड की 11वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई
(क) राज्य जल नीतियों संबंधी रिपोर्ट
(ख) नदी बेसिन संगठनों के उपयुक्त मॉडल की सिफारिश करने के लिए अतिरिक्त सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट
- समयबद्ध तरीके से सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन
- भू–जल प्रबंधन
- सहभागी सिंचाई प्रबंधन
- सृजित संसाधनों और सुविधाओं का स्थायित्व सुनिश्चत करने हेतु विनियामक यान्त्रिकी की आवश्यकता

अध्यक्ष
सचिव
केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय

सदस्य :	**सदस्य**
सचिव – केन्द्रीय मंत्रालय : – कृषि – आयोजना – ग्रामीण विकास – शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन – नौवहन – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी – पर्यावरण एवं वन अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्रषासित प्रदेषों के प्रमुख सचिव

चित्र– 4.2 राष्ट्रीय जल संसाधन बोर्ड

बैठक के संक्षिप्त रिकार्ड और बोर्ड की सिफारिशें सदस्यों में परिचालित की गई।

4.3.1 नदि बेसिन संगठन

राष्ट्रीय जल बोर्ड ने अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में नदी बेसिन संगठन संबंधी एक समिति का गठन किया है जिसके आयुक्त (पी.पी.), जल संसाधन मंत्रालय सदस्य–सचिव हैं। आठ राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा

के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं। यह समिति देश क`जल संसाधनों के स्थाई और इष्टतम विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नदी बेसिन संगठन के मॉडलों का विस्तार से पता लगाने के लिए यांत्रिकी पर विचार–विमर्श करती है। समिति ने नदी बेसिन संगठनों की स्थापना के मॉडल कार्यतंत्र का पता लगाने के लिए चार बैठकें आयोजित की हैं। जुलाई, 2003 में पुणे में राष्ट्रीय जल अकादमी, जल संसाधन मंत्रालय एवं एकीकृत जल संसाधन विकास योजना द्वारा नदी बेसिन संगठन संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन तथा नई दिल्ली में 27–28 जनवरी, 2004 को उक्त विषय पर एक अन्य सम्मेलन आयोजित किया गया था। जून, 2004 में आयोजित इसकी चौथी बैठक में अंतिम रूप तैयार की गई समिति की रिपोर्ट पर बाद में राष्ट्रीय जल बोर्ड की 12 बैठक में चर्चा की गई थी। सदस्य रिपोर्ट की जांच करने तथा अपनी टिप्पणियां/विस्तार भेजने के लिए सहमति हो गए थे।

4.4 जल का अंतर बेसिन अन्तरण और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के साथ पारस्परिक वार्ता

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ जल संसाधन विकास के लिए सम्पर्क नहरों की व्यवर्हायता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अन्तर बेसिन अन्तरणों और क्षेत्रीय सर्वेक्षण और अन्वेषणों के साथ–साथ अधिशेष जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में देने के लिए जल संतुलन अध्ययन, सम्पर्क नहर अध्ययनों के कार्य में लगा हुआ है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग सदस्य, (जल आयोजना एवं परियोजना) और सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) केन्द्रीय जल आयोग इस संस्था और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के शासी निकाय के सदस्य हैं।

4.1.1 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष है और सदस्य (अभि. एवं अनु.), केन्द्रीय जल आयोग एवं सदस्य (ज.आ. एवं परि.), केन्द्रीय जल आयोग राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य हैं।

तकनीकी सलाहकार समिति की 35वीं बैठक 22 सितम्बर, 2006 को हुई थी और निम्नलिखित रिपोर्टों के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई थी :–

(i) उकाई बांध तक तापी बेसिन का प्रारम्भिक जल संतुलन अध्ययन
(ii) पार– तापी नर्मदा संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट
(iii) पार्वती–कालीसिंद–चम्बल संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट
(iv) महानदी–गोदावरी–कृष्णा पेनार–कावेरी–वैगई–गुण्दर संपर्क की संपर्क प्रणाली की व्यवहार्यता रिपोर्ट
(v) दमन गंगा–पिंजल संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट
(vi) एन.पी.पी. के हिमालयीय नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययनों की स्थिति
(vii) जोगी गोपे–तीस्ता फरक्का संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट

4.4.2 मतैक्य समूह

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की शासी निकाय की 42वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में अधिशेष जल के बंटवारे के संबंध में राज्यों के बीच सर्वसम्मति की प्रक्रिया तथा नदियों को आपास में जोड़ने के संबंध में स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के मामलों पर विचार करने का शीघ्र कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के अर्थात एवक सर्वसम्मति दल का गठन किया गया है।

सर्वसम्मति दल की अभी तक आठ बैठकें हुई हैं। दमन गंगा–पिंजल और पार–तापी नर्मदा संपर्क पर विचार करने के लिए 12 मई, 2006 और 1 फरवरी, 2007 को सर्वसम्मति दल की क्रमशः 7वीं और 8वीं बैठक आयोजित की गई थी।

4.4.3 नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्य को शीघ्र करने हेतु समिति

जल संसाधन मंत्रालय ने केन बेतवा संपर्क परियोजना के कार्य को शीघ्र करने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया है :–

1) सचिव, जल संसाधन के अन्तगर्त पर्यावरण विद्वानों एवं सामाजिक क्षेत्रों की समिति। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के सदस्य हैं। समिति ने 18.01.2005, 28.10.2005 एवं 04.09.2006 को 3 बैठकें आयोजित की हैं तथा केन बेतवा संपर्क परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया है।
2) केन बेतवा संपर्क परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के समग्र कार्य के प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन बेतवा संपर्क विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रबोधन समिति। समिति की दूसरी तथा तीसरी बैठक 1 अगस्त, 2006 तथा 9 जनवरी, 2007 को आयोजित की गई थी। केन बेतवा संपर्क परियोजना और पी.ई.आर.टी.। सी.पी.एम. चार्टों की समीक्षा की गई।
3) सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में केन बेतवा संपर्क की संचालन समिति। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के सदस्य हैं। 2 फरवरी, 2007 को हुई संचालन समिति की प्रथम बैठक में केन बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाने पर चर्चा की गई।

4.5 पोडियम मॉडल

पोडियम, एक पॉलिसी डॉयलॉग मॉडल है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, कोलम्बो, श्रीलंका द्वारा विकसित किया गया है तथा बाद में केन्द्रीय जल आयोग के तकनीकी आदानों से भारतीय शर्त्तों में इसमें संशोधन किया गया था। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अवधारणाओं के आधार पर खाद्यान्न आवश्यकताओं, जल आवश्यकताओं और जल संतुलन स्थितियों के विभिन्न परिदृश्यों को सृजित करना है अर्थात यदि जनसंख्या वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत तक कम हो जाती है, तब 2025 में सतही जल की क्या स्थिति होगी, यदि सिंचित क्षेत्र लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ जाता है तब स्थिति क्या होगी, यदि बायोटक्नोलॉजी की सहायता से पैदावार की वृद्धि होती है तब क्या होगा। उपयोगकर्ता विभिन्न उपलब्ध विकल्पों की जांच के द्वारा संवेदात्मक विश्लेषण भी कर सकता है। मॉडल में विश्लेषण का युनिट एक उप–बेसिन अथवा बेसिन है, यद्यपि विष्लेषण प्रशासनिक सीमाओं अर्थात राज्य–वार भी किया जा सकता है।

सिंचाई तथा अपवहन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा शुरू किए गए देशीय नीति समर्थन कार्यक्रम के अन्तर्गत पोडियम माडल का उपयोग करके पूर्वी तट पर ब्रह्मणी जल अधिशेष बेसिन तथा पश्चिमी तट पर साबरमती जल की कमी वाले वेसिन का अध्ययन कार्य पूरा किया गया। वर्ष के दौरान अध्ययन की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और यह रिपोर्ट मुद्रणाधीन है।

4.6 सिंचाई परियोजनाओं का प्रचालन तथा रखरखाव

सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्टाफिंग लागतों संबंधी सूचना को एकत्र, संकलन, कार्यवाही और विश्लेषण करने तथा सिंचाई

परियोजनाओं के प्रचालन और रखरखाव में स्थापना घटकों हेतु मानदण्डों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

(क) आकड़ों के संग्रहण तथा संकलन के लिए स्रोतों को अभिज्ञात करना तथा समीक्षा करना।

(ख) सिंचाई परियोजनाओं के प्रचालन और रखरखाव में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यों के लिए स्टाफ संबंधी व्यय का विश्लेषण करना।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं के प्रचालन और रखरखाव में स्थापना घटकों हेतु मानदंडों का पता लगाता।

समिति ने 2004—05 के दौरान चार बैठकों का आयोजन किया है और अनेक सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट दिसम्बर, 2005 में जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी।

4.7 जलाषय की प्रचालन नियमावली

4.7.1. टिहरी बांध परियोजना

टिहरी जलाषय प्रचालन नियमावली को तैयार करने का प्राधिकार का उल्लेख टीएचडीसी और केन्द्रीय जल आयोग के मध्य हस्ताक्षरित दिनांक 15 अक्तूबर, 2001 के समझौता ज्ञापन में किया गया है। यह कार्य जलाषय प्रचालन निदेषालय में 2003 में प्रारंभ किया गया। टिहरी प्राधिकारियों के साथ विस्तृत विचार—विमर्ष करके और 69 वर्षों के अनुक्रण के आधार पर टिहरी परियाजना की जलाषय प्रचालन नियमावली तैयार की गई है तथा पहले तैयार की गई मसौदा नियमावली संबंधी टिहरी जलविद्युत निगम की टिप्पणियों को निगमित करने के पश्चात् टिहरी जलविद्युत निगम को परिचालित की गई।

4.7.2 बाणसागर परियोजना

दिनांक 8 मार्च, 2002 के संकल्प के तहत् अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बाणसागर जलाशय नियमन समिति का गठन किया गया था जिसमें तीन सह—बेसिन राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार) तथा केन्द्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा अन्य बातों के साथ—साथ बाणसगर जलाशय की फिलिंग और उपयोग के विनियमन हेतु नियम बनाने के लिए सचिव, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड इसके सचिव हैं ताकि बाणसागर परियोजना संबंधी समझोते के प्रावधानों के भीतर सदस्य राज्यों की मांग को पूरा किया जा सके।

16 जुलाई, 2003 को हुई बाणसागर बांध जलाशय नियमन समिति की प्रथम बैठक के दौरान बाणसागर जलाशय प्रचालन नियमावली तैयार करने का कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा गया था।

जलाशय के निष्पादन का मूल्यांकन करने जलाशय विनियमन नीति, अर्थात नियम वक्रता स्तर प्राप्त करने हेतु अनुरूपण तकनीकों का उपयोग करके बाणसागर जलाशय के विनियमन का अध्ययन कार्य किया गया है। जलाशय परिचालन मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए थे तथा सदस्य सचिव (बाणसागर बांध जलाशय विनियमन सिमिति) के माध्यम से मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के सह—बेसिन राज्यों को

इस अनुरोध के साथ परिचालित किए गए थे कि वे राज्य की टिप्पणियां तथा विभिन्न अध्यायों, अर्थात बाढ़पूर्वानुमान नेटवर्क, प्रारम्भिक भराई सूची, आपदा प्रबंधन योजना आदि संबंधी आदान प्राप्त करे।

4.8 एकीकृत नदी बेसिन आयोजना विकास एवं प्रबंधन

राष्ट्रीय जल नीति 2002 के अनुसार जल एक कमी वाला और कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे राज्यों के सामाजिक–आर्थिक पहलुओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एकीकृत और पर्यावरणीय आधार पर नियोजित, विकसित संरक्षित और प्रबंधित किया जाना है। स्थाई तरीके से इस महत्वपूर्ण संसाधन को विकसित, संरक्षित, उपयोग और प्रबंध संबंधी प्रयासों को राष्ट्रीय परिपेक्ष्य द्वारा नियन्त्रित किया जाना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए :–

- सिंधु जल संधि के अन्तर्गत यथा स्वीकार्य पश्चिमी नदियों की क्षमता का उपयोग करने के लिए कार्यकारी योजना तैयार करने हेतु जम्मू एवं कश्मीर के अनुरोध पर अपर सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में गठित समिति ने 18 जनवरी, 2006 को हुई अपनी प्रथम बैठक में ग्रुप लीडर के रूप में मुख्य अभियंता (बी.पी.एम.ओ.), केन्द्रीय जल आयोग के साथ एक उपदल का गठन किया ताकि सिंधु, चिनाब और झेलम बेसिनों के लिए एक संदर्शी योजना बनाई जा सके।
- बेसिन आयोजना निदेशालय ने झेलम, चिनाब और सिंधु नदी बेसिनों हेतु बेसिन योजना की तैयारी में उपदल की सक्रिय रूप से सहायता प्रदान की और उक्त पर 22 फरवरी, 2007 को हुई समिति की तीसरी बैठक में विचार–विमर्श किया गया। रिपोर्ट में व्यापक रूप से अनेक पहलू कवर किए गए हैं जिसमें बेसिन को विशेषताएं, सतही जल संसाधन, सिंचाई, जल विद्युत, घरेलू क्षेत्र, बाढ़ प्रबंधन के बारे में बेसिन विकास की स्थिति सिंध ु जल संधि के अनुसार नियुक्तियां के माध्यम अतिरिक्त आई.सी.ए. का विकास, विभिन्न कार्यक्रम जिनके अन्तर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाता है, चालू स्कीमों का प्राथमिकीकरण और भावी विकास दृश्यलेख शामिल है।
- दामोदर बारकर बेसिन का व्यापक प्रणाली अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है और सदस्य–सचिव, डी. वी.आर.आर.सी. के माध्यम से सह–बेसिन राज्यों और दामोदर घाटी निगम को परिचालित कर दिया गया है।
- नदी बेसिन मास्टर योजना, 2007 की तैयारी संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

4.9 लघु सिंचाई सहित सिंचाई संबंधी कृषि और संबद्ध मामलों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की उप समिति का कार्यकारी दल

04.10.2005 को हुई कृषि और संबद्ध मामलों संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् की उप समिति की प्रथम बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में योजना आयोग ने नवम्बर, 2005 को श्री विलासराव देशमुख, महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में कार्यकारी दल का गठन किया है, सदस्य (ज.आ. एवं परि.), केन्द्रीय जल आयोग दूसरे सदस्य संयोजक हैं।

केन्द्रीय जल आयोग को विचाराधीन विषय (i) अर्थात "सतही भू–जल क्षमता की उपलब्धि का मूल्यांकन" संबंधी एक अध्याय तैयार करने का कार्य आवंटित किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग में उपलब्ध सूचना, राज्यों से प्राप्त विभिन्न आदानों तथा ब्रेनस्टोर्मिंग सत्र में की गई सिफारिशों के आधार पर बेसिन आयोजना निदेशालय ने विचाराधीन विषय (i) तैयार किया है और इसे कार्यकारी दल को प्रस्तुत कर दिया गया है।

4.9 जल वर्ष 2007

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2007 को 'जल वर्ष' के रूप में घोषित किया हैं जिसमें जल क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन संबंधी कानून, सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, किसानों को जल उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु विद्यमान परियोजनाओं का रख–रखाव, जन समूह के लिए जागरूकता कार्यक्रम, महत्वपूर्ण विकास और प्रबंधन मामलों पर सम्मेलनों, कार्यशालाओं के आयोजन सहित उपयुक्त उपायों पर विकासशील सर्वसम्मति पर बल दिया गया है। इस वर्ष के जल संसाधन दिवस के लिए विषय वस्तु जल संसाधनों के संरक्षण में लोगों की सहभागिता तथा इसकी गुणवत्ता के परिरक्षण को चुना गया है।

वर्ष जल दिवस 22 मार्च, 2007 के अवसर पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने इस विषय–वस्तु पर विस्तृत प्रस्तुति की है।

अध्याय – पांच

अभिकल्प एवं परामर्श

5.1 सामान्य

केन्द्रीय जल आयोग में अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध, जल संसाधन परियोजनाओं के अभिकल्प और परामर्श पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न अभिकरणों द्वारा तैयार की गई जल संसाधन विकास परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन के अलावा इस स्कंध के विभिन्न एकक जल संसाधन क्षेत्र और नदी घाटी परियोजनाओं के अभिकल्प परामर्श, तकनीकी अध्ययनों, अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य–कलापों के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध है।

5.2 जलीय संरचनाओं का अभिकल्प

अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध लगभग सभी प्रमुख जल संसाधन परियोजनाओं के अभिकल्प में, परामर्शदाता के रूप में अथवा तकनीकी मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रूप से जुड़ा रहता है। विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने और विशेष डिजाइन से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देने के लिए निम्नलिखित चार अभिकल्प यूनिट स्थापित किए गए हैं :–

1. अभिकल्प (उत्तर एवं पश्चिम) एकक
2. अभिकल्प (उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण) एकक
3. अभिकल्प (पूर्व एवं पूर्वोत्तर)
4. अभिकल्प (नर्मदा बेसिन)

5.2.1 विस्तृत अभिकल्प एवं आरेख तैयार करना

केन्द्रीय जल आयोग के अभिकल्प एककों द्वारा वर्ष 2006–07 के दौरान नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार 125 परियोजनाओं के अभिकल्प तैयार किए :–

क्रमांक	वर्ग	
1.	निर्माण स्तर पर परियोजनाएं	69
2.	अन्वेषण और आयोजना स्तर पर परियोजना (जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है)	41
3.	विशेष समस्याओं वाली परियोजनाएं	15
	कुल	125

सभी 125 परियोजनाओं का ब्यौरा चित्र–5.1 में और
परियोजनाओं की सूची अनुबंध–5.1 में दर्शाई गई है ।

चित्र–5.1

अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध में परामर्शी परियोजनाएं

त्रिपुरा(2), उत्तरप्रदेश (3), उत्तराखंड (11), अफगानिस्तान (1), भूटान (9), नेपाल (4), आंध्रप्रदेश (3), अरूणाचलप्रदेश (8), अंडमान एवं निकोबार (4), असम (4), बिहार (4) छत्तीसगढ़ (6), गुजरात (3), हिमाचल प्रदेश (5), जम्मू एवं कश्मीर (9), झारखंड (5), मध्यप्रदेश (19), महाराष्ट्र (9), मणिपुर (4), मेघालय (3), मिजोरम (4), उड़ीसा (3), राजस्थान (1), सिक्किम (1)

कुछ प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो इस समय अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध में अभिकल्पित / तैयार की जा रही है, निम्न प्रकार हैं :–

(1) पंचेश्वर बहुउददेशीय परियोजना एवं पूर्णागिरि पुनः नियामक बांध (भारत–नेपाल)

भारत–नेपाल द्विपक्षीय सहयोग के अन्तर्गत पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यक्षेत्र पर सक्रिय रूप से विचार विमर्श किया जा रहा है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने हेतु इसे परिभाषित किया जा रहा है। 1996 में यथाहस्ताक्षरित महामहिम नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच हुई संधि में पंचेश्वर परियोजना, शारदा बराज परियोजना और टनकपुर बराज परियोजना समेत महाकाली नदी के एकीकृत विकास के लिए रूपरेखा निर्धारित की गई है। इसके पश्चात् विशेषज्ञों के संयुक्त दल की कई बैठकें हुईं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अध्याय और आरेख पहले ही तैयार कर लिए गए हैं।

प्रस्तावित परियोजना में महाकाली और सरयू नदी के उद्गम स्थल के ठीक अनुप्रवाह पर 293 मीटर ऊँचे रॉकफिल बांध की परिकल्पना की गई है। इसमें सेंट्रल क्ले कोर और बांध का षीर्ष 695 मीटर होगा और सक्रिय भंडारण क्षमता 9.24 बिलियन क्यूबिक मीटर और 2.15 बिलियन क्यूबिक मीटर की निष्क्रिय भंडारण क्षमता होगी। परियोजना क्षेत्र में नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है जो नेपाल के दूरवर्ती पष्चिमी विकास क्षेत्र को भारत में उत्तर प्रदेष राज्य से विभाजित करती है।

पंचेश्वर परियोजना में पुनः नियामक बांध की परिकल्पना की गई है जिसके लिए दो विकल्पों अर्थात पूर्णागिरि (1020 मेगावाट) और रूपालीगाद (500 मेगावाट) पर विचार किया गया था। नेपाल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में रूपालीगाद में पुनः नियामक परियोजना का प्रस्ताव किया गया है जिसे प्रारंभ में भारतीय पक्ष द्वारा समर्थन नहीं दिया गया था। इसके बजाय भारतीय पक्ष ने पूर्णागिरि को पुनः नियामक परियोजना के रूप में प्रस्ताव किया था। इसकी पुनरीक्षा जल संसाधन मंत्रालय में की गई और दोनों विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लिया गया था। रूपालीगाद परियोजना के लिए भू–भौतिकीय अन्वेषण किए जाने हैं और भू–भौतिकीय अन्वेषणों के परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तथापि, पूर्णागिरि में पुनः नियामक बांध के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया गया है।

(2) ताला जल विद्युत परियोजना, (भूटान)

इस परियोजना में 820 मीटर के अभिकल्प शीर्ष के अन्तर्गत 1020 मेगावाट (6X170 मेगावाट) विद्युत उत्पन्न करने के लिए 142.5 क्यूमेक जल को 22.40 कि0मी0 हैड रेस टनल में व्यपवर्तन करने के लिए मौजूदा चूखा जल विद्युत परियोजना हौंका के निकट 3 कि.मी. अनुप्रवाह पर वांगचू नदी पर 91 मी. ऊंचे और 130 मीटर लम्बे कंक्रीट गुरूत्व वाले व्यपवर्तन बांध की परिकल्पना की गई है। केन्द्रीय जल आयोग को विनिर्देशन/निर्माण स्तर के कार्यों के लिए एक अभिकल्प परामर्शदाता के रूप में चुना गया है। यह परियोजना वर्ष के दौरान पूर्णतः चालू हो गई है।

(3) टिहरी बांध परियोजना (उत्तर प्रदेश)

टिहरी बांध परियोजना प्रथम बहु–उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है जो इसकी व्यापक क्षमता को काम में लाने के लिए नदी भागीरथी पर निर्माण करने हेतु शुरू की गई है और यह टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा निष्पादित की जा रही है। 260.5 मीटर ऊँची मृदा एवं प्रस्तरपूर बांध का निर्माण किया गया है, जो विश्व का चौथा ऊँचा बांध है, बांध और अनुबद्ध संरचना, अर्थात शूट उत्पलाव, शैफ्ट उत्पलाव, अन्तर्वर्ती स्तरीय निर्गम आदि हेतु निर्माण आरेखण सहित अभिरूप इंजीनियरी और परामर्श की अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध द्वारा देखरेख की जा रही है। बाएं तथा दाए अंत्याधार से जुड़े भराव 29 अक्टूबर, 2005 को बांध के कोर में निरीक्षण दीर्घा उपलब्ध कराई गई है जो भारत में पहली बार के लिए शुरू किए गए प्रस्तरपुर बांध की एक अनूठी विशेषता है। जलाशय का नियंत्रित भराव शुरू हो गया है और परियोजना, 250 मैगावाट के एक यूनिट के लिए 22 सितम्बर, 2006 से उत्पादन के लिए तैयार है।

सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग, टिहरी जल विद्युत विकास निगम के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। केन्द्रीय जल आयोग टिहरी बांध के सुरक्षा पहलुओं विशेषकर भूकम्प संबंधी मामलों के संबंध में तथा जलाशय की प्रथम भराई के बारे में टिहरी जल विद्युत विकास निगम तथा विद्युत मंत्रालय को सलाह दे रहा है।

(4) कोटेष्वर जल विद्युत परियोजना (उत्तरांचल)

कोटेष्वर जल विद्युत परियोजना टिहरी विद्युत परिसर का एक एकीकृत भाग है, जिसमें भगीरथी नदी की जल–विद्युत क्षमता का विकास करने के लिए टिहरी बांध एवं जल विद्युत संयंत्र (1000 मेगावाट) टिहरी पम्प भंडारण संयंत्र (1000 मेगावाट) और कोटेष्वर जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट) षामिल है। इस परियोजना में भगीरथी नदी पर 97.5 मीटर Åँचा गुरूत्व बांध के निर्माण और टिहरी बांध स्थल के लगभग 20 किलोमीटर अनुप्रवाह टिहरी जिले के पिंडरस गांव के निकट कोटेश्वर पर 4X100 मैगावाट संस्थापित क्षमता के साथ दाएं तट पर पदाग्र सतही विद्युत गृह की परिकल्पना की गई है। कोटेष्वर बांध द्वारा सृजित जलाषय कोटेष्वर जल स्कीम के लिए संतुलन जलाषय के साथ–साथ पम्पिंग भंडारण कार्य करेगा। इससे 2400 मेगावाट की प्रतिस्थापित क्षमता वाले उत्तरी ग्रिड में बड़े षीर्ष केन्द्र के रूप में टिहरी विद्युत परिसर के कार्य करने में सुविधा होगी।

केन्द्रीय जल आयोग और टिहरी जल विद्युत विकास निगम के बीच सम्पन्न समझौता ज्ञापन के अनुसार अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध कोटेश्वर बांध, उत्प्लव मार्ग, विद्युत गृह, अंतर्ग्राही और विर्सजनी तथा यंत्रीकरण हेतु अभिकल्प परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। परियोजना के सभी सिविल घटकों का उत्खनन और निमार्ण कार्य जोरों पर है। परियोजना प्राधिकारियों की आवश्यकताओं के अनुसार उक्त के

लिए आवश्यक अभिकल्प एवं आरेखण समय पर जारी किए जा रहे हैं। इस परियोजना के 2008 में चालू हो जाने की आशा है।

(5) सरदार सरोवर परियोजना (गुजरात)

सरदार सरोवर परियोजना में नदी नर्मदा के पार 1163 मीटर Åचे और 1210 मीटर लम्बे कंक्रीट गुरूत्व बांध तथा 1450 मै.वा. की कुल संस्थापित क्षमता से दो विद्युत गृहों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसमें 17.92 लाख है. क्षेत्र में सिंचाई तथा 8215 गांवों और 135 शहरी केन्द्रों में पेयजल हेतु 458 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात के अन्तर्गत 6X200 मै.वा. दायां तट शीर्ष विद्युत गृह और 5X50 मै.वा. नहर शीर्ष विद्युत गृह की पूर्ण आयोजना, अभिकल्प एवं निर्माण आरेखणों के लिए परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्प्लावमार्ग को ई. एल. 121.92 मीटर (शिएबर स्तर) तक बढ़ाया गया है, जिसके कारण नहर शीर्ष विद्युत गृह के सभी यूनिट (प्रत्येक 50 मै.वा. के 6 यूनिट) तथा दायां तट विद्युत गृह के प्रत्येक 200 मै.गा. के 6 यूनिट जून, 2006 में चालू किए गए हैं। केन्द्रीय जल आयोग बाधाओं को अभिज्ञात करने तथा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बांध सुरक्षा पेनल, परियोजना समीक्षा पेनल, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को उपचारी उपाय सुझाने तथा सलाह देने के कार्य में लगा हुआ है। केन्द्रीय जल आयोग चरणों में बांध की लम्बाई बढ़ाने से संबंधित अभिकल्प संबद्ध मामलों में भी लगा हुआ है।

(6) लोहरीनाग पाला तथा तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना (उत्तरांचल)

वर्ष 2005–06 के दौरान राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम तथा केन्द्रीय जल आयोग के बीच 600 मै.वा. लोहरीनाग पाला तथा 520 मै.वा. तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी तथा स्थल से सम्बद्ध मामलों हेतु निर्माण के दौरान प्रीअवार्ड इंजीनियरी तथा सहायता सहित पूर्ण अभिकल्प इंजीनियरी हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 2005–06 के दौरान दोनों परियोजनाओं की पूर्ण निविदा चरण आरेखण जारी किए हैं। वर्ष 2006–07के दौरान लोहारी नागपाला परियोजना के लिए दबाव शाफ्ट के गढ़ाई तथा उत्थापन के लिए विशिष्ट आरेखण तथा दाबरानी प्रवेश व प्रवेशद्वार के लिए निर्माण आरेखण जारी किए गए हैं।

(7) सप्त कोसी उच्च बहुउद्देश्यीय परियोजना (भारत–नेपाल)

सप्त कोसी उच्च बहुउद्देश्यीय प्रारम्भिक अध्ययनों के अनुसार 3000 मै.वा. (50 प्रतिशत भार घटक के रूप में) की संस्थापित क्षमता से बांध पदाग्र विद्युत गृह के जरिए नदी जल के विपथन हेतु 269 मीटर ऊँचे बांध के निर्माण तथा बांध के एक किलोमीटर अनुप्रवाह में बेराज के निर्माण के जरिए 15.22 लाख निवल कमान क्षेत्र में सिंचाई की परिकल्पना की गई है। नहर प्रणाली के साथ नहर किस्म के तीन विद्युत गृहों का निर्माण करके 300 मै.वा. अतिरिक्त क्षमता प्राप्त किए जाने की आशा है। भारत सरकार तथा नेपाल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्रीय अन्वेषण अध्ययन तथा सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना व सन कोसी भंडारण तथा विपथन योजना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का कार्य शुरू किया गया है। परियोजना के अन्वेषण हेतु नेपाल में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय स्थापित किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग ने किए जाने वाले अन्वेषणों को अभिज्ञात करने में संयुक्त परियोजना कार्यालय के लिए सहायता उपलब्ध कराई है। अन्वेषणों के पूर्ण होने के पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्टेज अभिकल्प इंजीनियरी उपलब्ध करायी जाएगी।

5.2.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संसाधन विकास परियोजनाएं

केन्द्रीय जल आयोग के पास बहुउद्देशीय, सिंचाई, जल आपूर्ति और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अभिकल्प एवं परामर्श कार्य हेतु पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक समर्पित अभिकल्प एकक है। इसके कार्य के दायरे में ब्रह्मपुत्र बोर्ड, नीपको, राज्य सरकारी विभागों आदि द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाओं अथवा केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उत्तर–पूर्व की अन्वेषित स्कीमों के लिए पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्टें और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना भी शामिल है। पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टें और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

इस समय निर्माण स्तर पर 10 परियोजनाएं हैं, जिसके लिए अभिकल्प संबंधी परामर्श केन्द्रीय जल आयोग के अभिकल्प अनुसंधान स्कंध द्वारा दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 13 परियोजनाएं हैं जिसकी विस्तृत विद्युत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध में जिन परियोजनाओं के विस्तृत जल वैज्ञानिक अध्ययन एवं अभिकल्प संबंधी कार्य प्रगति पर हैं, उनकी सूची नीचे दी जा रही है :–

क्रम सं.	राज्य / परियोजना	स्थिति
	अरूणाचल प्रदेश	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
1.	लोहित बांध परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
2.	जियाधल जल–विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
3.	नूरानंग चू–जल–विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
4.	त्वांग चू जल–विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
5.	यूकचरोंग जल–विद्युत परियोजना (निर्माण स्तर पर)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
	असम	
6.	करबी लंगपी जल विद्युत परियोजना	निर्माण चरण
7.	पगलादिया सिंचाई परियोजना	निर्माण चरण
8.	भारभाग अपवहन विकास योजना–स्लूस रेगूलेटर	निर्माण चरण
9.	अमजूर अपवहन विकास योजना	निर्माण चरण
	मणिपुर	
10.	खुगा बहुउद्देशीय परियोजना	निर्माण चरण
11.	थाÅबल बहुउद्देशीय परियोजना	निर्माण चरण
12.	धोलेथाबी बराज परियोजना	निर्माण चरण
13.	इरांग जल विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
	मेघालय	
14.	मन्टडू जल विद्युत परियोजना	निर्माण चरण
15.	जादूकाटा बांध परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
16.	कुलसी बहुउ्देश्यीय परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण

	मिजोरम	
17.	कोलादयनी जल विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
18.	तुईरिनी जल विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
19.	तुईवाल जल विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
20.	तुइचेंग जल विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
	सिक्किम	
21.	रंजीत जल विद्युत परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चरण
	त्रिपुरा	
22.	कलासी बराज	निर्माण चरण
23.	मनु मध्यम सिंचाई परियोजना	निर्माण चरण

5.3 जल विज्ञानीय अध्ययन

जल विज्ञानीय अध्ययन संगठन, जो अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध के अन्तर्गत एक विशेषीकृत यूनिट है, देश की अधिकांश परियोजनाओं के संबंध में जल विज्ञानीय अध्ययन करता है। वर्ष 2006–07 के दौरान जल विज्ञानीय संगठन ने जल विज्ञानीय दृष्टि से 128 परियोजनाओं पर कार्य किया जिसमें से परामर्श हेतु 19 परियोजनाएं, जल विज्ञान की तकनीकी जांच/अध्ययन हेतु 101 परियोजनाएं तथा राज्य सरकार के उत्तरों की समीक्षा हेतु 8 परियोजनाएं थी। उपर्युक्त के अलावा जल विज्ञानीय संगठन यूनिट जल विज्ञान से संबंधित अन्य विशेषीकृत कार्य भी कर रहा है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

5.3.1. अप्रमापी आवाह क्षेत्र के लिए बाढ़ प्राक्कलन मॉडल

आर्थिक और समय की बाध्यता के कारण जल संसाधनों के आयोजक सभी स्थानों पर जल मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रहण नहीं कर पाते हैं। छोटे और मध्यम आवाह क्षेत्र जहां क्रास अपवाह संरचनाओं, सड़कों और रेल पुलों, छोटी जलीय संरचनाओं का नियोजन किया जाता है, को अभिकल्प बाढ़ के प्राक्कलन की आवश्यकता होती है। जल विज्ञानीय अध्ययन संगठन ने अभिकल्प बाढ़ के युक्तिसंगत अनुमान के लिए क्षेत्रीय मॉडलों की भारतीय रूपरेखा तैयार की है। देश को 7 क्षेत्रों में और आगे 26 जल मौसम विज्ञानी समरूपी उप–क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अभी तक 21 बाढ़ प्राक्कलन रिपोर्टों, जिसमें 24 उप–क्षेत्र शामिल हैं, को प्रकाशित किया गया है। शेष 2 उपक्षेत्रों में से अंडमान एवं निकोबार उप–क्षेत्र (संख्या 6) को वर्षण के रूप में शुरू नहीं किया जा सका तथा क्षेत्रीय मॉडल के विकास के लिए अपवाह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

निचली नर्मदा नदी बेसिन उप–क्षेत्र 3 (ख) की संशोधित बाढ़ प्राक्कलन रिपोर्ट का मुद्रण किया जा रहा है और बराक नदी बेसिन उप–क्षेत्र 2 (ग) हेतु बाढ़ प्राक्कलन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है।

5.3.2 सामान्य सम्भावित अधिकतम वर्षण एटलस

अभिकल्प वर्षण अनुमानों, जो अभिकल्प बाढ़ परिमाण का अभिकल्प करने में बुनियादी अदान हैं, का इस समय आयोजना एवं अभिकल्प के अन्तर्गत नए बांधों के मामले दर मामले पर परिकलन किया जाता है

परन्तु ये बड़ी संख्या में विद्यमान बांधों का पुनः मूल्यांकन हेतु बोझिल है। अभिकल्प बाढ़ अध्ययनों में अभिकल्प झंझावात गहराई का प्राक्कलन प्रमुख बाधा पायी गई है। क्योंकि आवश्यक आंकड़े कुछ ही संगठनों, अर्थात आई.एम.डी. और केन्द्रीय जल आयोग, के पास उपलब्ध है। इस पर काबू पाने के लिए सामान्य सम्भावित अधिकतम वर्षण एटलस को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें अभिकल्प झंझावात गहराई का प्रथम प्राक्कलन देने के लिए समूचे देश शामिल है। सामान्य सम्भावित अधिकतम वर्षण एटलस तैयार किया गया है और नदी बेसिनों, अर्थात कावेरी तथा पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली अन्य नदियां, कृष्णा के दक्षिण, गोदावरी और निकटवर्ती नदी बेसिन, महानदी, ब्रह्मणी, बैतरणी, सुर्वणरेखा और अन्य निकटवर्ती नदियां, सोन, बेतवा, चम्बल, माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और अन्य निकटवर्ती नदियां और पश्चिमी घाट क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, के लिए प्रकाशित किया गया है। 2006–07 के दौरान कृष्णा और सिंधु बेसिनों के लिए सामान्य सम्भावित अभिकल्प वर्षण एटलस तैयार किया गया है।

5.4 बांधों के सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा एवं आयोजना

बांध सुरक्षा संगठन, बांध सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित मामलों को देख रहे हैं :–

- अन्य जलीय संरचनाओं के अलावा बांधों और विद्युत गृहों में यंत्रीकरण।
- बांध दरार मॉडलिंग और नींव समस्याओं जैसे विशेष विश्लेषण।
- कम्प्यूटर की सहायता से अभिकल्प।
- बड़े बांधों का प्रबोधन एवं पुनर्वास।

5.4.1. बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना

बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना, जिसे विश्व बैंक (ऋण 2241–आई एन) द्वारा सहायता उपलब्ध कराई है, से प्राप्त निष्पादन और लाभ के आधार पर यह प्रस्ताव किया गया है कि बांध सुरक्षा कार्यकलापों का विस्तार उन राज्यों में भी किया जाए जिनमें बड़े बांधों की संख्या अत्यधिक है। 13 सहभागी राज्यों, अर्थात, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्राप्त विवरणों के आधार पर बांध सुरक्षा आश्वासन, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन परियोजना, जिसे अब बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना का नाम दिया गया है, नामक योजना तैयार की गई है।

इस परियोजना का उद्‌देश्य बांध सुरक्षा और सुधार निधि की स्थापना करके चुनिंदा विद्यमान बांधों तथा संबद्ध अनुबद्ध की सुरक्षा में सुधार करना तथा इष्टतम स्थाई निष्पादन करना है। बांध सुरक्षा और सुधार निधि के विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में सहभागी राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच बराबर समन्वय करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने निम्न दो समितियों का गठन किया है :–

i) सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति

ii) सदस्य (अभि. एवं अनु.), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी समिति

वर्ष 2006–07 के दौरान बांध सुरक्षा और सुधार निधि के संबंध में राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों सहित परियोजना से संबद्ध विभिन्न मामलों पर चर्चा करने के लिए 15 नवम्बर, 2007 को राष्ट्रीय स्तरीय संचालन

समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी। इस संबंध में परामर्शदाताओं को लगाकर कुछ परियोजनाओं के पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

यह योजना 11वीं योजना के अन्तर्गत बांध सुरक्षा और सुधार परियोजना नामक प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत केन्द्र में चलने वाली एक नई योजना होगी।

राज्य घटक में इस योजना के अन्तर्गत परिकल्पित कुल व्यय 2019.73 करोड़ रूपए है। यह निधि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ निधि के माध्यम से विश्व बैंक से प्राप्त होगी। राज्य अनुदान हेतु केन्द्र से अनुरोध करते रहे हैं। राज्यों में इस योजना को परिचालन करने की दृष्टि से 2000 करोड़ रूपए की धनराशि के 25 प्रतिशत अनुदान अनुदान अनुदान के रूप में माना जा सकता है अर्थात केन्द्रीय घटक में 500 करोड़ रूपए।

इस बारे में केन्द्रीय जल आयोग ने मंत्रीमंडल टिप्पणी तैयार करने के लिए सामग्री भेजी है जिसमें प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुदान के रूप में 13 सहभागी राज्य सरकारों को देने हेतु जल संसाधन मंत्रालय को 500 करोड़ रूपए आंतरित करने का प्रस्ताव किया गया है।

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित तीन प्लॉन स्कीमें अनुमोदित की गई है और डी.एस.ओ. के अन्तर्गत परिचालन में है :–

i) 800 करोड़ रूपए हेतु भारत में बांध सुरक्षा और पुनर्वास के बारे में केन्द्रीय जल आयोग में सुविधाओं और कौशल का उन्नयन। इस योजना के अन्तर्गत 2006–07 के दौरान वहन व्यय 0.74 करोड़ रूपए है।

ii) 2.99 करोड़ रूपए हेतु (क) जल विद्युत अभिकल्प (ख) पम्पित भण्डारण और (ग) यंत्रीकरण निदेशालय में विशेषीकृत यूनिटों की स्थापना करना। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 के दौरान वहन किया गया व्यय 0.14 करोड़ रूपए है।

i) नौंवी प्लॉन योजना के अनुक्रम में केन्द्रीय जल आयोग में कम्प्यूटरीकरण पर 8.00 करोड़ रूपए के परिव्यय से कम्प्यूटरीकरण/सूचना प्रणाली के उन्नयन और आधुनिकीकरण नामक जारी रहने वाली योजना को दसवीं योजना के दौरान नियंत्रित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 के दौरान वहन किया गया व्यय 0.74 करोड़ रूपए है।

उपर्युक्त के अलावा,

– नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 10.00 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से बांध सुरक्षा अध्ययन एवं आयोजना शीर्षक से एक नई योजना हेतु एक एस.एफ.सी. ज्ञापन अनुमोदन हेतु जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

– 6.50 करोड़ रूपए के परिव्यय से 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग में सूचना प्रणाली के उन्नयन और आधुनिकीकरण शीर्षक से एक नई योजना अनुमोदन हेतु जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है जिसमें वे कार्यकलाप शामिल है जिन्हें दसवीं योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यकलापों के प्राकृतिक अनुक्रम में हैं।

5.4.2 बांध सुरक्षा अधिनियम

2002 में विभिन्न राज्य सरकारों को विधिकरण हेतु बांध सुरक्षा अधिनियम का मसौदा परिचालित किया गया है। बिहार सरकार ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2006 बनाया है और केरल सरकार ने केरल सिंचाई और जल संरक्षण अधिनियम, 2003 जिसमें 2006 के अधिनियम के माध्यम से और संशोधन किया गया है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने सूचित किया है कि यह अधिनियम संबंधित सरकारों के विचाराधीन है।

5.4.3 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति

बड़े बांधों की अधिक संख्या वाले सभी राज्यों को षामिल करके उस समय मौजूद स्थाई समिति का विस्तार करके अक्तूबर, 1987 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन किया गया। बड़े बांधों की अधिक संख्या वाले राज्यों/अभिकरणों को षामिल करके राष्ट्रीय समिति का पुनर्गठन तीन बार अर्थात पहली बार दिसम्बर, 1989, इसके बाद जुलाई 1993 और नवम्बर, 1997 में किया गया।

यह समिति विभिन्न राज्यों/संगठनों में बांध सुरक्षा कार्यकलापों की निगरानी करती है और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अद्यतन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें सुधार करने का सुझाव देती है। यह विपत्ति में, पुराने बांधों के लिए उपचारी उपायों हेतु अपनाई गई तकनीकों पर विचारों के आदान–प्रदान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करती है और बांध वाले राज्यों/अभिकरणों को दिषा–निर्देष देती है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

5.4.4 भूकम्पीय और आधारभूत पहलुओं की तकनीकी जांच

आधारभूत इंजीनियरी और भूकम्पीय पहलुओं के संबंध में विभिन्न राज्यों, अर्थात उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु और मणिपुर, में 24 नदी घाटी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन हेतु अध्ययन किया गया था।

5.4.5 जलीय संरचनाओं का यंत्रीकरण

वर्ष के दौरान कुटनी जलाशय परियोजना (मध्य प्रदेश), कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (उत्तराखंड) और माइनटडू जल विद्युत प्रदाय परियोजना (मेघालय) के लिए यंत्रीकरण आरेखों की आयोजना एवं तैयारी पूर्ण की गई।

उपर्युक्त के अलावा पोलावरम (इंदिरा नगर), आंध्र प्रदेश की परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी जांच और तीस्ता जल विद्युत परियोजना (चरण–III और IV), सिक्किम, गुनडिया जल विद्युत परियोजना (कर्नाटक), निचली जुराला जल विद्युत परियोजना (आंध्र प्रदेश), लोकटक अनुप्रवाह जल विद्युत परियोजना (मणिपुर), कुण्डाह पम्पित भण्डारण जल विद्युत परियोजना (तमिलनाडु) और पनान जल विद्युत परियोजना (सिक्किम) की यंत्रीकरण प्रणाली की तकनीकी जांच की गई है।

5.4.6 भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों संबंधी राष्ट्रीय समिति

भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों संबंधी राष्ट्रीय समिति, जिसे पहले नदी घाटी परियोजनाओं में जलीय संरचनाओं के अभिकल्प भूकम्पीय गुणांक का सुझाव देने संबंधी स्थाई समिति के नाम से जाना जाता था, का गठन जून, 1969 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया था जिसमें विभिन्न तकनीकी संस्थाओं और सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उक्त का नाम बदल दिया गया और इसे अक्टूबर, 1991 में भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों संबंधी राष्ट्रीय समिति के रूप में पुनर्गठित किया गया। सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के अध्यक्ष हैं। भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटीरों संबंधी राष्ट्रीय समिति में उल्लेखित विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों को अन्तिम रूप देने के लिए इस समिति की बैठकों का आयोजन सामान्यतः वर्ष में एक बार किया जाता है।

भूकम्पीय अभिकल्प पारामीटरों संबंधी राष्ट्रीय समिति की 17वीं बैठक केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में 06.03.2007 को आयोजित की गई थी जिसमें 16 परियोजनाओं हेतु अभिकल्प भूकम्प पारामीटरों पर चर्चा की गई तथा 9 परियोजनाओं हेतु भूकम्प अभिकल्प पारामीटरों को अंतिम रूप दिया गया। पद्धति को मानकीकृत करने की दृष्टि से नदी घाटी परियोजनाओं के लिए स्थल विशिष्ट भूकम्प अध्ययन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रारूप तैयार किया गया है जिसपर अगली बैठक में चर्चा किए जाने की सम्भावना है।

5.5 विशेष अध्ययन

बांध के खराब होने की असंभाव्य स्थिति में आप्लावन मानचित्र और आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए बांध दरार विश्लेषण किया जाता है। यह बांध की परिकल्पित विफलता की स्थिति में बांध के अनुप्रवाह स्थानों में अधिकतम जल स्तर का प्राकक्लन किया जाता है। डेनिश जलीय संस्थान, डेनमार्क द्वारा विकसित एक विमीय गणितीय मॉडल माईक–दो का उपयोग करके परामर्शी आधार पर केन्द्रीय जल आयोग में बांध दरार विश्लेषण किया जा रहा है। वर्ष के दौरान रंजीत सागर बांध (पंजाब) के लिए बांध दरार अध्ययन, अलमाती बांध (कर्नाटक) का संशोधित बांध दारा अध्ययन, पुनातसांगच जल विद्युत परियोजना (भूटान) हेतु गलेशियर लेक आऊटबर्सट बाढ़ अध्ययन, बाढ़ प्रसार अध्ययन और बगलिहार जल विद्युत (जम्मू एवं कश्मीर) परियोजना पश्चजल अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है।

5.4.6 केन्द्रीय जल आयोग पुस्तकालय

केन्द्रीय जल आयोग का पुस्तकालय एवं सूचना ब्यूरो जल संसाधन इंजीनियरी और अन्य सम्बद्ध विषयों से संबंधित एक अत्यन्त प्रतिष्ठित तकनीकी संदर्भ वाले पुस्तकालयों में से एक है जिसमें जल संसाधन के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों की रिपोर्टों सहित 1.25 लाख पुस्तकों तथा बुलेटिनों, समाचार पत्रों और पत्रिकाएं आदि सहित 4 लाख पत्रिकाएं और अन्य प्रकाशनों का एक विस्तृत संग्रह है।

पुस्तकालय ने सिविल इंजीनियरी, पर्यावरण और जल संसाधनों से संबंधित 67 से ज्यादा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं जमा की हैं। वर्ष के दौरान पुस्तकालय के लिए जल संसाधन के क्षेत्र में 162 तकनीकी/रिपोर्टों और 100 हिन्दी पुस्तकें खरीदी गई। वर्ष 2006–07 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग, जल

संसाधन मंत्रालय, राज्य सरकारों के लगभग 3200 अधिकारी तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थी पुस्तकालय में आए। वर्ष 2006–07 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों को 1628 पुस्तकें जारी की की गई।

उपभोक्ताओं को उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करने की दृष्टि से एक नए पुस्तकालय भवन का निर्माण किया गया है जिसमें 4610 वर्ग मीटर के छतदार क्षेत्र के साथ तहखाना, भू–तल तथा 3 मंजिला इमारत है। पुस्तकालय के नए भवन में आडोटोरियल तथा सेमिनार/बैठकों आदि के लिए स्थान के साथ–साथ प्रदर्शनी, पठन कक्ष और स्टैक कक्ष का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। सिविल और बिजली का कार्य पहले ही पूर्ण कर लिया गया है। सभा भवन के साज समान का कार्य प्रगति पर है।

अनुबंध–5.1

वर्ष 2006–2007 के दौरान अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध में सक्रिय परामर्शी परियोजनाओं की सूची :–

क्र. सं. राज्य/परियोजनाओं के नाम

आन्ध्र प्रदेश

1. एसआरबीसी ओक जलाशय कॉम्पलेक्स
2. एनएसआरएस (श्रीसैलम) परियोजना
3. नागार्जुन सागर टेल पांड

अरूणाचल प्रदेश

4. लोहित बांध परियोजना
5. न्यूकचरांग चु जल विद्युत परियोजना
6. नयूरानांग चु नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं
7. तवांग चु नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं
8. जियाधल बहुद्देष्थीय परियोजना
9. डिकरंग जल विद्युत परियोजना
10. नौरानानगधु कासकेड विकास परियोजना
11. तवांग जल विद्युत परियोजना

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

12. इंदिरा नाला जल आपूर्ति स्कीम
13. चाउलधरी नाला परियोजना
14. कमसरट जल आपूर्ति स्कीम
15. धनीखाटी बांध

असम

16. पगलादिया बहुउद्देश्यीय परियोजना
17. कार्बी लांगपी जल विद्युत परियोजना
18. बारभाग जल निकास विकास स्कीम – स्लूइस रेगुलेटर
19. अमजुर जल विकास स्कीम

बिहार

20. दुर्गावती जलाशय परियोजना
21. तेनुघाट बोकारो (कोनार आई.पी.)
22. पश्चिमी कोसी मुख्य नहर
23. सोन पश्चिमी–पूर्वी संपर्क नहर

छत्तीसगढ़

24. मोंगरा सिंचाई परियोजना
25. सूखा नाला बराज
26. कर्रा नाला बराज
27. घुमराइया नाला बराज
28. सुतियापत मध्यम सिंचाई परियोजना
29. केलो सिंचाई परियोजना

गुजरात

30. सरदार सरोवर परियोजना
31. गारूदेहवर वीयर
32. तापी बेसिन परियोजना

हिमाचल प्रदेश

33. शाहनहर सिंचाई परियोजना
34. सेली जल विद्युत परियोजना
35. रओली जल विद्युत परियोजना
36. रामपुर जल विद्युत परियोजना

जम्मू एवं कश्मीर

37. पनाई जल विद्युत परियोजना
38. तुलबल नौवहन लाक परियोजना
39. बगलिहार जल विद्युत परियोजना
40. उझ स्तर क्रासिंग
41. किरथई जल विद्युत परियोजना चरण–दो
42. सवलकार जल विद्युत परियोजना

झारखंड

43. अमानत बराज
44. गुमानी बराज
45. गरही जलाशय परियोजना
46. पूनासी जलाशय परियोजना
47. तेनूघाट बांध रेडियल क्रेस्ट गेट्स

मध्य प्रदेश

48. बाण सागर परियोजना
49. जोबट परियोजना
50. माही मुख्य बांध
51. माही सब्सिडियरी बांध
52. मान परियोजना
53. सिंध (चरण–दो) परियोजना
54. कुटनी पोषक जलाशय बांध
55. कुशालपुरा बहुउद्देश्यीय परियोजना
56. राजघाट बांध परियोजना
57. चम्बल बेसिन परियोजनाएं
58. गुलाब सागर (मैहन) परियोजना
59. मलानीखंड टेलिंग बांध
60. अपर बेडा परियोजना
61. केन–बेतवा संपर्क परियोजना
62. पेंच डायवर्जन परियोजना
63. लोअर गोई परियोजना
64. इंदिरा सागर परियोजना
65. समोहा पिक–अप वीयर
66. संजय सागर (बीएएच) परियोजना

महाराष्ट्र

67. कोयना जल विद्युत परियोजना
68. उलहास बेसिन परियोजना
69. भटनागर परियोजना
70. वाजखेडे लहोंडे परियोजना
71. सपन मध्यम सिंचाई परियोजना
72. लोअर पेडही परियोजना

मणिपुर

73. खुगा बहुउद्देश्यीय परियोजना
74. थौबल बहुउद्देश्यीय परियोजना
75. धोलाईथाबी बराज परियोजना
76. इरंग जल विद्युत परियोजना

मेघालय

77. मइंटडु जल विद्युत परियोजना
78. जाडुकाटा बहुउद्देश्यीय परियोजना
79. कुलसी बहुउद्देश्यीय परियोजना

मिजोरम

80. कोलोडाइन जल विद्युत परियोजना (चरण–दो)
81. तइरिनी जल विद्युत परियोजना
82. तुइवल जल विद्युत परियोजना
83. तुइचांग जल विद्युत परियोजना

उड़ीसा

84. आनंदपुर बराज परियोजना
85. नरज बराज परियोजना
86. जुरानाला एवं इन्द्रावती नदियों पर नियंत्रण संरचनाएं

राजस्थान

87. भरतपुर एवं धोलपुर जिले के लिए जल आपूर्ति परियोजना

सिक्किम

88. रंगीत जल विद्युत परियोजना (चरण–4)

त्रिपुरा

89. कलासी बैराज परियोजना
90. मानू मध्यम सिंचाई परियेाजना

उत्तर प्रदेश

91. स्टडी मतातिला बांध

उत्तरांचल

92. टिहरी बांध परियोजना
93. कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना
94. टिहरी पम्प्ड भंडार संयंत्र
95. तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना
96. लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना

पड़ोसी देशों में परियोजनाएं

अफगानिस्तान

97. सलमा बांध परियोजना

भूटान

98. ताला जल विद्युत परियोजना
99. चेनाली लघु जल विद्युत स्कीम
100. जिस्टा (चुमी) लघु जल विद्युत परियोजना
101. खालंजी लघु जल विद्युत स्कीम
102. खालिंग लघु जल विद्युत स्कीम
103. लुंटषी लघु जल विद्युत स्कीम
104. थिम्पू लघु जल विद्युत स्कीम
105. वांगडी लघु जल विद्युत स्कीम
106. पुनातसंगचू जल विद्युत परियोजना

<u>नेपाल</u>

107. कमला बांध परियोजना
108. सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना
109. सन कोसी भंडारण–सह–डायवर्जन स्कीम
110. पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना

विशेष समस्याओं वाली परियोजनाएं

<u>हिमाचल प्रदेश</u>

111. नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना

<u>जम्मू एवं कश्मीर</u>

112. अपर सिंध जल विद्युत परियोजना (चरण–दो)
113. पकल दुल परियोजना
114. किरू जल विद्युत परियोजना

<u>महाराष्ट्र</u>

115. बेम्बला नदी परियोजना
116. खंडकपुर्णा सिंचाई परियोजना
117. पेंटकाली परियोजना

<u>उत्तर पद्रेश</u>

118. रिहंद बांध एवं विद्युत गृह
119. बदायॅू सिंचाई स्कीम

<u>उत्तरांचल</u>

120. कोटलीभेज जल विद्युत परियोजना (चरण–एक ए)
121. कोटलीभेज जल विद्युत परियोजना (चरण–एक बी)
122. कोटलीभेज जल विद्युत परियोजना (चरण–दो)
123. व्यासी जल विद्युत परियोजना
124. विष्णुगढ़ पिपलकोटि जल विद्युत परियोजना
125. जमरानी बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना

अध्याय–6
जल प्रबंधन, जलाशय अवसादन एवं परियोजना पश्चात मूल्यांकन

6.1 जलाशय संचयन का प्रबोधन

वर्ष 2006–2007 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग ने 133.021 बीसीएम की कुल सक्रिय संचयन क्षमता वाले देश के 76 महत्वपूर्ण जलाशयों के संचयन का प्रबोधन किया है। जिसे तालिका 6.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.1

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की संचयन स्थिति

(संचयन बी सी एम में)

विवरण		जल वर्ष	
		2005–06 31 मार्च तक	2006–07 31 मार्च तक
प्रबोधन किए जा रहे जलाशयों की संख्या		71	76
एफ आर एल पर कुल अभिकल्पित सक्रिय संचयन		133.021	133.021
01 जून को (जल वर्ष के प्रारम्भ से)	संचयन	17.003	29.265
	एफ आर एल पर संचयन प्रतिशत के रूप में	13	22
	10 वर्षों के औसत संचयन के प्रतिशत के रूप में संचयन	91	160
30 सितम्बर तक (मानसून अवधि के अंत तक)	संचयन	109.773	120.747
	एफ आर एल पर संचयन प्रतिशत के रूप में	83	91
	10 वर्षों के औसत संचयन के प्रतिशत के रूप में संचयन	120	129
मार्च 31 तक	संचयन	88.129	88.576
	एफ आर एल पर संचयन प्रतिशत के रूप में	66	67
	10 वर्षों के औसत संचयन के प्रतिशत के रूप में संचयन	124	125

49 अतिरिक्त जलाशयों को प्रबोधन प्रणाली में शामिल करने के लिए अभिज्ञात किया गया है। इसके समावेश करने से प्रबोधन के अधीन जलाशयों की संख्या 125 हो जाएगी और भंडारण क्षमता 133. 021 बीसीएम से बढ़कर 156.69बीसीएम हो जाएगी अर्थात अब तक सृजित 213 बीसीएम की कुल क्षमता की लगभग 74 प्रतिशत है। केन्द्रीय जल आयोग की प्रबोधन प्रणाली के तहत इन परियोजनाओं को लाने के लिए राज्य/परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना एकत्र करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रत्येक सप्ताह जलाशयों के संचयन स्थिति पर एक बुलेटिन जारी की जा रही है। इस साप्ताहिक बुलेटिन में पिछले वर्ष के इसी अवधि पर संचयन स्थिति की तुलना में चालू वर्ष की संचयन स्थिति और इसी अवधि पर पिछले 10 वर्षों का औसत दिया जाता है। बुलेटिन में दी गई सूचना का उपयोग जलाषयों में जल की उपलब्धता पर आधारित फसल आयोजना कार्यनीति की समीक्षा करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा गठित फसल मौसम निगरानी दल द्वारा भी किया जा रहा है।

6.2 कावेरी जल बुलेटिन

कावेरी बेसिन में पांच महत्वपूर्ण जलाशयों के संचयन स्थिति का भी साप्ताहिक रूप में प्रबोधन किया जा रहा है और प्रत्येक सप्ताह एक बुलेटिन जारी किया जा रहा है। इस बुलेटिन में कर्नाटक राज्य के चार जलाशयों (काबिनी, हेमावती हरंगी, कृष्णराजा सागर) और तमिलनाडु (मेत्तूर) राज्य के एक जलाशय में अभिकल्पित सक्रिय संचयन क्षमता, चालू वर्ष, पिछले वर्ष का सक्रिय संचयन और गत वर्ष एवं संबंधित सप्ताह के पिछले 10 वर्षों का औसत दिया जाता है। बार चार्ट में (i) कावेरी जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार मासिक साप्ताहिक प्रवाह केन्द्रीय जल आयोग के बिल्लिगुंडलु जी एण्ड डी स्थल पर मेत्तूर जलाशय के प्रतिप्रवाह और मेत्तूर जलाशय के अंतर्वाह में मासिक/साप्ताहिक प्रेक्षित प्रवाह और (ii) कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में चार जलाशयों की संयुक्त संचयन स्थिति भी बुलेटिन में दी गई है। ऐसी चार बुलेटिनें प्रत्येक महीने जारी की गई। सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में आयोजित कावेरी प्रबोधन समिति की बैठक के लिए भी विशेष बुलेटिन तैयार की गई थी।

6.3 जल विभाजक प्रबंधन एवं जलाशय अवसादन

6.3.1 महत्वपूर्ण जलाशयों का जल राशि सर्वेक्षण

जलाशयों का क्षमता सर्वेक्षण एक जारी रहने वाली योजना है जो अब आठवीं योजना के दौरान शुरू की गई ''देश में 30 महत्वपूर्ण जलाशयों का जल राशि सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है और जिसे नौवीं योजना के मध्य से जारी रखा गया। नौंवी योजना के अंत तक 426.59 लाख रूपए की कुल लागत से योजना के अंतर्गत 19 जलाषयों को षामिल किया गया। 329.00 लाख रूपए की अनुमानित लागत से दसवीं योजना के दौरान क्षमता सर्वेक्षण के तहत 15 और जलाशयों को शामिल करने के लिए एक एसएफसी ज्ञापन कार्यान्वयनाधीन है। अभी तक 3 जलाशयों का सर्वेक्षण कार्य सभी प्रकार से पूरा कर लिया गया है और 4 जलाशयों के सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं।

6.3.2. जल विभाजक प्रबंधन और जल संचयन पर स्थिति रिपोर्ट

जल विभाजक और जल संचयन संबंधी दूसरी स्थिति रिपोर्ट संबंधी कार्य प्रगति पर है और इसके वर्ष 2007–08 के दौरान प्रकाशित होने की संभावना है।

6.4 जल संसाधन विकास और प्रबंधन से दूरस्थ संवेदन

1383.80 लाख रूपये की अनुमानित लागत से दसवीं पचवर्षीय योजना के दौरान जलाशय अवसादन, नदी आकृति विज्ञान और अन्य दूरस्थ संवेदन अनुप्रयोगों संबंधी अध्ययन नामक प्लान स्कीम को नौंवी योजना की जारी रहने वाली स्कीम के रूप में शुरू किया गया है। इस स्कीम के चार घटक हैं और दूरस्थ संवेदन निदेशालय इसमें से एक घटक अर्थात जल संसाधन विकास और प्रबंधन दूरस्थ संवेदन अनुप्रयोग क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2006–07 के लिए प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

उपग्रह दूरस्थ संवेदन पर आधारित जलाशय अवसादन मूल्यांकन अध्ययनः–

- वर्ष 2005 के दौरान एनआरएसए के प्रदान किए गए 10 जलाशयों में से (04) व्यवहार्य जलाशयों की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और परियोजना प्राधिकारियों और केन्द्रीय जल आयोग के संबंधित अधिकारियों को परिचालित किया गया है। वर्ष 2005–06 के दौरान एमईआरई नासिक को प्रदान किए गए 10 जलाशयों में से 8 व्यवहार्य जलाशयों की अंतिम रिपोर्ट तैयार की है और इसे परियोजना प्राधिकारियों और केन्द्रीय जल आयोग के संबंधित अधिकारियों को परिचालित किया गया

है। 5 जलाशयों की मसौदे रिपोर्टें (इन–हाउस) तैयार कर ली गई हैं और इसे अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2006–07 के दौरान एमईआरआई नासिक को प्रदान किए गए 14 जलाशयों में से 11 व्यवहार्य जलाशयों का कार्य प्रगति पर है।

- आईआईआरएस देहरादूर और राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे में क्रमशः जुलाई, 2006 और अगस्त, 2006 के दौरान "इमेज प्रोसेसिंग और जल संसाधन विकास संबंधी अनुप्रयोगों सहित जीआईएस फंडामेंटल्स" पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
- "देश में जल संसाधन सूचना प्रणाली संबंधी डिजिटल डाटाबेस के सृजन" के लिए अधिकारियों के समूह की एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इसे समूह के सदस्यों को परिचालित किया गया।
- देश के सभी जलाशयों को शामिल करने के लिए उपग्रह दूरस्थ संवेदन का उपयोग करते हुए जलाशय अवसादन मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के लिए कार्यकारी समूह द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 100 नए जलाशयों की पहचान की गई है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित हैं
- "18 राज्यों में 55 परियोजनाओं के लिए कारटोसैट–I उपग्रह आकड़ा का उपयोग करते हुए मार्च, 2007 तक भारत में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजना में सृजित सिंचाई क्षमता के आकलन" का कार्य एनआरएसए, हैदराबाद को प्रदान किया गया है।

6.5 दूरस्थ संवेदी तकनीक का प्रयोग करते हुए जल ग्रसनता/लवणता/क्षारीयता प्रभावित क्षेत्रों को अभिज्ञात करना

जलजमाव, लवणता और क्षारीयता के आंकड़ों को अद्यतन करने के उद्देश्य से 'दूरस्थ संवेदन तकनीक का प्रयोग करते हुए पूरे भारत में सभी बृहद और मध्यम परियोजनाओं की सिंचाई कमानों में जल ग्रसनता और लवणता और/अथवा क्षारीयता प्रभावितक क्षेत्रों का आकलन' पर एक अध्ययन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 'क्षेत्रीय दूरस्थ संवेदन सेवा केन्द्र', जोधपुर के सहयोग से वर्ष 2003 से चार चरणों में प्रारंभ किया गया है।

अध्ययन के पहले चरण में वर्ष 2003–06 के दौरान राजस्थान, कर्नाटक, गोवा, बिहार, झारखंड और हरियाणा के संबंध में अध्ययन रिपोर्टें तैयार की गई। इन रिपोर्टों को प्रभावित क्षेत्रों में सुधार करने के लिए उपचारात्मक उपाय प्रारंभ करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है। दूसरे चरण में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब के संबंध में वर्ष 2006–07 की अवधि के दौरान पूरे किए गए और इन रिपोर्टों को संबंधित राज्यों में भेजा जा रहा है। शेष 12 राज्यों की रिपोर्टें दिसम्बर, 2007 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

6.6 निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन

केन्द्रीय जल आयोग पश्च परियोजना निष्पादन मूल्यांकन भी कर रहा है। 2005–2006 के दौरान जोजवा बधावन सिंचाई परियोजना, गुजरात के निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन सौंपा गया है जिसमें परामर्शदाताओं के माध्यम से पूर्ण हो चुकी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का प्रणाली निष्पादन, कृषि–आर्थिक, सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन शामिल है। दसवीं योजना के दौरान, नौ परियोजनाओं अर्थात सम्राट अशोक सागर (मध्य प्रदेश), कांची वीयर (झारखंड), साल्की (उड़ीसा), सुक्ला (असम), चंदन जलाशय (बिहार), इटियाडोह (महाराष्ट्र), कोडयार (तमिलनाडु) के संबंध में निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 2006–07 के दौरान इन सभी परियोजनाओं के अध्ययन कार्य जारी रहे। कांची वीयर एवं सम्राट अशोक सागर की अंतिम रिपोर्टें, सुक्ला और साल्की की अंतिम मसौदा रिपोर्टें और चंदन जलाशय, इटियाडोह, कोडयार, लोकटक लिफ्ट और नानक सागर की प्रारंभिक रिपोर्टें प्राप्त हुई है। वर्ष 2006–07 के दौरान सात परियोजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन पर तकनीकी सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की गई थी। XI योजना के दौरान सात अन्य सिंचाई परियोजनाओं

का मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है जिसमें से तीन अध्ययनों को वर्ष 2007–08 के दौरान प्रदान किए जाने की योजना है।

6.7 सिंचाई परियोजनाओं की बेंचमार्किंग

कुछ समय से विकसित देशों में सिंचाई परियोजनाओं का बेंचमार्किंग उपयोग में है। बेंचमार्किंग प्रक्रिया के बारे में कार्यकलापों का मार्गदर्शन, सहायता और समन्वय करने तथा सिंचाई प्रणालियों की बेंचमार्किंग के संबंध में राज्यों की सहायता करने की दृष्टि से भारत में सिंचाई प्रणाली की बेंचमार्किंग संबंधी एक सेंट्रल कोर ग्रुप का गठन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 15.04.2002 किया गया है। बेंचमार्किंग क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए एक राज्य स्तरीय कोर ग्रुप का भी गठन किया जा रहा है। वर्ष 2006–07 के दौरान, आठ राज्य स्तरीय कोर ग्रुपों का गठन किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं की बेंचमार्किंग पर अब तक 12 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। वर्ष 2006–07 के दौरान, भोपाल, मध्य प्रदेश में "भारत में सिंचाई प्रणालियों की बेंचमार्किंग" पर एक परियोजना स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। वर्ष 2007–08 के दौरान तीन कार्यशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है।

6.8 जल उपयोग क्षमता का अध्ययन

सिंचाई क्षेत्र ताजे जल का सबसे बड़ा (लगभग 83 प्रतिशत) उपभोक्ता है और सिंचाई जल उपयोग क्षमता में किसी पूरा का सुधार जल आपूर्ति के नए स्रोत का सृजन करने जैसा है जिसका जल की विभिन्न प्रतियोगी मांगों में लाभदायी उपयोग किया जा सकता है। जल उपयोग क्षमताएं सामान्यतः निम्न हैं और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

अध्ययन के उददेश्यों में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :–

i) जलाशय भराव क्षमता (अन्तर्वाह एवं निर्मुक्त पद्धति)
ii) डिलिवरी प्रणाली / वाही क्षमता
iii) फार्म पर अनुप्रयोग क्षमता
iv) अपवहन क्षमता
v) सृजित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता

जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थानों / सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थानों / नेरीवाल्म आदि तथा अन्य निजी परामर्शदाताओं के माध्यम से उपर्युक्त अध्ययनों के लिए पूरे देश की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2006–07 के दौरान 43 परियोजना का अध्ययन कार्य प्रारंभ रहा। 13 परियोजनाओं की अंतिम मसौदा रिपोर्टें और सभी परियोजनाओं की प्रारंभिक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

6.9 पूर्ण की गई सिंचाई परियोजनाओं का सामाजिक / कृषि आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन

70वें दषक में देष में सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन किए गए थे। तब से देश के विभिन्न भागों में स्थित 100 से अधिक सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन विभिन्न केन्द्रीय, राज्य और अन्य अभिकरणों अर्थात जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड और राज्यों के सिंचाई विभागों द्वारा किए गए।

पूर्ण की गई सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन अब विभागीय रूप से केन्द्रीय जल आयोग और परामर्षदाताओं (अधिकतर वाल्मीस, आईएमटीआई, वाप्कोस, सीडब्ल्यू आरडीएम और एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम) द्वारा किए जा रहे हैं और इनको कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्यों के

जल संसाधन, सिंचाई विभागों और अन्य संबंधित संगठनों, को अध्ययन रिपोर्टें उपलब्ध कराई जाती है। 14 ऐसी रिपोर्टों की जांच परामर्षदाताओं द्वारा की गई थी जिसमें (क) प्रणाली निष्पादन (ख) कृषि, (ग) सामाजिक–आर्थिक और (घ) पर्यावरणीय प्रभाव षामिल किए गए थे। इसके अतिरिक्त विभागीय रूप से 6 अध्ययन किए गए जो मुख्यतया सिंचाई परियोजनाओं के प्रणाली निष्पादन का कार्य करता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देष में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित दस सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन परामर्षदाताओं द्वारा किए जाने का लक्ष्य है। वर्ष के दौरान चार परियोजनाओं अर्थात कांची वीयर (झारखंड), सम्राट अषोक सागर सिंचाई परियोजना (मध्यप्रदेष), साल्की सिंचाई परियाजना (उड़ीसा) और सुक्ला सिंचाई परियोजना (असम) प्रारंभिक रिपोर्टें परामर्शदाताओं से प्राप्त हुई।

6.10 जल लेखा परीक्षा और जल संरक्षण

जल संरक्षण के महत्व के संबंध में लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से नवम्बर, 2006 में जल लेखा परीक्षा और जल संरक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश तैयार किए गए। इन दिशा–निर्देशों को केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। वर्ष 2006–07 के दौरान, केन्द्रीय जल आयोग एफआईसीसीआई के सहयोग स`जल संसाधन मंत्रालय के अनुसंधान एवं अभिकल्प स्कीम के तहत "औद्योगिक लेखा परीक्षा–गाजियाबाद उद्योग, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का एक मामला अध्ययन" नामक अनुसंधान स्कीम से जुड़ा था। इस अध्ययन रिपोर्ट के वर्ष 2007–08 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

अध्याय–7
परियोजनाओं का मूल्यांकन

7.1 परियोजना मूल्यांकन

केन्द्रीय जल आयोग को सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों में से एक कार्य है, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन करना। इस कार्य का निष्पादन एवं समन्वय परियोजना मूल्यांकन संगठन द्वारा किया जाता है। परियोजना को तकनीकी–आर्थिक संभाव्यता स्थापित करने के पश्चात सचिव, जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं से संबंधित सलाहकार समिति स्वीकृति के लिए परियोजनाओं पर विचार करती है और तत्पश्चात इसे योजना आयोग की निवेष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा, राज्य जल विद्युत बोर्डों/निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं की केन्द्रीय जल आयोग में जल विज्ञान, सिविल डिजाइन, अन्तर–राज्यीय मुद्दों और लागत की दृष्टि से जांच की जाती है तथा थर्मल परियोजनाओं की कूलिंग और अन्य प्रयोजनों के लिए जल की उपलब्धता की व्यवस्था के लिए जांच की जाती है। इन विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान करता है। राज्य सरकारों/शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भेजे जाने पर जल आपूर्ति योजनाओं की तकनीकी पहलुओं की जॉच की जाती है।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई और जल संसाधन समेकन परियोजनाओं, जो विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत हैं, के संबंध में, मुख्य अभियंता के अन्तर्गत परियोजना तैयारी संगठन इसी प्रकार के कार्य करता है।

7.2 वृहत सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन

केन्द्रीय जल आयोग के विशिष्ट निदेशालयों तथा जल संसाधन, कृषि, पर्यावरण एवं वन तथा जनजातीय मामलों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों में 10,000 हैक्टेयर से अधिक कृष्य कमान क्षेत्र वाले वृहत सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है। बहुउद्देश्यीय परियोजना के मामले में विद्युत घटकों की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की जाती है। राज्य विकास योजना में शामिल करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की संवीक्षा और जांच तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृति संबंधी मौजूदा प्रक्रिया को संशोधित किया गया है एवं इसे सरल बनाया गया है। अब, मूल आयोजना पहलुओं को शामिल करते हुए तैयार की गई संक्षिप्त प्रारंभिक रिपोर्ट की पहले जांच की जाती है और प्रस्तावों की उपयुक्तता के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग की "सैद्धांतिक" सहमति को सूचित किया जाता है। पर्यावरण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजनाओं संबंधी स्वीकृतियों तथा राज्य वित्त आदि की सहमति प्राप्त करनी होती है और उसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाता है ताकि सलाहकार समिति द्वारा एक बार स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात योजना आयोग से शीघ्र निवेश स्वीकृति प्राप्त हो सके और योजना को विभिन्न स्रोत्रों से विभिन्न स्वीकृतियों के लिए प्रतीक्षा किए बिना प्रारंभ किया जा सके। संशोधित दो चरणीय स्वीकृति प्रक्रिया अक्तूबर, 2001 से लागू है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान परियोजना मूल्यांकन संगठन में 53 नई वृहद एवं 26 संशोधित वृहद सिंचाई परियोजनाएं मूल्यांकनाधीन थीं। 4 वृहद सिंचाई परियोजना प्रस्तावों के लिए सैद्धांतिक रूप में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग की सहमति सूचित की गई थी। नई वृहद सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार वितरण चित्र 7.1 पर दर्शाया गया है।

चित्र 7.1 मूल्यांकनाधीन नई वृहद परियोजनाओं का राज्य–वार वितरण

(31.3.2007 तक)

उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, बिहार, कर्नाटक, उत्तरांचल महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा

7.3 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन (अंतर–राज्यीय नदी बेसिनों में)

अन्तर्राज्यीय नदी बेसिनों में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (2000 से 10,000 हैक्टे. कृ.क.क्षे.) के लिए राज्य सरकारों को यह जरूरी है कि वे केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय संगठनों के मूल्यांकन एवं प्रबोधन यूनिटों को केवल प्रोफार्मा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वर्ष 2006–07 के दौरान, 58 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जा रहा था, जिसके लिए परियोजना मूल्यांकन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। मूल्यांकन के पष्चात परियोजनाओं को परियोजना मूल्यांकन संगठन द्वारा सलाहकार समिति को विचारार्थ एवं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मूल्यांकनाधीन नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार वितरण चित्र 7.2 में दिया गया है।

चित्र 7.2 मूल्यांकनाधीन नई मध्यम परियोजनाओं का राज्य–वार वितरण

(31.3.2007 तक)

राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु

कुल परियोजनाएं–58

7.4 राज्य/परियोजना प्राधिकारियों के साथ परस्पर–वार्ता

सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारी, राज्य सरकार के इंजीनियरों के साथ नियमित रूप से विचार–विमर्श करते हैं और परियोजना स्वीकृति संबंधी मुद्‌दों को हल करने के लिए अन्तर्राज्यीय समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि वे राज्य केन्द्रीय अभिकल्प संगठन के जरिए परियोजनाओं पर कार्रवाई करें और राज्य स्तरीय बहुविषयी समिति का गठन करें ताकि केन्द्र द्वारा संवीक्षा की सीमा को कम किया जा सके।

7.5 सलाहकार समिति की बैठक

नवम्बर, 1987 में जल संसाधन मंत्रालय ने सिंचाई, बहुउद्‌देश्यीय एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से संबंधित सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, जिसके अध्यक्ष, सचिव, (जल संसाधन) हैं और मुख्य अभियंता (परियोजना मूल्यांकन संगठन), केन्द्रीय जल आयोग इसके सदस्य–सचिव हैं। इस समिति को केन्द्रीय जल आयोग में संवीक्षा किए गए प्रस्तावों की जांच करने तथा परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी निर्णय की सूचना देने का कार्य सौंपा गया है। वर्ष 2006–07 के दौरान सचिव (जल

संसाधन) की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की दिनांक 02.06.06, 17.11.2006 तथा 02.03.2007 को बैठक आयोजित की गई और 43 परियोजनाओं पर विचार किया गया, जिसमें से 5 मध्यम परियोजनाएं आस्थगित कर दी गई तथा 38 परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिसमें 13 प्रमुख, 20 मध्यम सिंचाई और 5 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं शामिल हैं। इन स्वीकृत 38 परियोजनाओं में से 33 सिंचाई परियोजनाएं हैं जो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान के राज्यों में 13,10,608 हैक्टयर का अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई लाभ उपलब्ध कराएंगी। जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में 5 बाढ़ नियंत्रण स्कीमें 22,962.56 हैक्टेयर क्षेत्र में संरक्षण उपलब्ध कराएंगी जिससे सालाना औसत लगभग 111.205 करोड़ रूपये बचत होगी। परियोजनाओं का विवरण तालिका 7.1 में दिया गया है।

7.6 विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन

मार्च, 2007 तक 32 जल विद्युत परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया गया, जिनमें से तथा 4855 मै0 वा0 की कुल संस्थापित क्षमता वाली 10 परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अन्ततः स्वीकृति प्रदान की गई ।

7.7 बाढ़ प्रबंध परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं स्वीकृति

नदी प्रबंध स्कंध के तहत बाढ़ प्रबंध संगठन, बाढ़ नियंत्रण पहलुओं वाली वृहद, मध्यम एवं लघु बाढ़ प्रबंधन स्कीमों एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को उनकी तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने हेतु जांच करता है। सलाहकार समिति की स्वीकृति से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं की तकनीकी–आर्थिक रूप से जांच की जाती है।

बाढ़ प्रबंधन स्कीमों (7.5 करोड़ रूपये से अधिक तथा 15 करोड़ रूपये से कम लागत वाली) जैसे बाढ़ नियंत्रण, नदी तट सुरक्षा हेतु कटाव रोधी और बाढ़ प्रवण राज्यों में जलनिकास संघनित क्षेत्रों में जलनिकास विकास के संबंध में परियोजना के क्रमशः लागत पक्षों, निर्माण मशीनरी एवं लागत तथा दर पक्षों के लिए बाढ़ प्रबंध संगठन को जल संसाधन मंत्रालय के वित्त स्कंध, केन्द्रीय जल आयोग के निर्माण मशीनरी परामर्श निदेशालय एवं लागत अभियांत्रिकी जल निदेशालय द्वारा सुचारू रूप से सहायता की जाती है।

राज्य सरकार की वार्षिक योजना तथा पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत स्वीकृति के पश्चात राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन स्कीमों (7.5 करोड़ रूपये या कम लागत वाली) को स्वीकृति दी जाती है। वर्ष 2006–07 में मार्च, 2007 तक 98 बाढ़ प्रबंधन स्कीम/मास्टर प्लानों की जांच/मूल्यांकन किया गया।

तालिका 7.1 सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	परियोजना की श्रेणी	अनुमानित लागत (रूपये करोड़)	लाभ (हेक्टेयर)
I.	**02.06.2006 को आयोजित 86वीं बैठक**				
1.	बाबू नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	12.3362	3,077
2.	चेनाब नदी का मास्टर प्लान	जम्मू एवं कश्मीर	बाढ़ सुरक्षा	25.45	—
3.	तवी नदी का मास्टर प्लान	जम्मू एवं कश्मीर	बाढ़ सुरक्षा	27.82	—
4.	जेवर–तप्पल सीमान्त पुश्ते का निर्माण	उत्तर प्रदेश	बाढ़ सुरक्षा	71.3711	—
5.	तकली सिंचाई सह पेय जल परियोजना	राजस्थान	मध्यम	51.81	4,791
6.	नर्मदा नहर परियोजना	राजस्थान	वृहद	1541.357	1,51,072
7.	पेडावागु विपथन योजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	124.64	6,000
8.	रल्लीवागु जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	33.30	2,430
9.	मथाडिवागु जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	50.40	3,440
10.	गेग्रिन सिंचाई परियोजना	राजस्थान	मध्यम	80.12	9,675
11.	अहजी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	20.5149	8315.90
12.	गोलावागु जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	84.08	3,845
13.	मंजोर सिंचाई परियेाजना	उड़ीसा	मध्यम	99.53	10,433
14.	पिपलाद सिंचाई परियोजना	राजस्थान	मध्यम	33.64	3,549
15.	दादी नहर का आधुनिकीकरण	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	49.95	4,650.13
16.	राफियाबाद उच्च लिफ्ट सिंचाई योजना	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	63.62	2,932
17.	पुष्कर लिफ्ट सिंचाई योजना	आंध्र प्रदेश	वृहद	379.503	75,235
18.	ताडीपुडि लिफ्ट सिंचाई योजना	आंध्र प्रदेश	वृहद	376.96	83,599

II.	**17.11.2006 को आयोजित 87वीं बैठक**				
1..	कचनोडा बांध परियोजना	उत्तर प्रदेश	वृहद	88.79	10,850
2.	प्रथम पटियाला पोषक एवं कोटला शाखा	पंजाब	वृहद	123.30	68,624
3.	निलवई जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	90.50	5,260
4.	कांडी नहर परियोजना	जम्मू एवं कश्मीर	मध्यम	53.70	3,229
5.	बलह वैली (बांया तट)	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	62.25	4,354
6.	यमुना नदी के बांये तट पर अलीपुर पुश्ते को चौड़ा करना, सुदृढ़ीकरण एवं 10 मीटर चौड़ा रोड़ उपलब्ध करना।	उत्तर प्रदेश	बाढ़ सुरक्षा	42.20	—
7.	हरदोई शाखा प्रणाली की सिंचाई तीव्रता में सुधार करना	उत्तर प्रदेश	वृहद	105.2997	3,06,055
III.	**02.03.2007 को आयोजित 88वीं बैठक**				
1.	अलीसागर लिफ्ट सिंचाई योजना	आंध्र प्रदेश	वृहद	227.90	21,770
2.	गुत्फा लिफ्ट सिंचाई योजना	आंध्र प्रदेश	वृहद	171.91	15,699
3.	गोदावरी लिफ्ट सिंचाई	आंध्र प्रदेश	वृहद	6016.00	2,86,000
4.	बिंबला नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	1276.87	70,756
5.	खड़कपूर्णा नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	573.56	24,864
6.	अरूणावती नदी परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	225.22	25,155
7.	लाल नाला सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	103.49	7,320
8.	कार सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	मध्यम	170.04	6,744
9.	निचली वर्धा सिंचाई स्कीम	महाराष्ट्र	वृहद	857.70	51,655
10.	मुसुरीमिली जलाशय परियोजना	आंध्र प्रदेश	मध्यम	207.00	15,676
11.	लहासी सिंचाई परियोजना	राजस्थान	मध्यम	44.73	6,008
12.	घाघरा नदी के दायें तट एवं सारदा नदी के बांये पर सीमान्त तटबंध का निर्माण	उत्तर प्रदेश	बाढ़ सुरक्षा	46.52	
13.	डोलाईथाबी बराज परियोजना	मणिपुर	मध्यम	98.37	7,545

अध्याय – आठ

परियोजनाओं का प्रबोधन

8.1 वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का प्रबोधन

1975 में वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का प्रबोधन करने के लिए केन्द्र, राज्य और परियोजना स्तर पर एक त्रि–स्तरीय प्रबोधन प्रणाली प्रारम्भ की गई थी। केन्द्रीय स्तर पर यह कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा गया था। प्रबोधन का मुख्य उद्देश्य वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करना तथा सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आशा है कि प्रबोधन से आवश्यक आदानों का पता लगाने, किसी कमी/बाधाओं हेतु कारणों का विश्लेषण करने और उपचारी उपाय आदि सुझाने में मद्द मिलेगी ताकि समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

केन्द्रीय जल आयोग में की गई वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मुख्यालय के प्रबोधन एकक द्वारा अन्तर्राज्यीय, बाह्य सहायता प्राप्त और केन्द्र प्रायोजित सिंचाई परियोजनाओं तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अन्य परियोजनाओं का प्रबोधन किया जा रहा है। 2006–07 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कुल 115 सिंचाई परियोजनाओं का प्रबोधन किया गया (तालिका 8.1)। प्रबोधित परियोजनाओं की सूची की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है।

प्रबोधन के लिए शुरू की गई 115 वृहद, मध्यम और विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं में से 15 परियोजनाओं (9 वृहद और 6 विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण) का प्रबोधन मुख्यालय द्वारा किया गया और शेष 100 परियोजनाओं (64 वृहद, 33 मध्यम और 3 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण) का प्रबोधन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया गया।

वर्ष 2003–04 के दौरान, दसवीं योजना के अंत तक पांचवीं योजना के पूर्व/पांचवीं योजना की चालू 30 वृहद परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अभिज्ञात किया गया एवं वर्ष में आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार दौरा करके प्रबलता से प्रबोधन किया गया। इन 30 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाओं को वर्ष 2005–2006 के अंत तक पूरा किया किया गया और शेष 21 परियोजनाओं को 115 परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया जिन्हें वर्ष 2006–07 के दौरान प्रबोधित किया गया।

केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा वर्ष में एक बार सभी अभिज्ञात परियोजनाओं के प्रबोधन हेतु दौरा किया जाता है। तत्पश्चात, क्षेत्र के दौरे तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ किए गए विचार–विमर्श के आधार पर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने तथा उनकी प्रगति में तीव्रता लाने हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्माण कार्य में आने वाली विभिन्न बाधाओं एवं सुधारात्मक उपायों आदि संबंधी सुझावों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाती है। केन्द्रीय जल आयोग (मु0) अथवा क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा प्रबोधित की गई चालू वृहद, मध्यम एवं ईआरएम परियोजनाओं का राज्य–वार विवरण दर्शाने वाले चार्ट चित्र 8.1, 8.2 और 8.3 में दिए गए हैं।

तालिका 8.1

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रबोधित परियोजनाओं की राज्य–वार संख्या (2006–07)

क्र0सं0	राज्य	के0ज0आ0 द्वारा प्रबोधित परियोजनाओं की संख्या								
		वृहद			मध्यम			विस्तार (नवीकरण) आधुनिकीकरण		
		मु0	क्षे0 का0	कुल	मु0	क्षे0 का 0	कुल	मु0	क्षे0 का0	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	1	5	6	–	2	2	1	–	1
2.	असम	–	3	3	–	1	1	–	–	–
3.	बिहार	–	5	5	–	1	1	–	1	1
4.	छत्तीसगढ़	–	3	3	–	1	1	–	–	–
5.	गोवा	–	2	2	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	–	–	–	4	4	1	–	1
7.	हरियाणा	–	1	1	–	–	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	1	–	1	–	–	–	–	–	–
9.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	झारखंड	1	2	3	–	3	3	–	–	–
11.	कर्नाटक	–	6	6	–	7	7	–	1	1
12.	केरल	–	2	2	–	1	1	–	–	–
13.	मध्य प्रदेश	1	9	10	–	1	1	–	–	–
14.	महाराष्ट्र	2	13	15	–	3	3	1	–	1
15.	मणिपुर	–	2	2	–	–	–	–	–	–
16.	मेघालय	–	–	–	–	1	1	–	–	–
17.	उड़ीसा	1	4	5	–	1	1	1	–	1
18.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	1	1
19.	राजस्थान	1	3	4	–	1	1	1	–	1
20.	तमिलनाडु	–	–	–	–	1	1	–	–	–
21.	त्रिपुरा	–	–	–	–	1	1	–	–	–
22.	उत्तर प्रदेश	1	3	4	–	–	–	1	–	1
23.	प0 बंगाल	–	1	1	–	4	4	–	–	–
	कुल	**9**	**64**	**73**	–	**33**	**33**	**6**	**3**	**9**
	कुल योग	**73 (वृहद) + 33 (मध्यम) + 9 विस्तार (नवीकरण) आधुनिकीकरण कुल – 115**								

चित्र 8.1

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रबोधित प्रमुख परियोजनाएं

क्षेत्रीय एकक/मुख्यालय

पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, मणिपुर, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाण, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल

कुल परियोजनाएं – 80

मुख्यालय द्वारा प्रबोधित – 9 क्षेत्रीय एककों द्वारा प्रबोधित – 71

चित्र 8.2

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रबोधित मध्यम परियोजनाएं
(क्षेत्रीय एकक)

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, मेघालय, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, त्रिपुरा, झारखण्ड, कर्नाटक,

कुल परियोजनाएं – 37

चित्र 8.3

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रबोधित विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं

मुख्यालय द्वारा प्रबोधित–5

क्षेत्रीय एककों द्वारा प्रबोाधित–3

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक

कुल परियोजनाएं – 8

8.2 सिंचाई क्षमता के समुपयोजन का मूल्यांकन

सिंचाई के मौजूदा आधारभूत ढॉचे पर आधारित प्रामाणिक और वास्तविक डाटा–बेस प्रदान करके मौजूदा प्रबोधन प्रणाली को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सहायकता प्राप्त परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता सृजन के मूल्यांकन के लिए दूर संवेदन तकनीक का उपयोग करना आवश्यक समझा एन.आर.एस.ए., हैदराबाद द्वारा सेटेलाइट डाटा का उपयोग करके गया। सबसे पहले योजना आयोग के अनुरोध पर दो परियोजनाओं अर्थात Åपरी कृष्णा (कर्नाटक) परियोजना और तीस्ता बराज (पश्चिम बंगाल) परियोजना के संबंध में मार्गदर्शी अध्ययन सफलतापूर्वक किए गए जिनमें दोनों मूल्यांकनों के अध्ययन के नतीजे संतोषजनक थे और आधारभूत वास्तविकताओं के अनुरूप थे।

मार्गदर्शी अध्ययन से प्राप्त परिणामों के महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा निर्णय लिया गया था कि परियोजनाओं को राष्ट्रीय पैमाने पर लिया जाए जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों की 10 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को शामिल किया जाए। प्रथम चरण में वर्ष 2007 से 2008 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त 53 चालू परियोजनाओं के संबंध में प्रगति को प्रबोधन हेतु सिंचाई के आधारभूत ढॉचे के मानचित्रण द्वारा सिंचाई क्षमता सृजन के मूल्यांकन का कार्य एन.आर.एस.ए., हैदराबाद को सौंपा गया है। यह न केवल सृजित क्षमता प्रदान करता है बल्कि आगे प्रभावकारी प्रबोधन के लिए संकटपूर्ण अंतराल क्षेत्रों को भी बताता है।

सिंचाई क्षमता समुपयोजन के निर्धारण के लिए सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को प्रबोधन के दौरान इसे करने के लिए दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

8.3 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का प्रबोधन

विश्व बैंक आसान शर्तों पर ऋण देने वाले अपने संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक बहुत लम्बे समय से बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को ऋण प्रदान कर रहा है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी बैंक (जे.बी.आई.सी.) भी कुछ बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। जबकि ये परियोजनाएं राज्य द्वारा निष्पादित की जाती हैं, बाह्य सहायता प्राप्त सभी सिंचाई परियोजनाओं के प्रबोधन का कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा गया है ताकि वित्तीय सहायता देने वाली विदेशी एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार निवेश के लक्ष्यों और निर्माण–कार्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके और निर्माण–कार्य के दौरान यदि कोई कठिनाइयां सामने आती हैं तो उनको दूर किया जा सके।

उड़ीसा और तमिलनाडु में दो जल संसाधन एकीकृत परियोजनाएं तथा राजस्थान व उत्तर प्रदेश में दो जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजनाएं, जिनमें अनेक बृहत व मध्यम परियोजनाएं शामिल हैं, का प्रबोधन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 2006–07 के दौरान किया गया जिसमें बहुविषयक प्रकार के मुद्दे शामिल थे।

8.4 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

1996–97 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उन परियोजनाओं, जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हैं अथवा पूर्ण होने के अंतिम चरण में हैं, के क्रियान्वयन त्वरित कराने के उद्देश्य से देश की वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया। परियोजनाओं का चयन करते समय पांचवीं योजना से पूर्व तथा पांचवीं योजना की परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया है। उन परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है जिनसे आदिवासी और सूखा–प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंच रहा है। तथापि, वर्ष 1999–2000 के बाद से संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों

के अन्तर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के विशेष वर्ग के राज्यों (उत्तरी–पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल के पर्वतीय राज्यों तथा उड़ीसा के के बी के जिलों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं) की सिंचाई परियोजनाओं के तहत् लघु सतही के लिए भी विस्तार किया जा सकता है। तथापि बाद में 1.4.2005 से गैर विशेष वर्ग के राज्यों को भी आदिवासी क्षेत्रों को सूखा प्रवण क्षेत्रों, जिनसे पूर्णतः दलितों और आदिवासियों को लाभ पहुंचता है, के संदर्भ में 100 हैक्टेयर से ज्यादा की क्षमता वाली लघु सतही सिंचाई स्कीमों को शामिल किया जा सकेगा। 2004–05 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान घटक शुरू किया गया था तथा केन्द्र ने ऋण भाग तथा केन्द्रीय सहायता अनुदान घटक दोनों को उपलब्ध कराया था। तथापि, वर्तमान नीति के अनुसार केन्द्र केवल 2006–07 से ही अनुदान घटक उपलब्ध करा रहा है और राज्य विपणन उधार द्वारा ऋण घटक एकत्र करने के लिए अधिकृत है ।

सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 2006 से केन्द्रीय सहायता के लिए मानदंडों में और छूट दी है। पहले के दिशा–निर्देशों जिनमें ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत नई परियोजना शामिल करने हेतु ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं को पूरा करने संबंधी दिशा–निर्देशों दिए गए थे उनमें छूट दी गई है। ये छूट ऐसी परियोजनाओं को दी गई है जो (क्र) सूखा–प्रवब क्षेत्रों (ख) आदिवासी क्षेत्रों (ग) राष्ट्रीय औसत के तुलना में निम्न सिंचाई विकास वाले राज्यों और (घ) कृषि समस्याग्रस्त जिलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के अन्तर्गत पहचान किए गए जिलों को लाभ पहॅुचाती हैं।

चित्र 8.4 में ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत चल रही बृहद, मध्यम और विस्तार, नवीकरण, आधुनिकीकरण परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है। तालिका 8.3 में ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत पूरी हो चुकी बृहद और मध्यम परियोजनाओं की राज्यवार सूची दी गई है।

चित्र 8.4

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत बृहत, मध्यम और ई.आर.एम. परियोजनाएं

उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल (8), पंजाब (4), आंध्र प्रदेश (14), असम (8), बिहार (8), छत्तीसगढ़ (5), गुजरात (6), हिमाचल प्रदेश (3), झारखंड (6), कर्नाटक (7), केरला (2), महाराष्ट्र (19), गोवा (2), उड़ीसा (12), राजस्थान (5), त्रिपुरा (3), पश्चिम बंगाल (6), हरियाणा (1), जम्मू एवं कश्मीर (9), मध्य प्रदेश (10), मणिपुर (3)

(सामान्य एवं फास्ट ट्रैक)

31.03.2006 को

कुल परियोजनाएं – 140

बृहत – 65 मध्यम – 59 ई.आर.एम. – 16

तालिका 8.3 ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत पूरी हो चुकी बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

क0सं0	राज्य	परियोजना	क0सं0	राज्य	परियोजना
1	आंध्र प्रदेश	चेय्यरू (अन्नामाया)	16	गुजरात	दमनगंगा
2	असम	नागार्जुन सागर	17		देव
3		श्रीराम सागर स्टेज–।	18		हरनव–।।
4		मड्डुवालासा	19		झुज
5		प्रियादर्शनी जुराला	20	उड़ीसा	कर्जन
6	असम	बोरदिकराई	21		सिपु
7		रूपाही	22		सुखी
8		हवाईपुर लिफ्ट	23		उमारिया
9	बिहार	बिलासी	24		वाटरक
10		ओरनी जलाशय	25	हरियाणा	गुड़गांव नहर
11		अपर क्यूल	26	झारखंड	लटराटू
12	छत्तीसगढ़	शिवनाथ मंडल	27		तपकारा जलाशय
13		हसदेव बांगो	28	जम्मू एवं कश्मीर	जैनगीर नहर आधुनिकीकरण
14		जौंक डाइवर्सन	29	कर्नाटक	मस्कीनाल्हा
15	गोवा	सलौली	30	केरला	कल्लडा
31	मध्य प्रदेश	बंजर	46		ससोन नहर
32		अपर वेनगंगा	47		साल्की सिंचाई
33		उर्मील	48	पंजाब	रंजीत सागर
34	महाराष्ट्र	जवालगांव	49	राजस्थान	गंभीरी आधुनिकीकरण
35		जायकवाडी चरण–दो	50		जैसमंड आधुनिकीकरण
36		काडवी	51		चापी
37		कसारी	52		पंचाना
38		कसरसाईं	53	उत्तर प्रदेश	गुण्टा नाला
39		खड़कवासला	54		ज्ञानपुर पंप नहर
40		अपर तापी	55		मध्य गंगा एवं उपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण
41		वन	56		राजघाट बांध
42		विष्णुपुरी (कार्य)	57		शारदा सहायक
43		बहुआ	58		एच.के. दोआब में खरीफ चैनल उपलब्ध कराना
44	उड़ीसा	अपर कोलाब	59	पश्चिम बंगाल	कंग्सावती
45		पोटेरू			

वर्ष 2006–07 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन 104 बृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को 1884.221 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 2006–07 के प्रस्तावों की तुलना में 2007–08 के दौरान बृहद/मध्यम परियोजनाओं को 14.04.2007 तक 1352.49 करोड़ रूपये

का अनुदान भी दिया गया है। राज्यों को प्रदान की गई कुल संचयी केन्द्रीय ऋण सहायता अनुदान 22066.753 करोड़ रूपये (सामान्य ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत 20303.24 करोड़ रूपये और फास्ट ट्रैक ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत 1763.513 करोड़ रूपये) है। यह सहायता इस कार्यक्रम के प्रारंभ से 15.04.2007 तक 229 परियोजनाओं को दी गई है (विवरण तालिका 8.4 में और चित्र 8.5 पर दिया गया है।)

तालिका 8.4 : बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए सामान्य और फास्ट ट्रैक ए.आई.बी.पी. के अधीन वर्षवार केन्द्रीय ऋण सहायता का संवितरण

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	वितरित केन्द्रीय ऋण सहायता		
	सामान्य ए.आई.बी.पी.	फास्ट ट्रैक कार्यक्रम	कुल
1996–97	500.000		500.000
1997–98	952.190		952.190
1998–99	1119.180		1119.180
1999–2000	1392.065		1392.065
2000–01	1791.605		1791.605
2001–02	2081.366	472.860	2554.226
2002–03	2628.283	386.855	3015.138
2003–04	2529.904	493.380	3023.284
2004–05	2574.574	198.555	2773.129
2005–06	1497.362	211.863	1709.225
2006–07	1884.221	0.0	1884.221
2007–08*	1352.490	0.0	1352.490
कुल	**20303.240**	**1763.513**	**22066.753**

(प्रस्ताव प्राप्ति की अवधि 2006–07)

उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल 2260.258, तमिलनाडु 20.000, त्रिपुरा 50.76, पश्चिम बंगाल 176.897, आंध्र प्रदेश 2165.372, असम 110.719, बिहार 516.503, छत्तीसगढ़ 275.87, गोवा 151.3, गुजरात 4776.83, हरियाणा 90.54, जम्मू एवं कश्मीर 155.298, हिमाचल प्रदेश 101.183, झारखंड 94.235, कर्नाटक 2845.522, केरल 164.536, मध्य प्रदेश 24444.731, महाराष्ट्र 1875.544, मणिपुर 321.626, मेघालय 4.000, उड़ीसा 1327.792, पंजाब 441.787

चित्र 8.5

जारी की गई कुल केन्द्रीय ऋण सहायता – 22066.753 करोड़ रूपए

सामान्य त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गई राज्य–वार संचयी केन्द्रीय ऋण सहायता

(15 अप्रैल, 2007 तक)

इस कार्यक्रम के लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या 31.03.2007 तक 24 है। इस कार्यक्रम के सामान्य ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली कुल परियोजनाएं की संख्या 210 हैं और फास्ट ट्रैक ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत 42 परियोजनाएं लाभ प्राप्त कर रही हैं। सामान्य ए.आई.बी.पी. और फास्ट ट्रैक ए.आई.बी.पी. के बीच 23 सामान्य परियोजनाओं को मानते हुए 31 मार्च 2007 तक लाभ प्राप्त करने वाली परियोजनाओं की कुल संख्या 229 है। ए.आई.बी.पी. के परिणामस्वरूप 229 परियोजनाओं में से 59 परियोजनाएं 31 मार्च, 2007 तक पूरी की जा चुकी हैं। जैसा कि राज्य/सरकारों द्वारा सूचित किया गया है योजना के प्रारंभ से लेकर मार्च, 2006 तक ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत 3.83 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय जल आयोग को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है ि कवह केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान प्राप्त करने वाली परियोजनाओं का व्यापक प्रबोधन करें। वर्तमान में ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत 159 चालू परियोजनाएं हैं जिन्हें अनुदान दिया जा रहा है और जिनका प्रबोधन केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया जा रहा है। ए.आई.बी.पी. के अधीन परियोजनाओं का प्रबोधन केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा वर्ष में दो बार किया जाता है। उसके पश्चात् कार्य–स्थिति रिपोर्टें तैयार करके सभी संबंधितों को जारी की जाती हैं।

ए.आई.बी.पी. में किए गए निवेश और प्रति हेक्टेयर सृजित की गई क्षमता के संबंध में मिलने वाले लाभों की तुलना करने पर यह पाया गया है कि मिलने वाले परिणाम बहुत उत्साहवर्धक हैं। सृजित क्षमता के प्रति हेक्टेयर पर होने वाला खर्च उचित 5,000/– है जो विकास के लिए उचित लागत है।

8.5 सिंचाई विकास की राज्य–वार स्थिति रिपोर्टें

परियोजना प्रबोधन संगठन राज्य–वार वार्षिक स्थिति रिपोर्टें तैयार करता है जिनमें राज्य में बृहत और मध्यम परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई विकास को दर्शाया जाता है। इन रिपोर्टों में राज्य के सतही जल संसाधन, चरम सिंचाई क्षमता, सृजित क्षमता/उपयोग की गई क्षमता एवं किए गए खर्च के संबंध में योजना–वार सिंचाई विकास, भूमि उपयोग वर्गीकरण, सूखा–संभावित और आदिवासी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं, अन्तर्राज्यीय/विदेशी सहायता प्राप्त/केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रबोधित बृहत परियोजनाएं आदि के विवरण के साथ–साथ उन गंभीर मुद्दों और संबंधित मुद्दों की जानकारी भी दी जाती है जिनपर राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है।

8.6 प्रबंधन सूचना प्रणाली

केन्द्रीय जल आयोग त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों द्वारा प्राप्त सूचना/आंकड़ों का रख–रखाव करता है जो कि प्रबोधित परियोजनाओं के लिए राज्य/परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तथा ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय जल आयोग की क्षेत्रीय यूनिटों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इससे निर्माण कार्य के आयोजन, परियोजना कर्मचारियों की भर्ती, भू–अधिग्रहण समस्याएं, गुणवत्ता नियंत्रण मुद्दे आदि जैसी अत्यावश्यक निर्माण गतिविधियों, जो कि केन्द्रीय जल आयोग की प्रबोधन–स्थिति रिपोर्टों में दर्शायी गई हैं, की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई का प्रबोधन करने के लिए उनके साथ लगातार तालमेल रखना सुनिश्चित होता है। तथापि एक विस्तृत प्रबंधन सूचना प्रणाली को अभी विकसित किया जाना है।

8.7 परियोजनाओं का प्रबोधन

133 परियोजनाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रबोधन स्थिति रिपोर्टों के संबंध में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रबोधन से संबंधित कार्य और समन्वय की जांच भी की गई और जहां भी आवश्यक था टिप्पणियां भी भेजी गई। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लगभग उन सभी परियोजनाओं का प्रबोधन कर लिया गया है जो केन्द्रीय जल आयोग को सौंपी गई थी। वर्ष 2006–07 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों से 51 अर्धवार्षिक कार्य–स्थिति रिपोर्टें प्राप्त की गई, इन रिपोर्टों की जांच की गई जहां भी आवश्यक था टिप्पणियां भेजी गई।

8.8 जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार

भारत में बहुत बड़ी संख्या में जल निकाय पूरे देश में फैले है जो कि बहुत पुराने हैं और जिनका उपयोग या तो बहुत कम रह गया है या लंबे समय से बेकार पड़े हैं। परम्परागत जल निकायों की जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए या उसे बनाये रखने के लिए और 40 हेक्टेयर से 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि सिंचाई योग्य इन मौजूदा बेकार पड़े जल निकायों की खोई हुई सिंचाई क्षमता को पुनः बनाने के लिए भारत सरकार ने "कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार हेतु राष्ट्रीय परियोजना" नामक एक मार्गदर्शी योजना तैयार की है। यह योजना दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वित की जानी है और इसकी अनुमानित लागत 300 करोड़ रूपये है। इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अप्रैल, 2005 में किया गया था। इसका वित्तपोषण केन्द्र व राज्य द्वारा क्रमशः 3:1 के अनुपात में किया जाना है। आंध्र प्रदेश (2), कर्नाटक (2), झारखंड (2), छत्तीसगढ़ (1), उड़ीसा (2), राजस्थान (2), पश्चिम बंगाल (2), तमिलनाडु (2), मध्य प्रदेश (2), हिमाचल प्रदेश (1), जम्मू एवं कश्मीर (1), केरल (2), गुजरात (2) और महाराष्ट्र (1), राज्यों के 24 जिलों में 299.7925 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से इसे जल संसाधन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है। राज्यों के लिए अनुमोदित परियोजना के आधार पर वर्ष 2006–07 के लिए कुछ राज्यों को धनराशि प्रदान की गई थी। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई थी और सहभागी राज्यों के समेकित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ और मार्गदर्शी योजना में सम्मिलित करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय को भेजे गए थे। केन्द्रीय जल आयोग राज्यों द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन का प्रबोधन भी कर रहा है।

एक बार यदि यह योजना पूरी हो जाती है तो यह एक बहुत बड़े पैमाने पर "राष्ट्रीय जल संसाधन विकास परियोजना" जिसे पूरा करने में 7–10 वर्ष का समय लग सकता है, को प्रारंभ करने का आधार बना सकती है। समुदाय के सक्रिय सहयोग को एक आवश्यक निवेश के रूप में दर्शाया गया है ताकि यह सुनिश्चित करना संभव हो कि योजना के अन्तर्गत सृजित संपत्तियों और सुविधाओं का ईष्टतम उपयोग हो रहा है और पंचायती राज संस्थाओं और जल उपभोक्ता संघों के संपत्तियों व सुविधाओं के द्वारा भवन, कार्यचालन, प्रबोधन और संरक्षण में सहयोग द्वारा योजना को दीर्घाविधि आधार पर बनाये रखा जा सके। कुछ सीमा तक आवाह क्षेत्र उपचार भी इस योजना का एक हिस्सा होगा।

विभिन्न राज्यों में लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत "कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्वार" के समन्वय का कार्य और इससे जुड़े अन्य कार्य हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग को सौंपे गए हैं। इस संबंध में 15 राज्यों के 26 जिलों के 1079 प्रस्तावों को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है। जिनकी कुल लागत 299.075 करोड़ रूपये है। यह कार्य केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधन मंत्रालय के दिशा–निर्देशों और संबंधित राज्य सरकारों के प्राधिकारियों के अनुसार योजनाओं की जांच के पश्चात् की गई सिफारिशों के बाद किया गया है।

अध्याय –नौ

निर्माण उपस्कर आयोजना एवं प्रबंधन

केन्द्रीय जल आयोग निमार्ण उपस्कर की आयोजना और प्रबंधन के विभिन्न कार्यकलापों में सक्रिय रूप कार्यरत है जिनमें संयंत्र आयोजन की दृष्टि से प्राप्त परियोजना रिपोर्टों का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन, उपस्करों के आयोजन में परामर्श, उपस्करों के कार्य निष्पादन का प्रबोधन, उपस्करों व स्पेयर पार्ट्स मंगाने में सहायता, जन शक्ति के आयोजन, संविदा प्रबंध, लागत/अनुमान तैयार करना और डाटा प्रोसेसिंग शामिल है।

9.1 परियोजना मूल्यांकन

वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों की सिंचाई, Åर्जा और बहउद्देश्यीय परियोजनाओं की 48 परियोजना रिपोर्टों की संयंत्र आयोजन की दृष्टि से तकनीकी जांच की गई थी। इनमें से 33 परियोजना रिपोर्टों की अर्थमूविंग व निर्माण उपकरणों के संबंध में 18756.09 लाख रूपये के प्रावधान के साथ स्वीकृति की सिफारिश की गई थी। शेष 15 परियोजना के संबंध में टिप्पणियां अनुपालना और आगे समीक्षा हेतु परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई थी।

9.2 परामर्शी सेवाएं

- रंजित जल विद्युत परियोजना के लिए उपस्करों के आयोजन का कार्य किया गया तथा सिक्किम अन्वेषण मंडल, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल करने हेतु तैयार किए गए अध्याय "निर्माण कार्यविधि और उपस्कर आयोजन" की पुनरीक्षा करके उसे अंतिम रूप दिया गया।

- मेघालय में उमानी नहर में गाद और प्रदूषण के नियंत्रण के लिए ड्रेजर की तकनीकी विशिष्टताएं संबंधित राज्य सरकारों को भेजी गईं।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को उपस्करों जो कि खरीद हेतु परामर्शी सहायता दी गई। क्रॉलर डोजर 180 एचपी की तकनीकी विशिष्टताओं को अंतिम रूप देकर प्रस्तुत किया गया।

9.3 प्रबोधन कार्यक्रम और उपस्करों का समुपयोजन

नदी घाटी परियोजनाओं में उपलब्ध भारी अर्थमूविंग और निर्माण उपस्करों के समुपयोजन का प्रबोधन करने हेतु केन्द्रीय जल आयोग प्रत्येक तिमाही के आधार पर उपस्करों के कार्यनिष्पादन संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। इन आंकड़ों का विश्लेषण केन्द्रीय यांत्रिकी संगठन (सीएमओ) के संयंत्र एवं मशीनरी निदेशालय द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य उपस्करों के कम कार्यनिष्पादन/समुपयोजन के कारणों का पता लगाना है। वर्ष 2006–07 के दौरान पंजाब राज्य से 6 त्रैमासिक रिपोर्टों और एक वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिनका विश्लेषण किया गया जा चुका है।

9.4 जल संसाधन के क्षेत्र में अधिशेष उपस्करों और स्पेयर पार्ट्स का निपटान

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सिंचाई विभाग में पूरे राज्य की सिंचाई परियोजनाओं में बहुत बड़ी संख्या में अर्थमूविंग और निर्माण उपस्कर व उनके स्पेयर पार्ट अधिशेष में/बेकार स्थिति में पड़े हैं। उत्तर

प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने क्रमशः 11 और 2 निपटान समितियों का गठन किया है जिनमें केन्द्रीय यांत्रिकी संगठन का एक अधिकारी सदस्य के रूप में है।

वर्ष 2006–07 के दौरान इन समितियों की 13 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें विभिन्न बेकार पड़े उपस्करों/संयंत्रों का सुरक्षित मूल्य 144.802 लाख रूपये निश्चित किया गया। केन्द्रीय जल आयोग से प्रतिनिधियों ने इन बैठकों में भाग लिया। आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय जल आयोग मुख्यालय के उपस्करों, वाहनों और अन्य विविध प्रकार की मदों के निपटान हेतु सुरक्षित मूल्य निर्धारित करने में भी सहायता दी जा रही है। निदेशक (संयंत्र एवं मशीनरी) ने फरक्का बांध परियोजना (पश्चिम बंगाल) में पड़े भारी अर्थमूविंग संयंत्रों और समुद्री उपस्करों के सुरक्षित मूल्य निर्धारित करने के संबंध में फरक्का बांध परियोजना का दौरा किया।

9.5 जन–शक्ति आयोजन

वर्ष के दौरान "बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में प्रचालन और अनुरक्षण की स्थिति में रोज़गार सृजन" संबंधी एक विशेष अध्ययन प्रारंभ किया गया। वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि के लिए आंकड़े एकत्र करने के लिए अनुदेशों एवं परियेाजना के चयन संबंधी प्रपत्र को अंतिम रूप दिया गया। सूचना भेजने हेतु राज्यों/परियोजना प्राधिकारियों को पत्र भेजे गए।

मानव शक्ति आयोजन सेल में, अब तक किए गए विभिन्न अध्ययनों से संबंधित एक लघु पुस्तिका (booklet) जिसका शीर्षक "बृहद एवं मध्यम (निर्माणाधीनऔर प्रचालनाधीन तथा अनुरक्षण स्तर पर) सिंचाई परियोजनाओं में रोज़गार सृजन" है, का संशोधन किया गया है, जिसे शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

अध्याय–दस

अन्तर्राज्यीय मामले

10.1 अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद

केन्द्रीय जल आयोग विचार–विमर्श के द्वारा राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय जल विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित के संबंध में सहायता प्रदान की गई :

10.1.1 कावेरी जल विवाद अधिकरण

कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2 जून, 1990 को अन्तर्राज्यीय नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवाद के अधिनिर्णय हेतु की गई थी। अधिकरण ने 05.02. 2007 को अपने निर्णय सहित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सभी पक्षकार राज्य और केन्द्र सरकार निर्णय की तारीख से तीन महीने के अन्दर अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम 1956 की धारा 5(3) के अन्तर्गत अधिकरण से स्पष्टीकरण व दिशा–निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट और लिए गए निर्णयों पर अध्ययन जारी है।

10.1.2 रावी–ब्यास जल विवाद अधिकरण

पंजाब समझौता 1985 के कमषः पैराग्राफ 9.1 एवं 9.2 में संदर्भित मामलों के सत्यापन और अधिनिर्णय के लिए 02 अप्रैल, 1986 में रावी और ब्यास जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया था। अधिकरण ने जनवरी, 1987 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। केन्द्र सरकार तथा पक्षकार राज्यों पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के तहत अधिकरण से कुछ मदों पर स्पष्टीकरण एवं दिषा–निर्देष मांगा है। अधिकरण ने विभिन्न कारणों से अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

इसी बीच हरियाणा ने वर्ष 1995 में उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर दिया जिसमें पंजाब सरकार और भारत सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है एवं पंजाब में आने वाले क्षेत्र में सतलुज यमुना संपर्क नहर के निर्माण की प्रार्थना की गई है। 15 जनवरी, 2002 को उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य को यह निर्देष दिया कि वह सतलुज यमुना संपर्क नहर की उस भाग की खुदाई जारी रखे, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और 15 जनवरी, 2002 से एक वर्ष के भीतर नहर का प्रचालन कार्य प्रारंभ कर दे।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह भी निर्देष दिया कि यदि पंजाब सरकार एक वर्ष के अंदर सतलुज यमुना संपर्क नहर का कार्य पूरा नहीं करती है तो केन्द्र सरकार अपने निजी अभिकरणों के माध्यम से इस कार्य को यथाषीघ्र पूरा करे। पंजाब सरकार ने 13.1.03 को माननीय उच्चतम न्यायालय परिवर्तित परिस्थितियों एवं अन्य कमियों एवं विचारों को ध्यान में रखते हुए 15.1.2002 के डिकी के तहत उल्लिखित प्रतिबंधों के अनुसार निस्सरण की मांग करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 4.6.2004 के निर्णय में यह निर्देष दिया है कि केन्द्र सरकार पंजाब सरकार के नहर संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए किसी केन्द्रीय अभिकरण को

एक महीने के भीतर तैयार करे। कोर्ट ने यह भी निर्देष दिया कि सरकार समन्वय स्थापित करने और डिक्री को एक महीने के अंदर क्रियान्वित करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करे।

केन्द्र सरकार ने नहर के कार्यान्वयन के लिए अपना अभिकरण नामित किया तथा निर्देशानुसार समिति का गठन किया। तथापि, पंजाब राज्य ने 12.07.2004 को पंजाब निरस्तीकरण समझौता अधिनियम 2004 को अधिनियमित किया जिसके तहत रावी–व्यास जल विवाद से संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया है परन्तु वर्तमान प्रणाली से मौजूदा और वास्तविक उपयोगों को बनाए रखा गया है। दिनांक 22. 07.2004 को निर्मित अधिनियम की संवैधानिकता पर राष्ट्रपति संदर्भ माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है।

रावी–व्यास जल विवाद अधिकरण ने उक्त राष्ट्रपति संदर्भ के निपटान होने तक अधिकरण में मामले को आस्थगित रखने से पहले पंजाब राज्य से प्राप्त आवेदन पर सभी पक्षकारों के साथ सुनवाई की है।

अधिकरण ने पंजाब निरस्तीकरण समझौता अधिनियम, 2004 के संवैधानिकता के मामले पर राष्ट्रपति संदर्भ जो माननीय उच्चतम न्यायालय के विचारार्थ लंबित है, को ध्यान में रखते हुए 5 फरवरी, 2006 से आगे 6 महीने की अवधि और बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध प्रक्रियाधीन है। अधिकरण को सुनवाई फरवरी, अप्रैल एवं सितम्बर, 2005 में हुई थी।

10.1.3 कृष्णा जल विवाद अधिकरण

कृष्णा जल विवाद अधिकरण का गठन अन्तर्राज्यीय नदी कृष्णा और उसकी नदी घाटियों के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद के संबंध में निर्णय लेने हेतु 2 अप्रैल, 2004 को किया गया था।

अधिकरण ने बेसिन राज्यों द्वारा दायर की गई सात अंतरिम याचिकाओं के संबंध में 09.06.2006 को आवेश जारी किए है। इन आवेदनों के द्वारा प्रत्येक राज्य ने मुख्य रूप से अन्य बेसिन राज्यों को कुछ परियोजनाओं को आग्रे बढ़ने से रोकने हेतु मांग की थी। अधिकरण ने सभी राज्यों की प्रार्थना पर अंतरिम राहत प्रदान करने से मना कर दिया है। अधिकरण के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।

10.1.4 मांडवी नदी जल विवाद

मांडवी एक अन्तर्राज्यीय नदी है जिसका उद्गम कर्नाटक में है और गोवा में प्रवाहित होने के पश्चात् यह अरब सागर में जाकर मिलती है। आवाह क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा महाराष्ट्र में है। कर्नाटक सरकार ने मांडवी के जल के प्रवाह को मोड़ने संबंधी प्रस्ताव पहले तैयार किया था। अप्रैल, 2002 में जल संसाधन मंत्रालय ने पेय जल के प्रयोजनों के लिए मांडवी बेसिन से 7.56 टीएमसी जल को साथ में लगे मालप्रभा उप–बेसिन (कृष्णा बेसिन) की ओर प्रवाहित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दी थी। गोवा सरकार के अत्यंध विरोध को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन मंत्रालय ने सितम्बर, 2002 के दौरान "सैद्धांतिक सहमति" को लंबित रखा। गोवा सरकार ने भी विवादों पर निर्णय के लिए एक अधिकरण के गठन की मांग की।

बाद में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने दिसम्बर, 2002 में एक अन्तर्राज्यीय बैठक की जिसके दौरान यह निर्णय लिया गया कि गोवा सरकार और केन्द्रीय जल आयोग मिलकर आंकड़ों में विसंगतियां आदि को ठीक करने का प्रयास करें और प्राप्त अंकों तथा आंकड़ों के आकलन का कार्य मार्च, 2003 तक पूरा कर लें। चूंकि गोवा सरकार केन्द्रीय जल आयोग की साइट के रन ऑफ आंकड़ों की मूल रिकार्ड से विशेष रूप से जांच करना चाहती थी, इसलिए जल संसाधन मंत्रालय ने जुलाई, 2003 में केन्द्रीय जल आयोग के गंगिम स्थल के सभी Åपरिस्कृत गेज आंकड़ों को गोवा को देने की अनुमति दे दी। हाल ही में गोवा सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने मई, 2003 तक के आंकड़े एकत्र कर लिए हैं और इन आंकड़ों को परिष्कृत करने के लिए और अधिक समय की जरूरत है तथा इस मामले पर किसी अन्तर्राज्यीय बैठक में इसे संप्रेषित करने से पहले केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के साथ पुनः विचार–विमर्ष करना होगा।

संसद सदस्यों/विधान परिषद के सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर माननीय जल संसाधन मंत्री ने इच्छा व्यक्त की थी कि सचिव, जल संसाधन और अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, गोवा और कर्नाटक के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करें लेकिन ऐसी कोई बैठक नहीं हुई। बाद में माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने बेसिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ 4 अप्रैल, 2006 को बैठक की। लेकिन किसी समझौते या निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सका। गोवा राज्य इस विवाद के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक अधिकरण गठित करने का आग्रह कर रहा है।

10.1.5 वम्सधारा नदी जल विवाद

फरवरी, 2006 के दौरान, उड़ीसा सरकार ने अंतर्राज्यीय नदी वम्सधारा के संबंध में अधिनिर्णय देने के लिए एक अधिकरण के गठन हेतु उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच नदी जल विवाद संबंधी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत केन्द्र सरकार को एक शिकायत भेजी थी। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार यदि केन्द्र सरकार यह मानती है कि बातचीत के जरिए जल विवाद हल नहीं किया जा सकता है तो उसे अनुरोध प्राप्त करने के एक वर्ष के भीतर एक अधिकरण का गठन करना होगा। यह मामला जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत विचाराधीन है। मामले को हल करने के लिए 24 अप्रैल, 2006 को सचिव (जल संसाधन) ने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकार के सचिवों के साथ एक अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय जल आयोग आंकड़ों का उत्पाद का पुर्नआंकलन करेगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य भी इस बात से सहमत थे कि जैसा कि पहले 30.09.1962 को समझौता हुआ था, वे नदी से मिलने वाले लाभों का 50:50 के अनुपात में हिस्सा लेंगे। यह भी समझौता हुआ था कि कटरागदा में साइड वियर के निर्माण के कारण नदी मार्ग के मोड़ने के पहलू पर केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला द्वारा अध्ययन किया जाएगा।

10.2 छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के लिए पेय जल की आपूर्ति

मध्य प्रदेश सरकार (जिसे अब छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है) द्वारा 1999 में सूचित किया गया था कि पिछले वर्षों के दौरान इन्द्रावती नदी में मानसून के पश्चात् जल का प्रवाह लगातार कम होता जा रहा है जिसका कारण इन्द्रावती नदी "जौरानल्ला" नामक एक छोटी नदी के माध्यम से दिशा बदलना है जो कि कोलाब–सबरी नदी से जुड़ती है और परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में निचले प्रवाह क्षेत्र के गांवों और जगदलपुर शहर में पेय जल आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो रही है।

उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यों के बीच दिनांक 09.12.1975 को हुए समझौते में उपाबंध 'क' के अन्तर्गत उपाबंध–iv के तहत गोदावरी जल विवाद अधिकरण पंचाट के प्रावधानों के अनुसार उड़ीसा को मध्य प्रदेश के साथ जुड़ी अपनी सीमा पर यह सुनिश्चित करना है कि मध्य प्रदेश द्वारा इस्तेमाल के लिए

75% विश्वसनीयता व इन्द्रावती और इसकी सहायक नदियों में 45 टीएमसी का प्रवाह उपलब्ध रहे। तथापि, उपलब्ध कराये जाने वाले जल की मासिक मात्रा के लिए कोई विशेष शर्त नहीं है।

सदस्य (जल आयोजन व परियोजना) ने अप्रैल, 2003 तक उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के सचिवों और केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के साथ चार अन्तर्राज्यीय बैठकें की। 24 दिसम्बर, 2003 को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता के स्तर पर एक अन्तर्राज्यीय बैठक रायपुर में आयोजित की गई जिसमें अन्य मुद्दों के अलावा जगदलपुर शहर और अनुप्रवाह क्षेत्र में जल आपूर्ति की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय जल आयोग से यह अनुरोध किया जाएगा किवह डिजाइन का कार्य करे और छत्तीसगढ़ केन्द्रीय जल आयोग को परामर्ष का खर्च देगा। तदनुसार, निदेषक, बीसीडी (पूर्व एवं उत्तर–पूर्व), केन्द्रीय जल आयोग ने मार्च, 2004 में प्रस्तावित संरचनाओं के स्थान का निरीक्षण किया और निरीक्षण संबंधी टिप्पणी दोनों राज्य सरकारों को भेजी जिनमें अन्वेषणों की जाने वाली क्षेत्रीय व प्रयोगशाला, डिजाइन कार्य के लिए एकत्र किए जाने वाले और भेजे जाने वाले आंकड़े आदि दर्शाये गए थे। उड़ीसा सरकार से अपेक्षित आंकड़े/सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उड़ीसा सरकार की तरफ से सूचना प्राप्ति हेतु अनुग्रह किया जा रहा है। दिसम्बर, 2004 में दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधानषाला और केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा स्थान का दौरा किया गया। केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधानषाला में मॉडल अध्ययन करने के लिए भेजे जाने वाले आंकड़ों की सूची तैयार करके दोनों राज्यों को दी गई। केन्द्रीय जल आयोग ने प्रस्तावित संरचना के लिए विशिष्ट ड्राईंग ली हैं। इन्द्रावती एवं जौरानल्ला नदियों पर प्रस्तावित नियंत्रण संरचना हेतु मॉडल अध्ययन केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधानषाला, पुणे में प्रगति पर हैं। तथापि प्रारंभिक डिजाइन/ड्राईंग कार्य केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पहले ही कर लिया गया है।

10.3 पेन्नार बेसिन की चित्रावती नदी पर परागोडू परियोजना

कर्नाटक सरकार ने पेन्नार नदी की एक सहायक नदी चित्रावती पर एक लघु परियोजना के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है जो कि एक अन्तर्राज्यीय नदी है (कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच)। इस परियोजना में एक टैंक के निर्माण के जरिए 88 ग्रामों और 2 नगरों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार परियोजना के निर्माण से आंध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त अनन्तपुर जिले प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना) के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के प्रतिनिधियों के साथ एक केन्द्रीय दल ने जून, 2003 में परियोजना क्षेत्र का दौरा किया। इस विषय पर बाद में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा ली गई एक अन्तर्राज्यीय बैठक में चर्चा की गई। चर्चा के आधार पर संशोधित परियोजना रिपोर्ट जनवरी, 2004 में प्राप्त हुई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत की विष्वसनीयता के लिए परियोजना की आयोजना पर तैयार की गई थी और केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पेय जल आपूर्ति के मानदंड नही अपनाए गए थे। राज्य सरकार से कहा गया है कि परियोजना आयोजन को संशोधित करके 95 प्रतिशत विश्वसनीयता की जाए और भारत सरकार के षहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के मानकों के अनुसार पेय जल मानदंड अपनाए जाए। संषोधित परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

10.4 नदी बोर्ड अधिनियम, 1956

अन्तर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के विनियमन व विकास के लिए संविधान की सूची–। की प्रविष्टि 56 के तहत नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 बनाया गया था। केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहमति से नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत नदी बोर्ड का गठन कर सकती है। तथापि, केन्द्र सरकार अब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी नदी बोर्ड का गठन नहीं कर सकी है। जैसा कि उक्त अधिनियम में निहित है, नदी बोर्डों केवल एक सलाहकार के रूप में है। एकीकृत जल संसाधन विकास योजना हेतु राष्ट्रीय समिति ने मौजूदा नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के स्थान पर "अन्तर्राज्यीय नदी और नदी घाटी (एकीकृत और सहभागितापूर्ण प्रबंध)" नामक एक नया अधिनियम बनाने की सिफारिश की है।

10.5 अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के लिए नियंत्रण बोर्ड

10.5.1 बाणसागर नियंत्रण बोर्ड

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसरण में बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का गठन बाणसागर बांध और उससे जुड़े कार्यों के कुशल मितव्यायी में और शीघ्र निष्पादन हेतु जनवरी, 1976 में तत्कालिन कृषि और सिंचाई मंत्रालय के संकल्प के अनुसार किया गया था। बोर्ड का मुख्यालय रीवा (मध्य प्रदेश) में स्थित है।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और केन्द्रीय Åर्जा मंत्री, जल संसाधन राज्य मंत्री, मुख्य मंत्री एवं तीनों राज्यों के सिंचाई एवं वित्त प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी विद्युत मंत्री इसके सदस्य है। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं।

सोन नदी पर बाणसागर बांध जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त उपक्रम है, का कार्य निष्पादन जल संसाधन विभाग द्वारा बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अन्तर्गत किया जा रहा है। नहरों और Åर्जा प्रणाली का निष्पादन कार्य संबंधित राज्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से और विद्युत गृह के कार्य का एमपीईबी द्वारा किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास सहित बांध की लागत और लाभ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का 2:1:1 के अनुपात में हिस्सा होगा।

कार्यकारी समिति की अब तक 71 बैठकें हो चुकी हैं। 18.07.06 को आयोजित की गई 71वीं बैठक में बोर्ड के वित्तीय तकनीकी और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की गई।

10.5.2 बेतवा नदी बोर्ड

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 1973 में हुए समझौते के अनुसरण में राजघाट बांध परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है, के कार्यकरण के लिए एक नियंत्रण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, परियोजना के दक्षतापूर्ण, मितव्ययी और समय पर कार्यसंचालन के लिए बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 के अधीन बेतवा नदी बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड का मुख्यालय झांसी (उत्तर प्रदेश) में है।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और केन्द्रीय विद्युत मंत्री, जल संसाधन राज्य मंत्री, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एवं वित्त, सिंचाई तथा विद्युत प्रभारी मंत्री इसके सदस्य हैं।

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग बेतवा नदी बोर्ड की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 के अनुसार बोर्ड के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के आधार पर बोर्ड के प्रबंध संबंधी मामले कार्यकारी समिति द्वारा देखे जाएंगे और अध्यक्ष समिति के अन्य सदस्य बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार उसकी सहायता करेंगे। बोर्ड की नियमावली और निर्देशों के आधार पर कार्यकारी समिति किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकती है या किसी भी प्रकार का कार्य कर सकती है, जो कि बोर्ड द्वारा किए गए जाते हैं। अध्यक्ष, कार्यकारी समिति को कार्यकारी समिति द्वारा अभिसमर्थन के आधार पर अत्यावश्यक प्रस्तावों पर निर्णय लेने हेतु आपात्कालिक अधिकार प्रदान किया गया है।

बेतवा नदी बोर्ड के कार्यकारी समिति की अब तक 78 बैठकें हो चुकी हैं। इसकी 78वीं बैठक 18.07.2006 को हुई थी। समिति मे बोर्ड के वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की गई थी।

10.6 अन्तर्राज्यीय समितियां

कुछ महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय समितियों की गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है।

10.6.1 रिहन्द जलाशय की संयुक्त कार्यकरण समिति

रिहन्द, सोन नदी की बड़ी सहायक नदी है। रिहन्द जल–विद्युत परियोजना (6 X 50 एम.डब्ल्यू.) का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने 1962 में किया गया था। 268.224 मीटर के एफआरएल पर रिहन्द जलाशय की सक्रिय भंडारण क्षमता 5650 एमसीएम है। रिहन्द विद्युत गृह से निकली Åर्जा का उपयोग इन्द्रपुरी में सोन बैराज के द्वारा बिहार में सिंचाई के लिए होता है। रिहन्द परियोजना से जल निकासी के बंटवारे से संबंधित समझौते पर उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा 1973 में हस्ताक्षर किए गए थे। जल संसाधन मंत्रालय ने 1992 में रिहन्ह जलाशय के लिए संयुक्त कार्यसंचालन समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलाषय में जल की उपलब्धता, बिहार की सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं के आकलन और दोनों राज्यों के बीच की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से जलाशय के प्रचालन के लिए दिषा–निर्देष तैयार करने के लिए सृजित की जाने वाली विद्युत के आंकलन के पष्चात जल संसाधन मंत्रालय ने रिहन्द जलाशय के लिए 1992 में एक संयुक्त प्रचालन समिति का गठन किया है। सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), केन्द्रीय जल आयोग समिति के अध्यक्ष हैं और निदेषक (आर.ओ.) इसके सदस्य–सचिव हैं।

प्रत्येक वर्ष, जलाशय में जल उपलब्धता के आकलन के पश्चात जलाशय से मासिक निर्मुक्ति की पद्धति को अंतिम रूप देने के लिए सामान्यतः सितम्बर के महीने में रिहन्द जलाशय संबंधी संयुक्त प्रचालन समिति की बैठक आयोजित की जाती है। समिति की अब तक 17 बैठकें आयोजित की जा चुकी है। 26 सितम्बर, 2006 को आयोजित 17वीं बैठक में रिहन्द जलाशय से वर्ष 2005–06 में जारी की गई निर्मुक्तियों की समीक्षा की गई थी तथा उत्तर प्रदेश की विद्युत उत्पादन योजना और बिहार की सिंचाई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2006–2007 के लिए प्रचालन योजना को अंतिम रूप दिया गया।

10.6.2 घग्घर स्थायी समिति

फरवरी 1990 में घग्घर स्थाई समिति का गठन घग्घर बेसिन में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकास संबंधी कार्यों की जांच, समन्वय तथा इसके कार्यान्वयन में प्राथमिकता निर्धारित करने और

अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण से घग्घर बेसिन में अलग–अलग स्कीमों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। इस समिति के सदस्य, जल संसाधन मंत्रालय, उत्तर रेलवे, केन्द्रीय जल आयोग और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के सिंचाई विभागों से लिए गए हैं।

घग्घर समिति की 19वीं बैठक सदस्य, नदी प्रबंध की अध्यक्षता में 11.07.2006 को आयोजित की गई थी । बैठक में हरियाणा सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित विशेषताओं के अनुसार कोशालिया नदी पर कोशालिया बांध को निर्माण कार्य जारी रख सकता है। यह भी निर्णण लिया गया था कि बेसिन राज्यों को घग्घर जल के बॅटवारे के समझौते के लिए वार्ता करनी चाहिए तत्पश्चात् शेष दो बांधों के संबंध में हरियाणा के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

गंगा नदी की जल गुणवत्ता का प्रबोधन करने तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी उपचारात्मक सुझाव देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.12.2005 को घग्घर स्थायी समिति की एक उप समिति का गठन किया गया था। उप समिति की पहली बैठक 21.02.2006 को आयोजित की गई थी और यह संबंधित राज्यों से घग्घर नदी में प्रदूषकों के प्रवेश की तिथि एकत्र करने का निर्णय लिया गया था। उप समिति की दूसरी बैठक 22.09.2006 को आयोजित की गई थी और अब तक संकलित आंकड़े के अनुसार घग्घर नदी के जल गुणवत्ता पर मसौदा रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया था। मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् उप समिति द्वारा क्षेत्र का दौरा करने का भी निर्णय लिया गया था। मसौदा रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

10.6.3 यमुना स्थायी समिति

यमुना स्थायी समिति का गठन दिल्ली और इसके उप नगर तथा उत्तर रेलवे पुल के हितों का अध्ययन करने तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के प्रतिप्रवाह के कारण दिल्ली में यमुना में अधिकतम बाढ़ स्तर में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि के संबंध में अन्य अध्ययन करने, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के हितों में इन क्षेत्रों में से किसी में भी बाढ़ नियंत्रण कार्यों के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा करने और यमुना नदी पर किए गए किसी नये निर्माण के लिए पर्याप्त जल मार्ग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

इस समिति के सदस्य, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, उत्तर रेलवे, केन्द्रीय जल आयोग, भू तल परिवहन मंत्रालय और हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सिंचाई विभाग से लिए गए हैं। यमुना स्थायी समिति की 72वीं बैठक सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 08.01.2007 को आयोजित की गई थी।

10.6.4 साहिबी स्थायी समिति

वर्ष 1977 के दौरान साहिबी बेसिन में अप्रत्याशित बाढ़ के बाद राजस्थान और हरियाणा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अत्यधिक क्षेत्रों के प्रभावित होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय जल आयोग ने साहिबी नदी नजफगढ़ नाला जल निकास बेसिन की एक एकीकृत मास्टर प्लान तैयार की है। इस समिति के अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य (नदी प्रबंध) हैं तथा निदेशक (बाढ़ प्रबंध–1) सदस्य सचिव है तथा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के प्रतिनिधि सदस्य हैं। साहिबी नदी –नजफगढ़ नाला की मास्टर योजना के सभी तत्वों के क्रियान्वयन की देखरेख करने और केन्द्र बिन्दु पर प्रवाहों का विनियमन सुनिश्चित करने

के लिए वर्ष 1978 में कृषि और सिंचाई मंत्रालय, सिंचाई विभाग द्वारा इस समिति का गठन किया गया था ताकि सभी संबंधित राज्यों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सके। वर्ष 1978 से बेसिन में कोई बड़ी बाढ़ नहीं आई है और वर्ष 2006–07 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

10.6.5 सतलुज और रावी के बाढ़ सुरक्षा तटबंधों के लिए विशेष उपचारी कार्यों पर समिति

दिसम्बर, 1989 में मुख्य अभियंता (बाढ़ प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा सतलुज तथा रावी के बाढ़ संरक्षण तटबंध के लिए विशेष उपचारी कार्यों संबंधी समिति का गठन किया गया था ताकि चालू तथा पूर्ण किये गये कार्यों का आवधिक निरीक्षण करके ऐसे कार्यों हेतु उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता का पंजाब द्वारा किये गये उपयोग का प्रबोधन करने के लिए इस क्षेत्र में विकास कार्यों की जांच करने के पश्चात् पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत सतलुज तथा रावी पर बाढ़ संरक्षण तटबंध हेतु विशेष उपचारी कार्यों संबंधी प्रस्तावों की तकनीकी रूप से जांच की जा सके। समिति के सदस्य जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, केन्द्रीय जल आयोग, रक्षा मंत्रालय तथा पंजाब राज्य के सिंचाई विभाग से हैं। समिति ने 1996 के दौरान सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा गृह मंत्रालय से भी सदस्य लिए हैं।

मुख्य अभियंता (बाढ़ प्रबंध संगठन) की अध्यक्षता में 4–7 नवम्बर, 2006 को आयोजित सतलुज और रावी नदियों पर बाढ़ सुरक्षा तटबंधों के लिए विशेष उपचारी कार्यों की समिति की 27वीं बैठक की रिपोर्ट तैयार कर ली गई तथा समिति के सभी सदस्यों तथा जल संसाधन मंत्रालय और गृह मंत्रालय को भेज दी गई है।

10.7 दामोदर–बराकर बेसिन का व्यापक प्रणाली अध्ययन

दामोदर बराकर बेसिन का व्यापक प्रणाली अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं और सदस्य–सचिव (दमोदर घाटी निगम) के माध्यम से सह बेसिन राज्यों और दामोदर घाटी निगम को परिचालित कर दिया गया है।

10.9 दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति

सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति दामोदर घाटी जलाशय के प्रचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश देती है। वर्ष के दौरान, जलाशयों के प्रचालन के लिए निर्देश देने हेतु समिति की 113वीं एवं 114वीं बैठक क्रमशः दिनांक 24.06.2006 और 14.11. 2006 को आयोजित की गई थी। जलाशयों के दिन प्रतिदिन प्रचालन के लिए मैथन स्थित अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुदेश दिए जाते हैं।

अध्याय–11
जल संसाधन परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रबंध

11.1 पर्यावरणीय प्रबंधन

11.1.1 नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति (एन ई एम सी आर वी पी)

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति का गठन फरवरी, 1990 में सिंचाई, बहुउद्देश्यीय एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के पर्यावरणीय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के प्रबोधन के लिए किया गया था। इस समिति को पर्यावरणीय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के प्रबोधन के लिए राज्य सरकारों एवं परियोजना प्राधिकारियों द्वारा संस्थापित तंत्र की समीक्षा करने एवं 21 राज्यों (चित्र 11.1) में स्थित चुनिंदा 85 परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त प्रतिपूरक उपाय सुझाने का कार्य सौंपा गया है। 85 चुनिन्दा परियोजनाओं में से 17 परियोजनाओं का गहन प्रबोधन किया जा रहा है। (चित्र 11.2)

चित्र 11.1

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति द्वारा प्रबोधित राज्यवार परियोजनाएं
(कुल : 85 परियोजनाएं)

महाराष्ट्र (12), राजस्थान (6), उत्तर प्रदेश (4), झारखंड (2), उत्तरांचल (3), आंध्र प्रदेश (4), बिहार (2), गुजरात (6), मध्य प्रदेश (9), छत्तीसगढ़ (4), हिमाचल प्रदेश (5), केरल (8), कर्नाटक (3), हरियाणा (3), तमिलनाडु (2), असम (1), मणिपुर (1), त्रिपुरा (1), गोवा (1), उड़ीसा (5), पंजाब (3)

11.1.2 नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति का गठन

सदस्य (ज.आ. एवं परि.), के.ज.आ. नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबोधन समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति में योजना आयोग एवं केन्द्रीय जल आयोग के अलावा कृषि एवं सहकारिता, पर्यावरण एवं वन, जल संसाधन, जन–जातीय कल्याण मंत्रालयों के प्रतिनिधि सदस्य हैं। मुख्य अभियंता, (पर्या.प्रबो.स.), केन्द्रीय जल आयोग इसके उपाध्यक्ष है एवं निदेषक, (पर्या.प्रबोधन) सदस्य–सचिव हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन निदेषालय, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सचिवालयी कार्य किया जाता है।

चित्र 11.2

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति द्वारा गहन प्रबोधन के अंतर्गत राज्यवार परियोजनाएं
(कुल : 17)

महाराष्ट्र (2), मणिपुर (1), मध्य प्रदेश (1), केरल (1), कर्नाटक (1), गुजरात (1), बिहार (1), आंध्र प्रदेश (2), छत्तीसगढ़ (2), झारखंड (1), उत्तर प्रदेश (2), उड़ीसा (2)

11.1.3 समिति के कार्य

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति ने परियोजनाओं का दौरा किया और पर्यावरण एवं वन स्वीकृति के लिए यथा निर्धारित पर्यावरणीय रक्षोपायों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों एवं परियोजना प्राधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की थी। समिति ने 57 जल संसाधन

विकास परियोजनाओं का दौरा किया जिसमें पिछले 7 वर्षों के दौरान सभी गहन प्रबोधित परियोजनाएं षामिल हैं। यह समिति राज्य पर्यावरणीय प्रबोधन समिति (एसईएमसी) एवं परियोजना पर्यावरणीय प्रबंधन समिति के गठन को प्रोत्साहित करती है तथा इन समितियों के क्रियाकलापों का प्रबोधन करती है। उपर्युक्त क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप सचिव, राज्य जल संसाधन/सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में 21 राज्यों ने पहले से ही राज्य पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों का गठन कर लिया है। छत्तीसगढ़ के लिए राज्य पर्यावरणीय प्रबोधन समिति का गठन अभी हाल ही में किया गया है। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति द्वारा चुनिंदा 85 परियोजनाओं में से 68 परियोजनाओं के लिए परियोजना पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य परियोजनाओं के लिए 48 अतिरिक्त परियोजना पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों का भी गठन किया गया है। परियोजना के लिए निर्धारित पर्यावरणीय रक्षोपायों के क्रियान्वयन में परियोजना पर्यावरणीय प्रबोधन समितियां सक्रिय भूमिका अदा करती हैं। मुख्य अभियंता, (ईएमओ)/निदेषक (ईएम), केन्द्रीय जल आयोग राज्य पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों के सदस्य हैं जहां क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग इन समितियों के विषेष अतिथि हैं। क्षेत्रीय कार्यालय के निदेषक (मूल्यांकन/प्रबोधन) परियोजना पर्यावरणीय प्रबोधन समितियों में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को वार्षिक रिपोर्टों के रूप में वार्षिक रूप से प्रकाषित किया जाता है जिसमें दौरों एवं बैठकों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। पर्यावरणीय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्य एवं परियोजना प्राधिकारियों को दिए गए निर्देषों को वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित किया जाता है। पर्यावरण संबंधी स्थिति रिपोर्टों एवं संबंधित पहलुओं को भी वार्षिक रिपोर्टों में दर्षाया जाता है।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिए अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति ने 7 से 10 फरवरी, 2007 के दौरान कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई स्कीम और दुधगंगा परियोजना (महाराष्ट्र) का दौरा किया। इस दौरे के दौरान कोल्हापुर में 10 फरवरी, 2007 को 58वीं एवं 59वीं बैठकें आयोजित की गई थीं। मुख्य अभियंता (ईएमओ), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए की जाने वाली उपायों पर विचार–विमर्श करने हेतु बैठक आयोजित की गई थी।

11.2 पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

जल संसाधन मंत्रालय की एक अनुसंधान एवं विकास स्कीम के तहत परामर्शदाताओं के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निदेशालय द्वारा पूर्ण जल संसाधन परियोजनाओं का पर्यावरणीय (सामाजिक सहित) प्रभाव अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं। तीन परियोजनाओं अर्थात जयकवाड़ी चरण–। (महाराष्ट्र), बर्ना (मध्य प्रदेश) और सालंडी (उड़ीसा) का कार्य प्रगति पर है। तीन और परियोजनाओं का अध्ययन कार्य शीघ्र ही प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जिसके लिए बोली की क्रिया पहले ही प्रारंभ कर ली गई है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई 36 परियोजनाओं की ईआईए/ईएमपी रिपोर्टों की जॉच की गई और टिप्पणियां मंत्रालय में भेजी गयीं। नदी घाटी और जल विद्युत संबंधी विशेषज्ञ समिति की नौ बैठकें आयोजित की गयीं और समिति ने पर्यावरणीय/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 25 परियोजनाओं की सिफारिश की गई है।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 'सैद्धांतिक रूप' से सहमति प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से 9 व्यवहार्यता रिपोर्टों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की जांच की गई है।

11.3 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना

केन्द्रीय जल आयोग भारत के विभिन्न राज्यों विशेषतः सरदार सरोवर परियोजना (गुजरात), इन्द्रा सागर परियोजना (मध्य प्रदेश) और प्रियदर्शनी जुराला परियोजना (आन्ध्र प्रदेश) में जल संसाधन परियोजनाओं के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना मामलों का सक्रिय रूप से प्रबोधन कर रहा है।

वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त पुनर्वास एवं पुनःस्थापना संबंधी कार्यक्रमों की 17 परियोजनाओं की अर्ध–वार्षिक प्रगति रिपोर्ट की जांच की गई। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी डाटाबेस तैयार करने के लिए 219 विद्यमान/चालू वृहत/मध्यम परियोजनाओं के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की सूचना एकत्र की गई। केन्द्रीय जल आयोग बाणसागर परियोजना की एलए एवं आर कार्यों की संशोधित लागत अनुमान को अंतिम रूप देने के संबंध में जुड़ा है। केन्द्रीय जल आयोग केन–बेतवा संपर्क के सामाजिक–आर्थिक एवं पर्यावरणी अध्ययनों संबंधी स्वीकृति प्रबोधन एवं मूल्यांकन से भी जुड़ा है।

अध्याय –12
बाह्य सहायता

12.1 जल संसाधनों के विकास के लिए बाह्य सहायता

देश को विभिन्न रूपों में बाह्य सहायता प्राप्त होती है। जैसे बहुपक्षीय या द्विपक्षीय सहायता, ऋण, अनुदान तथा विभिन्न देशों एवं अन्य प्रदाता अभिकरणों से पण्य सहायता। भारत में सिंचाई क्षेत्र में बाह्य सहायता का प्रमुख स्रोत अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे सामान्य रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, इसकी सुलभ ऋणदाता संबद्ध, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)है। विश्व बैंक के अतिरिक्त, अन्य निधिकरण अभिकरण जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण, यूरोपियन आर्थिक समुदाय, (ईईसी), यू एन डी पी तथा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक, (जेबीआईसी) भी सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। परियोजनाओं को फ्रांस, आस्ट्रेलिया, कनाडा,जर्मनी तथा नीदरलैंड के द्विपक्षीय सहयोग के द्वारा भी निधि प्रदान की जा रही है। देश में जल संसाधनों के त्वरित विकास के लिए निधि तथा तकनीकी आधुनिकीकरण दोनों के संबंध में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय तथा इसके संगठन, राज्य सरकारों को विभिन्न निधिदाता अभिकरणों से बाह्य सहायता उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करते हैं।

12.1.1 केन्द्रीय जल आयोग की भूमिका

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में केन्द्रीय जल आयोग के महत्वपूर्ण कार्य–कलाप निम्नलिखित हैं :–

(क) जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने के संबंध में परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना।

(ख) बाह्य सहायता के लिए प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का तकनीकी–आर्थिक परीक्षण तथा राज्य तथा संबंधित विभागों/मंत्रालयों जैसे केन्द्रीय भू–जल बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय आदि से समन्वय करना।

(ग) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति का प्रबोधन करना तथा परियोजनाओं के निष्पादन में विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति करना।

12.1.2 परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन एवं स्वीकृति

वर्ष 2006–07 के दौरान विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित 3 वृहद परियोजनाएं और जेवीआईसी से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित 11 मध्यम परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकनाधीन थी। परियोजनाओं के विस्तृत विवरण तालिका 12.1 एवं 12.2 में दिए गए हैं।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रूपये में)
1.	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र सुधार परियोजना	2250.00
2.	उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में जल निकास विकास संबंधी मास्टर योजना	856.43
3.	महानदी बेसिन विकास योजना उड़ीसा	3493.10

जेबीआईसी सहायता के लिए प्रस्तावित मध्यम स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रूपये में)
1.	वीरा	46.00
2.	तालीपेरू	13.20
3.	कनापा सथनाला	48.39
4.	जोवली स्वर्ण	14.50
5.	लंकासागर	12.00
6.	मल्लुरूवागू	12.00
7.	लोअर संगिलेरू	19.00
8.	स्वर्णमुखी अनिकट प्रणाली	27.55
9.	दिंडी	15.00
10.	गंडीपालेम	29.30
11.	गजुलाडिन्ने	55.00

12.2 विश्व बैंक सहायता

जल संसाधन के क्षेत्र में बाह्य सहायता के लिए विश्व बैंक अभी भी प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। विश्व बैंक द्वारा क्रेडिट अथवा ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। सिंचाई के लिए विश्व बैंक की वित्तीय नीतियां समय–समय पर बदलती रही हैं। प्रारंभ में इसके द्वारा एक–एक सिंचाई परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया और तत्पश्चात् इसने संयुक्त परियोजनाओं को वित्त पोषित करना शुरू किया जिसके अंतर्गत प्रमुख, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं को एक एकल क्रेडिट/ऋण करार के तहत वित्तपोषित किया गया। इसके बाद इसने जल संसाधन समेकन परियोजनाओं को वित्तपोषित करना शुरू किया जिसमें पूरे राज्य के सिंचाई क्षेत्र को एक क्रेडिट/ऋण करार के तहत सम्मिलित किया गया। अब विश्व बैंक की नीति बदलकर जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की है जिसके अंतर्गत समूचे राज्य के सिंचाई क्षेत्र में सुधार पर बल दिया गया है।

12.2.1 बंद हो चुके क्रेडिट/ऋण करार

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 41 परियोजनाओं में से बंद हो चुकी 38 परियोजनाएं समाप्त हो चुकी हैं और उपयोग की गई सहायता का विवरण तालिका 12.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 12.3 समाप्त करारों के ब्यौरे

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	मिलियन अमेरिकन डालर में सहायता	
			एसएआर के अनुसार	उपभुक्त
1	आंध्रप्रदेश	6	995.30	802.62
2	बिहार	2	142.00	158.61
3	गुजरात	7	921.50	805.82
4	हरियाणा	3	519.00	505.98
5	कर्नाटक	2	451.00	291.96
6	केरल	1	80.00	79.08
7	मध्यप्रदेश	2	360.00	318.18
8	महाराष्ट्र	4	453.00	480.75
9	उड़ीसा	5	544.90	457.55
10	पंजाब	2	294.00	290.06
11	तमिलनाडु	3	340.90	268.36
12	उत्तर प्रदेश	1	125.00	126.76

	कुल	38	6051.60	5217.33

12.2.2 जल संसाधन समेकन परियोजनाएं

जल संसाधन समेकन परियाजनाएं संपूर्ण सिंचाई क्षेत्र तथा समग्र राज्य से संबंधित होती हैं जिससे कि राष्ट्रीय जल नीति में निहित मूल उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। विश्व बैंक ने तीन राज्यों नामशः हरियाणा, उड़ीसा तथा तमिलनाडु, जो कि एन डब्ल्यू एम पी–1 के प्रमुख प्रतिभागी हैं, को पृथक जल संसाधन समेकन परियोजना के अंतर्गत बड़े स्तर पर अलग–अलग सहायता उपलब्ध कराई है। जल संसाधन समेकन परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैंः–

1. राज्य के जल संसाधनों के प्रबंध संबंधी संस्थागत एवं तकनीकी क्षमता को सुधारना।
2. जल के सभी उपयोगों के संबंध में नदी बेसिन द्वारा जल संसाधनों का आयोजन।
3. पुनः स्थापना तथा सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करके तथा किसानों की प्रतिभागिता से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना।
4. अवसंरचना तथा पर्यावरण आदि का संपोषण सुनिश्चित करना।

12.2.3 जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना

जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना, जल संसाधन विकास तथा प्रबंध के क्षेत्र में नवीनतम अवधारणा है तथा यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित की जा रही नवीनतम पीढ़ी की सिंचाई परियोजनाएं हैं। जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजनाओं का आयोजन जल क्षेत्र सुधारों का ध्यान रखने, राज्य जल नीति का उचित क्रियान्वयन करने, शीर्ष जल संस्थाओं का सृजन करने तथा बहुक्षेत्रीय जल संसाधनों एवं पर्यावरणीय क्षमता के सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। वर्तमान में विश्व बैंक के सहयोग से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में चार ऐसी परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

जल क्षेत्र पुनसंरचना परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

1. समेकित जल संसाधन प्रबंधन हेतु राज्य में जल क्षेत्र सुधारों के लिए एक समर्थ संस्थागत एवं नीतिगत ढ़ांचे की रूपरेखा तैयार करना।
2. सतही तथा भू–जल संसाधनों की नीतिबद्ध आयोजना एवं सतत विकास तथा प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाना।
3. उन्नत सतही सिंचाई प्रणाली निष्पादन द्वारा सिंचित कृषि की पैदावार बढ़ाने तथा सेवा प्रदान करने में उपभोक्ताओं एवं निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के द्वारा कृषि सहायक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य में सिंचाई एवं जल–निकास उप–क्षेत्र सुधारों को प्रारंभ करना।

12.2.4 चालू क्रेडिट/ऋण करार

सात चालू परियोजनाओं में से तीन परियोजनाएं अर्थात तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना, उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना, तीसरी आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना वर्ष 2004–05 के दौरान बंद कर दी गई थीं। एक नई परियोजना, अर्थात मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना जनवरी, 2005 में प्रारंभ की गई थी। प्रयुक्त सहायता का विवरण तालिका 12.4 में दिया गया है।

तालिका 12.4 परियोजनाओं को बाह्य सहायता (विश्व बैंक)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	केडिट/ ऋण संख्या	अभिकरण	समयावधि		अनुमानित लागत (मिलियन रूपयों में) कुल अद्यतन एसएआर के अनुसार		सहायता (अमेरिकन मिलियन डालर में) कुल 03/07 के अतं तक उपभुक्त	
				प्रारंभन माह	समापन माह				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना	केडिट 3603–में	आईडीए	22.03.2002	31.03.2008	8305.07	8305.07	एसडीआर 110.00 (यूएसडी 140.00)	एसडीआर 50.84 (यूएसडी 77.38)
2	उत्तरप्रदेश जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना	केडिट 3602–में	आईडीए	27.03.2002	31.10.2007	8351.00	8351.00	एसडीआर 117.00 (यूएसडी 149.20)	एसडीआर 26.53 (यूएसडी 40.00)
3	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना	ऋण 4750– में	आईबीआरडी	11.01.2005	31.03.2011	20402.23	20402.23	यूएसडी 394.02	यूएसडी 30.20
4	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना	एल 4796 में	आईबीआरडी	05.09.2005	30.09.2011	18595.58	18595.58	यूएसडी 325.00	यूएसडी 32.45
	कुल							यूएसडी 853.52	यूएसडी 180.03

12.3 जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक से सहायता

जल संसाधन के क्षेत्र में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक वृहत मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सिंचाई प्रणाली में सिविलि कार्यों के निर्माण को वित्तपोषित करके कृषि की पैदावार बढ़ाना है। इन परियोजनाओं के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :–

– सिविल कार्यों का निर्माण
– प्रशिक्षण
– परामर्शी सेवाएं
– कृषि तीव्रीकरण कार्यक्रम
– फार्म पर विकास

12.3.1 समाप्त करार

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक द्वारा सहायता प्राप्त 5 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं बंद हो चुकी हैं तथा करार के अनुसार उपलब्ध कराई गई 20077 मिलियन येन की कुल सहायता की तुलना में 19277.83 मिलियन येन की सहायता का उपयोग किया गया।

12.3.2 चालू करार

जेबीआईसीके तहत वित्तपोषण प्राप्त कर तालिका 12.5 में दिया गया है । दो चालू परियोजनाएं हैं जिनके उपयोग ली गई सहायता का विवरण है

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ऋण करार संख्या	ऋण अवधि		अनुमानित लागत		कुल सहायता (मिलियन येन)	03/07 तक उपयोग की गई सहायता
			प्रभावी तिथि	समापन तिथि	करार के अनुसार कुल (मिलियन रूपये)	12/06 के अंत तक नवीनतम (मिलीयन रूपये)		
1	2	3	4		5	6	7	8
1	के.सी. कनाल आधुनिकीकरण परियोजना, आंध्रप्रदेश	आईडी–पी–113 और आईडी–पी–155	26.03.1996	22.03.2009	10337.37	11070.00	20882.00	2118.74
2	रेंगाली सिंचाई परियोजना बायां तट नहर–II/ फेज–I, उड़ीसा	आईडी–पी–135 और आईडी–पी–154	05.02.1998	31.12.2004	4494.72	5915.45	14102.00	8832.48

अध्याय – तेरह

पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

13.1 भारत तथा नेपाल के बीच सहयोग :

- नेपाल से निकलने वाली अधिकांश नदियों के कारण भारत में उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्यों में बाढ़ आती है। ये नदियां घाघरा, शारदा, राप्ती, गंडक, बुरहि गंडक, बागमती, कामला, कोसी एवं महानन्दा नदियां हैं। नेपाल से प्रवाहित होने वाली उपर्युक्त नदियों के बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ पूर्वानुमान एवं अग्रिम चेतावनी देने के लिए वर्ष 1989 से एक स्कीम अर्थात "भारत और नेपाल के बीच साझी नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली" चल रही है, जिसमें नेपाल के 42 मौसम विज्ञानीय/हाइड्रोमेट स्थल और भारत के 18 जल विज्ञानीय स्थल शामिल हैं। इस प्रकार संग्रहीत आंकड़ें आवाह के अनुप्रवाह में बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करने में सहायक होते हैं। इस स्कीम की समय–समय पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

- मौजूदा करारों एवं समझौतों के क्रियान्वयन सहित जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श करने की दृष्टि से दोनों देशों के जल संसाधन सचिवों की अध्यक्षता में भारत–नेपाल संयुक्त जल संसाधन समिति सभी समितियों एवं दलों की अम्ब्रेला समिति के रूप में अधिदेश के साथ कार्य कर रही है। केन्द्रीय भू–जल आयोग भारत–नेपाल संयुक्त जल संसाधन समिति एवं संयुक्त विशेषज्ञ दल के क्रियाकलापों के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय को सहायता प्रदान करता है।

- शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना सहित महाकाली (शारदा) नदी पर एकीकृत विकास संधि पर भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच फरवरी, 1996 में हस्ताक्षर किया गया था जो जून, 1997 (महाकाली संधि) से लागू है। यह संधि इसके लागू होने की तिथि से 75 वर्षों के लिए वैध है। पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना महाकाली संधि का एक केन्द्र बिन्दु है। पंचेश्वर में सिंचाई और आकस्मिक बाढ़ नियंत्रण लाभों एवं उत्तर प्रदेश में बनबासा के अनुप्रवाह पर सिंचाई संबंधी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पुनर्विनियमित संरचना के साथ पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना के लिए 5600 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाले अपेक्षित क्षेत्र अन्वेषण संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। सिंचाई एवं विद्युत तथा साथ ही साथ भारत और नेपाल के बीच पुनर्विनियोजित बांध स्थल, लागत प्रभाजन को अंतिम रूप देने संबंधी लंबित मुद्दों को परस्पर हल करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है।

- भारत सरकार, सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना एवं सन कोसी भण्डारण सह व्यपवर्तन स्कीम का संयुक्त अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए भी नेपाल के साथ विचार–विमर्श कर रही है। स्वीकृत संयुक्त प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र अन्वेषण एवं संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेपाल में अगस्त, 2004 में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय (जीपीओ) खोला गया है। संयुक्त परियोजना कार्यालय के गठन की तिथि से 30 महीने के अंदर संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। सिंचाई एवं विद्युत लाभ के अतिरिक्त, उक्त परियोजना से, विशेष रूप से उत्तरी बिहार में बाढ़ नियंत्रण में अत्यधिक लाभ होगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्षेत्र अन्वेषण संबंधी कार्य चल रहा है।

- नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के अवसर पर लिये गये निर्णय के अनुसरण में रूपनदेही (नेपाल)/सिद्धार्थ नगर (भारत) एवं बांके (नेपाल)/श्रावस्ती जिलों (भारत) की बाढ़ समस्याओं पर एक उच्च स्तरीय नेपाल–भारत तकनीकी समिति का गठन किया गया। भारतीय पक्ष की ओर से समिति का नेतृत्व आयुक्त (ईआर) द्वारा किया गया।

- भारत और नेपाल के मध्य सहयोग के कई क्षेत्र हैं और ऊपर दिए गए कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर दोनों पक्षों द्वारा कार्रवाई की जानी है, तथापि वर्ष 2005–06 के दौरान नेपाल में प्रबल राजनीतिक संकट के कारण कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई।

13.2 भारत तथा चीन के बीच सहयोग

- बाढ़ मौसम में यालुजंगबू/ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा भारत के साथ जल विज्ञानीय सूचना आपस में बांटने के लिए 2002 में भारत सरकार ने चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया। समझौता ज्ञापन में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 01 जून से 15 अक्तूबर तक यालुजंगबू/ब्रहमपुत्र नदी पर स्थित तीन केन्द्रों नामषः नुगेषा, यंगकुन और नक्सिया के संबंध में चीनी पक्ष जलविज्ञानीय सूचना (जल स्तर, निस्सरण और वर्षण) उपलब्ध करा रहा है। वर्ष 2005 तक के आवष्यक आंकड़े प्राप्त किए गए और बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने में केंद्रीय जल आयोग द्वारा इसका उपयोग किया गया।

- अप्रैल, 2005 में चीन के माननीय राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान बाढ़ मौसम में सतलुज/लैंग्केन जैंग्बो नदी की जल विज्ञानीय सूचना के लिए दोनों देषों ने अप्रैल, 2005 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार चीनी पक्ष वर्तमान प्रबोधन एवं आंकड़ा संग्रहण सुविधाओं के आधार पर जल स्तर/निस्सरण में किसी असामान्य चढ़ाव/उतार के संबंध में तथा ऐसी कोई अन्य सूचना, जब अचानक बाढ़ आने की संभावना हो, वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। इसके अतिरिक्त चीनी पक्ष वर्ष 2006 के बाढ़ मौसम से पहले सतलुज/लैंग्केन जैंग्बो नदी पर एक जलविज्ञानीय केंद्र बनाने और भारतीय पक्ष को जलविज्ञानीय सूचना उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है। आंकड़ों के आदान–प्रदान हेतु कार्यान्वयन योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। पलानजंग्बू और लोहित में साइट स्थापित करने हेतु चीन से बातचीत जारी है।

- इसके अतिरिक्त, परीछू नदी पर वर्ष 2004 में बनी कृत्रिम झील और तत्पश्चात उसमें दरार आने के कारण परीछू नदी क`जल स्तर का प्रबोधन करने के लिए वास्तविक समय आंकड़ा संचरण हेतु तिब्बत (चीन) में दो स्थल, अर्थात भूस्खलन बांध /झील स्थल के अनुप्रवाह एवं निर्मित झील के प्रतिप्रवाह पर एवं भारत में दो स्थल एक जम्मू और कश्मीर में और दूसरा हिमाचल प्रदेश में (बांध के अनुप्रवाह) स्थापित किये गये हैं।

13.2 भारत और बंग्लादेष के बीच सहयोग

- **आंकड़ों का हस्तान्तरण**

भारत और बंग्लादेष के बीच एक संयुक्त कार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 1972 से मानसून मौसम के दौरान बंग्लादेष को जल स्तर, निस्सरण और वर्षण आंकड़ों के हस्तांतरण की व्यवस्था है। यह व्यवस्था बंग्लादेष के एक संप्रभु राज्य बनने से पूर्व से ही विद्यमान है। बंग्लादेष को मानसून मौसम (15 मई से 15 अक्तूबर तक) के दौरान जल स्तर, निस्सरण और वर्षण आंकड़ों का हस्तांतरण जारी है।

- **गंगा जल का संयुक्त प्रेक्षण**

गंगा/गंगा जल के बंटवारे के संबंध में संयुक्त समिति द्वारा बनाई गई प्रक्रिया और मार्गदर्षिकाओं के अनुसार फरक्का और हार्डिंग पुल पर स्थित संयुक्त प्रेक्षण दल प्रतिवर्ष 01 जनवरी से 31 मई तक संयुक्त प्रेक्षण करता है। वर्ष के दौरान हार्डिंग पुल पर संयुक्त प्रेक्षण के लिए केंद्रीय जल आयोग के 6 अधिकारियों को भेजा गया।

13.4 भारत और भूटान के बीच सहयोग

- "भारत और भूटान की साझी नदियों पर जल मौसम विज्ञानीय एवं बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित करने की समेकित योजना" नामक एक समेकित योजना वर्ष 1979 से ही चल रही है। इस नेटवर्क में भूटान में स्थित 35 जल–मौसमविज्ञानीय/मौसमविज्ञानीय केन्द्र शामिल हैं जिनका रख–रखाव भूटान की शाही सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसका वित्त पोषण भारत द्वारा किया जा रहा है। इन केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भारत में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने में किया जाता है। भारत सरकार तथा भूटान की शाही सरकार के अधिकारियों वाला एक संयुक्त विशेषज्ञ दल इस योजना की प्रगति एवं अन्य आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा करता है।

- भूटान से निकलने वाली एवं भारत में आने वाली नदियों से होने वाली बाढ़ की समस्या से संबंधित मामला भूटान की शाही सरकार के साथ उठाया गया। इस संबंध में भारत और भूटान के बीच बाढ़ प्रबंधन पर एक संयुक्त विषेषज्ञ दल (जे जी ई) का गठन किया गया जो भूटान के दक्षिणी पादगिरि एवं भारत के साथ लगते मैदानों में बार–बार आने वाली बाढ़ों और कटाव के संभावित कारणों एवं प्रभावों पर चर्चा एवं मूल्यांकन करेगा और दोनों सरकारों को उपयुक्त एवं दोनों तरफ से स्वीकार्य उपचारी उपायों की सिफारिष करेगा। संयुक्त विषेषज्ञ दल की पहली बैठक भूटान में नवम्बर, 2004 में हुई। जे जी ई ने इस विषय पर लगातार चर्चा की हैं और कुछ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्र भ्रमण किए हैं जिसमें भू–स्खलन संभावित क्षेत्र एवं डोलोमाइट खनन क्षेत्र शामिल हैं। इन सिफारिषों के आधार पर जे जी ई ने यह महसूस किया है कि और अधिक विस्तृत तकनीकी जांच की आवष्यकता है और तदनुसार सदस्य (पी आई डी), उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में एक संयुक्त तकनीकी दल (जे टी टी) का गठन करने पर सहमति हुई है, जिसमें केन्द्रीय जल आयोग, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) और मंडलीय आयुक्त, जलपाईगुड़ी में से प्रत्येक का प्रतिनिधि शामिल है।

- भूटान में जलविद्युत क्षमता के विकास के संबंध में भी केन्द्रीय जल आयोग तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है। भूटान अन्वेषण मंडल, फुंटषोलिंग, भूटान की शाही सरकार से समन्वय कर रहा है और इस संबंध में अपेक्षित क्षेत्र–कार्य कर रहा है। अभी हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निष्पादित नौ लघु जल–विद्युत परियोजनाएं भूटान की शाही सरकार को सौंपी गई । चुक्खा बांध और इससे संबंधित संरचनाओं के लिए स्थाई उपचारी उपायों हेतु क्षेत्र अन्वेषण पूरा कर लिया गया है और इसके अभिकल्प/आरेखन का कार्य प्रगति पर है। पुनातसांगचू जल–विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए भू–वैज्ञानिक एवं नींव अन्वेषण के तहत 1385 मी. खुदाई की जा चुकी है और शेष कार्य प्रगति पर है। पारो हवाई अड्डे के लिए नदी नियंत्रण कार्यों के सुदृढ़ीकरण की तैयारी और निष्पादन भी जारी है। ताला जल–विद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) के विनिर्देषन/निर्माण चरण कार्य के लिए अभिकल्प परामर्ष भी केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान आई सभी प्रमुख समस्याओं को केंद्रीय जल आयोग द्वारा नवाचारी समाधानों के साथ संबोधित किया गया। परियोजना का निर्धारित समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने स्थल आवश्यकताओं के अनुसार सभी सिविल घटकों के लिए सभी आवश्यक अभिकल्प और आरेखन समय पर जारी कर दिए हैं।

13.5 भारत–पाकिस्तान के बीच सहयोग

- सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल के लिए आयुक्त के दो पद, एक भारत में और एक पाकिस्तान में सृजित किए हैं। प्रत्येक आयुक्त इस संधि के तहत उठने वाले सभी मामलों के लिए अपनी सरकार के प्रतिनिधि हैं और ये संधि के कार्यान्वयन से संबंधित सभी

मामलों में संपर्क के लिए नियमित माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। दोनों आयुक्तों से मिलकर स्थाई सिंधु आयोग बना है।

- सिंधु जल संधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, सिंधु प्रणाली के झेलम और चिनाब बेसिनों के केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे 26 जल–विज्ञानीय स्थलों के दैनिक आंकड़े पाकिस्तान को भेजे गए।

- नियमित आधार पर नदी आंकड़ों के आदान–प्रदान के क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच 1962 से ही सहयोग जारी है। भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 10 अक्तूबर तक पाकिस्तान को बाढ़ संदेषों का संप्रेषण कर रहा है। सिंधु नदी प्रणाली की अखनूर साइट के प्रवाह आंकड़ों को प्राथमिकता प्राथमिकता आधार पर तार/प्रसारण/दूरभाष द्वारा संप्रेषित किया जाता है।

पाकिस्तान के अनुरोध पर, बगलिहार जल विद्युत परियोजना के डिजाइन पर पाकिस्तान द्वारा उठाए गए मतभेदों पर विषेषज्ञ सलाह लेने हेतु विष्व बैंक ने मई, 2005 में एक तटस्थ विषेषज्ञ की नियुक्ति की है। भारत ने आवष्यक कागजात प्रस्तुत किए हैं तथा परियोजना तथा इसके प्रतिरूप पर जुलाई, 2005 में पाकिस्तानी अधिकारियों की एक यात्रा तथा अक्तूबर, 2005 में दोनों पक्षों के साथ तटस्थ विषेषज्ञों की अन्य संयुक्त यात्रा की व्यवस्था की है। तटस्थ विषेषज्ञ ने दोनों पक्षों के साथ अभी तक दो बैठकें की हैं, पहली जून 2005 में पेरिस में तथा दूसरी अक्तूबर, 2005 में जेनेवा में की गई तथा इसकी रिपोर्ट फरवरी, 2007 में प्रस्तुत की गई है।

13.6 विदेषी प्रतिनिधिमंडल का केंद्रीय जल आयोग दौरा

13.6.1 चीन

तीन गोर्गेज प्रोजेक्ट निर्माण समिति के कार्यकारी कार्यालय से उप मंत्री श्री लु चुन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय के एक चीनी शिष्टमंडल ने 15 फरवरी, 2007 को केन्द्रीय जल आयोग के दौरा किया। उनके समक्ष "भारत में जल संसाधन विकास" "भारत में जलाशयों एवं पुनर्वास के लिए पर्यावरणीय संरक्षण दिशा–निर्देश और पुनर्स्थापना नीतियों" "जलाशय क्षेत्र की आर्थिक विकास नीतियां" प्रस्तुत की गईं।

13.6.2 इरान

उर्जा मंत्री श्री पार्विज फतह की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय एक इरानी प्रतिनिधिमंडल 15 फरवरी, 2007 को केन्द्रीय जल आयोग का दौरा किया। उनके समक्ष "केन्द्रीय जल आयोग के क्रियाकलापों" का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें 'जल', केन्द्रीय सरकार के संवैधानिक प्रावधान और भारत में जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन में केन्द्रीय जल आयोग की भूमिका को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था।

इरानी शिष्टमंडल ने अन्तर्राज्यीय मामलों एवं भारत में विवादों को सुलझाने के तंत्र पर विशेष रूचि दिखाई। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने विवादों को सुलझाने और जल विवाद अधिकरणों में केन्द्र सरकार की भूमिका की व्याख्या की। दोनों देशों ने जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग और मैत्रीपूर्ण वार्तालाप बनाए रखने में आश्वस्थ रहे।

13.6.2 इजराइल

श्री हैम डिवन, महानिदेशक की अध्यक्षता में और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग केन्द्र के प्रधान, विदेश मंत्रालय, जल विद्युत के प्रधान वाला एक 6 सदस्यों का इजरायली प्रतिनिधिमंडल केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय भू–जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जल संबंधी विषयों पर वार्ता करने के लिए

22 फरवरी, 2007 को केन्द्रीय जल आयोग का दौरा किया। भारत में जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन पर विशेष उल्लेख करते हुए उन्हें "केन्द्रीय जल आयोग के क्रियाकलापों" पर प्रस्तुतीकरण दिया गया था।

तत्पश्चात केन्द्रीय भू–जल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा "केन्द्रीय भू–जल बोर्ड के क्रियाकलापों" पर प्रस्तुतीकरण दिया गया था। इजरायली प्रतिनिध मंडल की तरफ से प्रोफेसर अवनेर आदीन ने जल के वर्तमान परिदृश्य और इजराइल की जलगत नीतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सूचित किया कि हाल में इजराइल सरकार ने इजराइल जल आयोग का उन्नयन किया है तथा राज्य के विकास के लिए सामरिक माध्यम के रूप में जल संसाधनों के विकास को अभिज्ञात किया है।

अध्याय – चौदह

कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण

14.1 प्रणाली प्रबंधन :

मानक साफ्टवेयर के अनुप्रयोग तथा प्रचालनात्मक उपयोग में और जल संसाधन तथा इससे संबंधित सांख्यिकी के डाटा बैंक के उन्नयन में सूचना प्रणाली संगठन के कम्प्यूटर केन्द्र द्वारा उपयोगकर्ता निदेशालयों को तकनीकी सहायता देना जारी है । इस केन्द्र द्वारा इंटरनेट के उपयोग सहित मानक साफ्टवेयर के अनुप्रयोग तथा प्रचालनात्मक उपयोगों पर कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं ।

14.2 जल संसाधन आंकड़े

14.2.1 जल–विज्ञानीय आंकड़े

त्वरित रूप से आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु सूचना प्रणाली संगठन के अंतर्गत जल वैज्ञानीय आंकड़ा निदेशालय द्वारा अवर्गीकृत बेसिनों के लिए जल–विज्ञानीय आंकड़ों का एक एकीकृत केन्द्रीय आंकड़ा बैंक का रख–रखाव किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त "जल विज्ञानीय आंकड़ा पुस्तक–2005" भी केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है जिसमें निम्नलिखित सूचना दी गई है:–

1. विभिन्न नदी बेसिनों का विवरण
2. आवसादीकरण सांख्यिकी
3. जल गुणवत्ता सांख्यिकी
4. भूमि उपयोग सांख्यिकी

आंकड़ों के और आगे विश्लेषण में रूचि रखने वाले प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंकड़ा बैंक अद्यतन किया गया।

जल–विज्ञान परियोजना–1 के अंतर्गत, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया गया। क्षेत्रीय आंकड़ा केन्द्रों से वास्तविक समय आधार पर जुड़ा हुआ एक समर्पित आंकड़ा संचयन एकक नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। विभिन्न प्रायःद्वीपीय बेसिनों का मेटा डाटा ऑन लाइन पर उपलब्ध है।

14.2.2 जल तथा इससे संबंधित सांख्यिकी

जल तथा इससे संबंधित संसाधनों जैसे देश के विभिन्न मौसम–विज्ञानीय उपमंडलों में वर्षा, भारत के नदी बेसिनों में जल संसाधन क्षमता, भारत में बेसिन–वार तथा राज्य–वार संचयन, राज्य–वार चरम सिंचाई क्षमता, बेसिन–वार जल विज्ञानीय एवं अवसाद प्रेक्षण तथा केन्द्रीय जल आयोग के जल गुणवत्ता केन्द्रों, से संबंधित सूचना प्रदान करने वाला डाटाबेस केन्द्रीय जल आयोग में सृजित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त नीचे दी गई सूचना/आंकड़े भी डाटाबेस में शामिल कर लिए गए हैं।

- योजना–वार/राज्य–वार सृजित क्षमता, प्रयुक्त क्षमता, वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (सतही जल) की सिंचाई क्षमता की उपलब्धिओं समेत संसाधन उपयोगिता।
- उत्पादन संबंधी निष्पादन एवं आर्थिक दक्षता।
- वृहद् एवं मध्यम सिंचाई पर राज्य–वार तथा योजना–वार वित्तीय व्यय का वित्तीय निष्पादन

- जनजातीय उप–योजना क्षेत्र (अखिल भारतीय वित्तीय प्रगति और भौतिक लाभ) के अन्तर्गत वृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरणीय निष्पादन का संकलन किया गया तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

14.2.3 "भारतीय की सार्वजनिक प्रणाली में जल का मूल्यन – 2005" का प्रकाशन

निम्नलिखित सूचना युक्त प्रकाशन को केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर डाला जा रहा है।

1. जल दरें, राजस्व तथा प्रचालनात्मक व्यय
2. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जल दरों/शुल्क के निर्धारण का नियंत्रण करना
3. राजस्व का आकलन तथा संग्रहण
4. जल राजस्व में छूट
5. भारत में सिंचाई परियोजनाएं – एक परिदृश्य
6. फसल अनुसार जल दरें
7. राज्यों द्वारा निर्धारित जल दरें

14.2.4 आंकड़ों का प्रलेखन

निम्नलिखित प्रकाशनों को अंतिम रूप दिया गया/अंतिम रूप दिया जा रहा है।

i) जल आंकड़े 2005 पर पॉकेट बुक (प्रकाशनाधीन)
ii) जल आंकड़े 2005 : विषय के अन्तर्गत जल एवं संबंधित सूचना पर हैंड बुक, जनवरी, 2006 (केन्द्रीय जल आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध)
iii) जल एवं संबंधित सांख्यिकी 2006 (प्रकाशनाधीन)
iv) भारत में सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय पहलू (प्रकाशनाधीन)

"जल एवं संबंधित सांख्यिकी 2006" और "जल एवं संबंधित सूचना 2007 पर हैंड बुक" नामक प्रकाशन शीघ्र ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

14.3 प्रबंधन हेतु सूचना सहायता

जल उपलब्धता एवं समग्र विकास में शामिल, उनसे संबंधित तथा उन पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न मुद्दों के एक समन्वित क्रमबद्ध विश्लेषण एवं संश्लेषण हेतु स्थानिक तथा समय प्रवृत्त परिदृश्य के साथ आयोजकों, प्रबंधकों, प्रशासकों और अनुसंधानकों की जल संसाधन संबंधी विस्तृत आंकड़ों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु ये प्रकाशन अभिप्रेत हैं।

14.4 आंकड़ा बैंक

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जल संसाधन सूचना प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2007 से शुरू होने वाली एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जल संसाधन, भूमि, कृषि तथा संबंधित मामलों के आंकड़ों समेत प्रत्येक नदी बेसिन पर आंकड़ों का रख–रखाव किए जाने के लिए आई.एस.डब्ल्यू. डी, अधिनियम, 1956 द्वारा अनिवार्य एक आंकड़ा बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

अध्याय–पन्द्रह

प्रशिक्षण

15.1 प्रशिक्षण

केन्द्रीय जल आयोग, कार्मिकों के ज्ञान, तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल का विकास करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों एवं संगठनों के सेवाकालीन अधिकारियों के लिए जल से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं का प्रबंध एवं समन्वय करता है । देश के अंदर एवं बाहर, दोनों जगह आयोजित किए जाने वाले विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं आदि में केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि का प्रायोजन करके अन्य व्यावसायिक संगठनों और संस्थाओं को भी सहायता प्रदान की गई। प्रशिक्षण निदेशालय, प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, कानपुर के सहयोग से नए इंजीनियरों/ग्रेजुएट/डिप्लोमा धारकों/व्यावसायिक प्रमाणपत्र धारकों के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण का प्रबंध भी करता है । इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रमों के कुछ विद्यार्थियों को केन्द्रीय जल आयोग में प्रत्येक वर्ष व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुबंध–15–1 (क) तथा (ख) में दिए गए हैं ।

15.2 प्रवेशन प्रशिक्षण

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गए सहायक निदेशकों के लिए प्रवेशन प्रशिक्षण का आयोजन प्रशिक्षण निदेशालय और पुणे स्थित राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा किया जाता है । भर्ती किये गए नए सहायक निदेशकों के लिए 20 सप्ताह की अवधि का 20वां प्रवेशन प्रशिक्षण जो 2005 में शुरू हुआ, 13 अप्रैल, 2006 तक जारी रहा।

वर्ष 2006–07 के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के नए पदोन्नत अतिरिक्त सहायक निदेशकों के लिए 2 अनुकूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय जल अकादमी, केन्द्रीय जल आयोग, पुणे में आयोजित किए गए जिनमें 24 अधिकारियों ने भाग लिया।

15.3 राष्ट्रीय जल अकादमी

राष्ट्रीय जल अकादमी (रा.ज.अ.), जिसका जल विज्ञान परियोजना–एक के तहत विष्व बैंक की सहायता से नवीं योजना के दौरान केन्द्रीय प्रषिक्षण एकक (सी.टी.यू.) से उन्नयन किया गया था, अब जल संसाधन इंजीनियरी कार्मिकों के सेवाकालीन प्रषिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रषिक्षण संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय जल अकादमी, जल संसाधन विकास, आयोजना एवं प्रबंधन के विभिन्न पक्षों में केन्द्रीय तथा राज्य संगठनों के सेवारत अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा साथ ही जल संसाधन क्षेत्र में नए उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सतत् आधार में संस्थागत क्षमताएं विकसित कर रहा है।

अतिरिक्त कम्प्यूटरों की संस्थापना, अतिरिक्त कक्षाएं, आधुनिक सुविधाओं वाले पुस्तकालय की स्थापना, प्रषिक्षु अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था आदि जैसी अवसंरचना के विकास से प्रषिक्षण एवं अन्य संबंधित गतिविधियां विविध रूप से बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय जल अकादमी नियमित आधार पर दीर्घावधि तथा साथ ही साथ अल्पावधि वाले प्रषिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती है और जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों के विषय में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और कार्यषालाएं भी आयोजित करती है।

वर्ष 2006–07 के दौरान 882 अधिकारियों के लाभ के लिए 2 कार्यशालाओं/सेमिनार समेत कुल 36 प्रषिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें कुल 1247 कार्य दिवस शामिल हैं।

उपर्युक्त 36 प्रषिक्षण कार्यक्रमों में से वर्ष 2006–07 के दौरान राष्ट्रीय जल अकादमी में निम्नलिखित कार्यक्रम नए शामिल किए गए हैं:

- केंद्रीय जल आयोग के नए पदोन्नत अतिरिक्त सहायक निदेशकों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम।
- प्राइमावेरा और एम.एस. प्रोजेक्ट साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- भूतकनीकी यन्त्रीकरण पर प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- बराज तथा नहरों के अभिकल्प संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- जल यांत्रिक उपकरणों (गेट्स) के अभिकल्प संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।

वर्ष 2006–07 के दौरान राष्ट्रीय जल अकादमी द्वारा पुणें में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं सेमिनारों की सूची अनुबंध–15–2 पर दी गई है।

15.4 अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम/सम्मेलन/संगोष्ठियां

वर्ष 2006–2007 के दौरान केंद्रीय जल आयोग द्वारा देश एवं विदेश में प्रशिक्षण, सेमीनार कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के लिए प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारियों का समेकित विवरण तालिका 15.1 में दिया गया है ।

तालिका 15.1 प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारी

क्रमांक	कार्यकलापों के नाम	सहभागियों की संख्या
1	अन्य संगठनों द्वारा भारत में आयोजित किये गए प्रशिक्षण सेमीनार/कार्यशाला आदि के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करना	167
2	विदेश में प्रशिक्षण, सेमीनार/कार्यशालाओं आदि के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करना	27

15.5 प्रशिक्षण अवसंरचना

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जल अकादमी के नवनिर्मित कृष्ण हॉस्टल का निर्माण एवं साज–सज्जा कार्य पूरा कर लिया गया। माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के 4 सितम्बर, 2006 को नए हॉस्टल का उद्घाटन किया।

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जल अकादमी के आवासीय क्वार्टरों का निर्माण पूरा कर लिया गया। माननीय केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री की जय प्रकाश नारायण यादव ने 9 फरवरी 2007 को क्वार्टरों का उद्धाटन किया ।

15.6 अन्य क्रियाकलाप

(i) जल संसाधन प्रबंधन की उत्कृष्टता संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आई.सी.ई.डब्ल्यू.ए.आर.एम.), आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों ने 6 सितम्बर, 2006 को राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे का दौरा किया तथा

जल संसाधन में प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग तथा सुविज्ञता के आदान–प्रदान हेतु विचार–विमर्श किया।

(ii) केन्द्रीय जल आयोग, प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए ग्रेजुएट/डिप्लोमा/10+2 उत्तीर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षुओं को काम पर लगाता है । वर्ष 2006–2007 के दौरान 19 ग्रेजुएट इंजीनियरों/डिप्लोमा धारकों/व्यावसायिक प्रमाण पत्र धारकों को प्रशिक्षण दिया गया ।

(iii) शैक्षणिक संस्थानों के साथ विचार–विमर्श के एक भाग के रूप में विभिन्न संस्थानों के 50 इंजीनियरों और सचिवालयी पद्धति प्रशिक्षणार्थियों को 4 से 6 सप्ताह के कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया ।

(iv) अध्ययन परिधि के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के लाभ हेतु विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए ।

(v) केंद्रीय जल आयोग के तीन अधिकारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की में जुलाई 2006 से एक वर्ष के लिए पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम जारी रखे हुए है।

अनुबंध–15–1

वर्ष 2005–06 के दौरान केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित प्रषिक्षण कार्यक्रम।

क्र.सं.	प्रषिक्षण कार्यक्रम	अवधि	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
1.	हिन्दी कार्यषाला	22–28 जून	नई दिल्ली	30
2.	बेसिक कम्प्यूटर पाठ्यक्रम	3–6 जून	कोचीन	20
3.	हिन्दी कार्यषाला	5–7 जुलाई	गांधीनगर	30
4.	के.ज.आ. के अति.सहा.निदे. के लिए पहला अनुकूलन पाठ्यक्रम	10–21 जुलाई	पुणे	9
5.	सतर्कता संबंधी अनुकूलन पाठ्यक्रम	24–26 जुलाई	चेन्नई	20
6.	संगठन एवं पद्वति कार्यशाला	23–25 अगस्त	पटना	30
7.	हिन्दी कार्यशाला	5 से 6 सितम्बर	नई दिल्ली	35
8.	जल गुणवत्ता संबंधी पाठ्क्रम	11–14 सितम्बर	कावेरी मंडल के अन्तर्गत साइट	20
9.	कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं इंटरनेट का प्रयोग	20–22 सितम्बर	लखनÅ	30
10.	जल विज्ञानीय प्रेक्षण एवं जल गुणवत्ता प्रबोधन	8–10 नवम्बर	देहरादूर	30
11.	कार्यालय स्वचलन	13–17 नवम्बर	हैदराबाद	32
12.	हिन्दी कार्यशाला	13–14 दिसम्बर	नई दिल्ली	10
13.	हिन्दी कार्यशाला	27–29 दिसम्बर	कोयम्बटूर	29
14.	के.ज.आ. के अति.सहा.निदे. के लिए दूसरा अनुकूलन पाठ्यक्रम	11–22 दिसम्बर	पुणे	15
15.	एस.डब्ल्यू.डी.ई.एस.	18–22 दिसम्बर	चेन्नई	20
16.	सकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन एवं आयोजना	8–11 जनवरी	नई दिल्ली	32

17.	माइक–दो	8–16 जनवरी	हैदराबाद	30
18.	जल माप–विज्ञानीय प्रेक्षण एवं प्रबंधन	16–20 जनवरी	सिलचर	30
19.	हिन्दी कार्यशाला	17–19 जनवरी	भोपाल	30
20.	अभिकल्प बाढ़ एवं प्रबंधन की समीक्षा	17–19 जनवरी	लखनÅ	20
21.	एस.डब्ल्यू.डी.ई.एस.	22–22 जनवरी	हैदराबाद	30
22.	बेसिक कम्प्यूटर पाठ्यक्रम	5–9 फरवरी	भुवनेश्वर	20
23.	लघु तथा मध्यम आवाहों के लिए अभिकल्प बाढ़ आकलन	7–8 फरवरी	नई दिल्ली	24
24.	संगठन एवं पद्धति कार्यशाला	21–23 फरवरी	जम्मू	30
25.	हिन्दी कार्यशाला	27–28 फरवरी	नई दिल्ली	14
				620

अनुबंध–15–2

1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 के दौरान विभिन्न प्रषिक्षण / सेमिनार / संगोष्ठी / सम्मेलन इत्यादी के लिए विदेष में प्रतिनियुक्त अधिकारियों की सूची :–

क्र. सं.	कार्यक्रम का विषय / स्थान / अवधि	प्रतिभागी
1.	संयुक्त जल विज्ञानीय प्रेक्षण, बंगलादेश, 8 अप्रैल से 4 जून 2006 तक (पारगमन समय सहित)	के.के. राजन, अधिशासी अभियंता एन. चट्टोपाध्याय, सहायक अभियंता
2.	बाढ़ प्रबंधन हेतु समुदाय उपागम संबंधी क्षेत्रीय कार्यशाला, डब्ल्यू.एम.ओ., ढाका (बंग्लादेश), 3 से 5 अप्रैल, 2006	बी.पी. सिंह, मुख्य अभियंता
3.	सेनानायके जलाशय में दरार हेतु उपचारी उपायों के अन्वेषण तथा कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायता हेतु श्रीलंका का दौरा, श्रीलंका, 3 से 7 अप्रैल, 2006	शिव नंदन कुमार, अधीक्षण अभियंता
4.	पारो पर नदी सुरक्षा कार्यों के निरीक्षण, पुनातसांगचू जल विद्युत परियोजना में अन्वेषण कार्यों के निरीक्षण हेतु भूटान का दौरा, 11 से 16 अप्रैल, 2006	ए.के. नायक, उपनिदेशक
5.	एन.टी.एन.यू. द्वारा आयोजित पूर्व एन.ओ.आर.ए.डी फेलो के लिए आवासीय सम्मेलन, काठमांडू (नेपाल), 11 से 12 मई, 2006	ए.के. अग्रवाल, उपनिदेशक विजय सरन, उपनिदेशक
6.	ताला जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण की 22वीं बैठक, भूटान 24 से 27 मई, 2006	एस.के. दास, सदस्य
7.	समुदाय विकास तथा जल संसाधनों के प्रबंधन द्वारा ग्रामीण रूपान्तरण पर जी–15 विशषज्ञ सेमिनार, जेनेवा (स्विस), 3 से 4 जुलाई, 2.006	एस.के. सिन्हा, मुख्य अभियंता
8.	सरकारी सलाहकार परामर्शी समूह की यू.एन.ई.पी.डी. डी.पी. दूसरी बैठक और संचालन समिति की 11वीं बैठक, हेग, नीदरलैंड्स, 28 से 30 अगस्त, 2006	वी.के. ज्योति, मुख्य अभियंता
9.	आपदा प्रबंधन – जलवायु पूर्वानुमान पर यू.एस.ए.आई. डी. परियोजना के तहत महानदी नदी बेसिन में	शिव प्रकाश, अधिशासी अभियंता

	प्रयुक्त राष्ट्रीय मौसम सेवा नदी पूर्वानुमान प्रणाली पर प्रशिक्षण, एन.ओ.ए.ए., फोर्ट कोलिन्स, यू.एस.ए., 23 अक्तूबर से 17 नवम्बर, 2006	रितेश खट्टर, उपनिदेशक डी.आर. मोहन्ती, सहायक ए.के. रॉय, वरि.वै.सहायक
10.	जल सूचनाप्रणाली एवंज ल प्रबंधन में एम.एस.सी. पाठ्यक्रम, यूनिवर्सिटी डी.नाइस, सोफिया एन्टिपोलिस (फ्रांस), 1 सितम्बर, 2006 से 1 सितम्बर, 2008 , इरेसमस मुडांस फैलोशिप (अध्ययन अवकाश पर)	सुनील कुमार, उपनिदेशक
11.	जल विद्युत विकास में एम.एस.सी. पाठ्यक्रम, एन.टी. एन.यू., नार्वे, 11 अगस्त, 2006 से 10 अगस्त, 2008 तक कोटा फैलोशिप कार्यक्रम के तहत (अध्ययन अवकाश पर)	शरद चन्द्र, उपनिदेशक
12.	आई.सी.आई.डी. को 57वीं आई.सी.आई.डी. कार्यकारी परिषद बैठक एवं तीसरा एशियन क्षेत्रीय सम्मेलन और 7वीं अन्तर्राष्ट्रीय लघु सिंचाई कांग्रेस, कुआलालाम्पुर (मलेशिया), 10 से 17 सितम्बर, 2006	आर. जेयसीलन, अध्यक्ष
13.	जल मामलों पर डब्ल्यू.एम.ओ. क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला, हनाई (वियतनाम), 4 से 7 दिसम्बर, 2006	आर.के. गुप्ता, निदेशक
14.	आई.सी.आई.डी. की 57वीं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् बैठक, कुआलालाम्पुर (मलेशिया), 10 से 15 सितम्बर, 2006	आर. जेयसीलन, अध्यक्ष
15.	हार्डिंग ब्रिज पर संयुक्त जलवैज्ञानिक प्रेक्षण, बंग्लादेश, 29 दिसम्बर, 2006 से 22 फरवरी, 2007 (यात्रा समय समेत)	ए.के. श्रीवास्तव, उपनिदेशक रमेश कुमार, सहायक निदेशक
16.	सलमा परियोजना, अफगानिस्तान के अवसंरचना कार्यों के निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त, अफगानिस्तान, 16 से 22 जनवरी, 2007	एस.के. दास, अध्यक्ष नरेश कुमार, निदेशक
17.	हार्डिंग नदी पर संयुक्त जलवैज्ञानिक प्रेक्षण, 18 फरवरी से 15 अप्रैल, 2007	एस.सी. मिश्रा, अधिशासी अभियंता डी.के. रॉय, अति.सहा.निदे.
18.	विश्व जल सप्ताह, स्टॉकहोम (स्वीडन), 20 से 26 अगस्त, 2006	एस.के. दास, सदस्य के. वोहरा, वरि.संयुक्त आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय

अनुबंध – 15–3

वर्ष 2006–07 के दौरान राष्ट्रीय जल अकादमी में आयोजित प्रषिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यषालाएं

क्र. सं.	प्रषिक्षण कार्यक्रम	तिथियां	अधिकारियों की संख्या
1.	केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा (ग्रेड 'ए') के नवनियुक्त अधिकारियों के लिए 20वां प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम	1–13 अप्रैल, 2006 (वित्त वर्ष 2005–06 से जारी)	17
2.	झीलों तथा जलाशयों के लिए जल गुणवत्ता प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	25–28 अप्रैल, 2006	19
3.	नदी घाटी परियोजनाओं हेतु	8–12 मई, 2006	12

	पर्यावरणीय प्रबंधन एवं सामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम		
4.	'जल क्षेत्र में भू–सूचना विज्ञान' संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम (इसरो द्वारा प्रायोजित)	9–19 मई, 2006	25
5.	हाइड्रोमीटरी पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	16–26 मई, 2006	14
6.	जल संसाधन परियोजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन एवं बेंचमार्किंग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	6–9 जून, 2006	12
7.	सहभागी सिंचाई प्रबंधन में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	26–30 जून, 2006	24
8.	के.ज.आ. के नवपदोन्नत अतिरिक्त सहायक निदेशकों के लिए पहला अनुकूलन कार्यक्रम	10–21 जुलाई, 2006	9
9.	वर्षा जल संचयन एवं भू–जल पुनःपरूण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	17–21 जुलाई, 2006	31
10.	अपशिष्ट जल के पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	24–28 जुलाई, 2006	29
11.	एफ.ई.एम./एफ.ई.ए. पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	1–11 अगस्त, 2006	11
12.	'जल क्षेत्र में भू–सूचना विज्ञान' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (के.ज.आ. – आर.एस.निदेशालय द्वारा प्रायोजित)	7–18 अगस्त, 2006	21
13.	हाइड्रोमीटरी पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	22 अगस्त से 1 सितम्बर, 2006	13
14.	जलविभाजक प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	11–15 सितम्बर, 2006	24
15.	उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारियों के लिए जल विद्युत विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	18 सितम्बर – 20 अक्तूबर, 2006	21
16.	जल गुणवत्ता प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	25–29 सितम्बर, 2006	24
17.	जल क्षेत्र में भू–सूचनाविज्ञान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (इसरो द्वारा प्रायोजित)	10–20 अक्तूबर, 2006	19
18.	बराज एवं नहरों के अभिकल्प संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	30 अक्तूबर, 2006 – 3 नवम्बर, 2008	33
19.	सतही जल आंकड़ा संसाधन एवं इसके वैधीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	7–17 नवम्बर, 2006	24
20.	बाढ़ प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	20–24 नवम्बर, 2006	24
21.	प्राइमावेरा और एम.एस. परियोजना साफ्टवेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	27 नवम्बर – 1 दिसम्बर, 2006	16
22.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.	6–15 दिसम्बर, 2006	25

	) की तैयारी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम		
23.	के.ज.आ. के नव पदोन्नत अतिरिक्त सहायक निदेशकों के लिए दूसरा अनुकूलन कार्यक्रम	11–22 दिसम्बर, 2006	15
24.	जल संसाधन परियोजनाओं के निष्पादन मूल्यांकन बेंचमार्किंग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	12–15 दिसम्बर, 2006	32
25.	वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम	19–22 दिसम्बर, 2006	16
26.	'जल क्षेत्र में भू–सूचनाविज्ञान' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	2–12 जनवरी, 2007	27
27.	जलविद्युत विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	2 जनवरी से 15 फरवरी, 2007	25
28.	भू–तकनीकी यंत्रीकरण पर प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम	29 जनवरी से 2 फरवरी, 2007	13
29.	जलयांत्रिक उपकरणों (फाटक) के अभिकल्प संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	5–9 फरवरी, 2007	33
30.	'आई.डब्ल्यू.आर.एम.' संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	13–23 फरवरी, 2007	14
31.	विस्डम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	28 फरवरी – 2 मार्च, 2007	25*
32.	कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्वार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	5–8 मार्च, 2007	25*
33.	जलविज्ञानीय मॉडलिंग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	7–9 मार्च, 2007	25*
34.	आई डियास सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	12–16 मार्च, 2007	25*
ख	कार्यशालाएं / सेमिनार		
35.	'जल नियमों एवं आई.डब्ल्यू.आर.एम. में उनकी भूमिका' पर राष्ट्रीय सेमिनार	21–22 सितम्बर, 2006	60
36.	विश्व जल दिवस, 2007	22 मार्च, 2007	100
	कुल प्रशिक्षित अधिकारी		882
	प्रशिक्षण के कार्य सप्ताह		1247

अध्याय – सोलह

सतर्कता

16.1. अनुशासनिक मामले

केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से संबंधित प्राप्त हुए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों तथा शिकायतों पर तत्काल समुचित ध्यान दिया गया । वर्ष 2006–2007 के दौरान 33 शिकायतें प्राप्त हुई जिनकी जांच की गई । 41 मामलों में अंतिम निर्णय लिए गए जिसमें से 15 मामलों में कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उन्हें छोटा/बड़ा दण्ड दिया गया । विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संदर्भ में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का विवरण इस प्रकार है :–

अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी

	विवरण	श्रेणी 'क'	श्रेणी 'ख'	श्रेणी 'ग'	श्रेणी 'घ'
क.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या	27	3	26	12
ख.	वर्ष के दौरान शामिल किए गए मामलों की संख्या	11	12	10	0
ग.	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	16	5	14	6
घ.	वर्ष के अंत में लम्बित मामलों की संख्या (क+ख–ग)	22	10	22	6

केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में दिनांक 01.11.2006 से 06.11.2006 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया ।

16.2 शिकायतों का निपटान

केन्द्रीय जल आयोग में सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान संबंधी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं । सचिव, केन्द्रीय जल आयोग को सेवारत/सेवानिवृत कर्मचारियों से संबंधित ऐसे मामलों, जिनका निपटान सामान्य माध्यमों से नहीं हो सका है, के निपटान हेतु कर्मचारी शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है । सार्वजनिक तथा कर्मचारियों से संबंधित दोनों प्रकार की शिकायतों का निपटान उचित रूप से किया गया है ।

31.3.2007 तक शिकायत के 101 मामलों में से 41 मामलों का निपटान किया गया तथा 60 मामले लंबित हैं।

केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ–साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान हेतु अवर सचिव की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया गया है ।

अध्याय – सत्रह

विभिन्न समितियों में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व

17.1 के.ज.आ. के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित समितियां

केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, एवं सदस्य, अन्य संगठनों की विभिन्न तकनीकी समितियों में अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं । ऐसी समितियों की सूची नीचे दी गई है :–

क्र सं	समिति / बोर्ड / विषेषज्ञों के पैनल / तकनीकी समूह आदि का नाम	के.ज.आ. का प्रतिनिधित्व	
		अधिकारी	समिति में पद
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे की षासी परिषद के लिए तकनीकी सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
2.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की तकनीकी सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
3.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो.एवं परि.) सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य
4.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के अन्तर्बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों पर राज्यों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु समूह	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
5.	बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीडीएस)	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
6.	बी आई एस की जल संसाधन मण्डलीय परिषद (डब्ल्यू आर डी सी)	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष सदस्य
7.	भाखड़ा नांगल और ब्यास परियोजना (सिंचाई स्कंध) के संगठन और पद्धति से संबंधित समस्याओं पर सलाह देने के लिए तकनीकी विषेषज्ञों की समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष

8.	राष्ट्रीय जल बोर्ड का कार्य समूह	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
9.	जल विज्ञान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आई एन सी ओ एच)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
10.	सिंचाई और जलनिकास पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (इनसिड)	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
11.	1. जैन–इनसिड सूक्ष्म सिंचाई पुरस्कार 2. जैन–इनसिड कृषि सिंचाई विकास पुरस्कार के लिए चयन समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
12.	बेतवा नदी बोर्ड की कार्यकारी समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
13.	बाणसागर नियंत्रण बोर्ड की कार्यकारी समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष सदस्य
14.	बाणसागर जलाषय की नियामक समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो.एवं परि.)	अध्यक्ष उपाध्यक्ष
15.	षिक्षा एवं प्रषिक्षण पर स्थाई समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
16.	तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की पर्यावरण/वन स्वीकृति तेजी से प्राप्त करने हेतु समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष
17.	राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे का सलाहकार बोर्ड		
18.	केंद्रीय जल आयोग की कार्यालय परिषद	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (ज.आ.एवं.परि.) सदस्य (अभि एवं अनु.) सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
19.	केन–बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) की तैयारी के समस्त कार्य के प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण हेतु समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	अध्यक्ष

20.	सिंचाई में निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ को इष्टतम बनाने से संबंधित समस्याओं संबंधी आई.सी.ए.आर.–के.ज.आ. का संयुक्त पैनल	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (ज.आ. एवं परि.)	अध्यक्ष / सह अध्यक्ष सदस्य
21.	पंचेष्वर बहुउद्देष्यीय परियोजना पर विषेषज्ञों का संयुक्त दल	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (नदी प्रबंध)	दल नेता विशिष्ट आमंत्रित
22	जल संसाधन आवष्यकताओं और शहरी क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए संचालन समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष सदस्य
23.	केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानषाला के लिए शासी परिषद	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (अभि. एवं अनु.)	उपाध्यक्ष सदस्य
24.	अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग	अध्यक्ष, के.ज.आ.	उपाध्यक्ष
25.	नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी पर्यावरणविदों सामाजिक विज्ञानियों और अन्य विषेषज्ञों की समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
26.	बाढ़ प्रबंधन के समेकित अभिगमों पर आई. सी.आई.डी. कार्य समूह (डब्ल्यू.जी.–सी.ए. एफ.एम.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
27.	जल संसाधन मंत्रालय की विभागीय परिषद	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
28.	केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, पुणे की शासी परिषद	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
29.	राष्ट्रीय जल विज्ञान सोसाइटी संस्थान	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य सदस्य
30.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का शासी निकाय	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
31.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) की प्रबोधन समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
32.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य

	पी) की संचालन समिति		
33.	जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण (डब्ल्यू. क्यू.ए.ए.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
34.	ब्रहमपुत्र बोर्ड का उच्च अधिकार प्राप्त पुनरीक्षा बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (नदी प्रबंध)	सदस्य स्थायी आमंत्रित
35.	राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (एन.आई.सी.एम.ए.आर.) की शासक समिति (बी.ओ.जी.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
36.	जल संसाधन पर भारत–नेपाल संयुक्त समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
37.	फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
38.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य आमंत्रित
39.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण संस्था	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (अभि एवं अनु.) सदस्य (ज.आ.एवं.परि.)	सदस्य सदस्य सदस्य
40.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का शासी निकाय	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (ज.आ.एवं.परि.) सदस्य (अभि एवं अनु.)	सदस्य सदस्य सदस्य
41.	राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का राष्ट्रीय जल बोर्ड (एन.डब्ल्यू.बी.)	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (ज.आ.एवं.परि.)	सदस्य सदस्य सचिव
42.	यमुना नदी के न्यूनतम प्रवाह के रखरखाव हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच.पी.सी.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
43.	कावेरी प्रबोधन समिति (सी.एम.सी.)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य

44.	योजना आयोग की राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली की आयोजना समिति (पी. सी.–एन .एन.आर.एम.एस) की जल संसाधन पर स्थायी समिति (एस सी डब्ल्यू)	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
45.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देष्थीय परियोजना प्रस्तावों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने हेतु सलाहकार समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ. सदस्य (ज.आ.एवं.परि.) सदस्य (नदी प्रबंध) सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य विशेष आमंत्रित विशेष आमंत्रित विशेष आमंत्रित
46.	गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रित
47.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रित
48.	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की पुनरीक्षा समिति	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रित
49.	बेतवा नदी बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रित
50.	बाणसागर कंट्रोल बोर्ड	अध्यक्ष, के.ज.आ.	आमंत्रित
51.	संयुक्त नदी आयोग	अध्यक्ष, के.ज.आ.	सदस्य
52.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
53.	राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
54.	रिहन्द बांध के लिए संयुक्त प्रचालन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
55.	बेतवा नदी बोर्ड की संविदा कार्य उप समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
56.	बाणसागर कंट्रोल बोर्ड के सामान और उपकरणों की खरीद के लिए निविदाओं और प्रस्तावों पर कार्यवाई करने के लिए उप–समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
57.	राजघाट बांध परियोजना के मिट्टी बांध–भूखंड में मैसर्स एच.एस.सी.एल के दावों पर विचार करने के लिए अधिकारियों की उप समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
58.	बेतवा नदी बोर्ड के मैसर्स एन.पी.सी.सी. लिमिटेड़ के दावों का निपटान करने हेतु समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
59.	बाण सागर नियंत्रण बोर्ड के ठेकेदारों के दावा मामलों की जांच और कार्यवाही करने	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष

	के लिए उप–समिति		
60.	प्रस्तावित तिपाईमुख बहुउद्देष्यीय परियोजना के असंरचनात्मक पक्षों के लिए प्रबोधन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
61.	समाजिक–आर्थिक, कृषि–आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन पर तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
62.	पंचाट बोर्डों में मध्यस्थों के चयन के लिए छानबीन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
63.	चांडिल बांध और गलुडिह बराज की संयुक्त नियामक समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
64.	खरकाई बांध की संयुक्त नियामक समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
65.	सिंचाई, निष्पादन मूल्यांकन, इतिहास, षिक्षा, प्रषिक्षण, अनुसंधान एवं विकास पर उप–समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
66.	के.ज.आ. की स्थाई परियोजना मूल्यांकन समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
67.	जल संसाधन आयोजना प्रबंधन और मूल्यांकन सेक्षनल समिति–डब्ल्यू आर डी–06 (बी आई एस)	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
68.	एक समान रूप में सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता की सिंचाई के आंकड़ों की रिपोर्टिंग के लिए मार्गदर्षिकाओं की रिपोर्टिंग हेतु समेकित जल संसाधन विकास कार्यबल पर राष्ट्रीय आयोग (एन सी आई डब्ल्यू आर डी पी) की सिफारिष	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
69.	देष (उत्तर पष्चिमी क्षेत्र) में बाढ़ प्रबंध के लिए कार्यबल	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
70.	हथिनीकुंड बराज के लागत बंटवारे हेतु समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
71.	आमंत्रित आरक्षित वर्ग के तहत अनुसंधान विषयों के लिए उप– समूह–1	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
72.	वर्षा जल संचयन के लिए उप–समूह–2	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
73.	पुनर्गठित यू पी/उत्तरांचल राज्यों के लिए समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	अध्यक्ष
74.	पुनर्गठित बिहार/झारखंड राज्यों के लिए	सदस्य (जल आयो.	अध्यक्ष

	समिति	एवं परि.)	
75.	ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य सचिव
76.	क्षमता निर्माण पर इनसिड का कार्य समूह	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
77.	सामाजिक–आर्थिक प्रभावों एवं नीति संबंधी मुद्दों पर कार्य दल (आई सी आई डी)	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
78.	जल के विविध प्रयोग के संबंध में समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जल आयोजना और समन्वय के लिए स्थायी समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
79.	डब्ल्यू पी सं. 914/96 (सेक्टर 14 निवासी कल्याण संघ नोएडा बनाम संघ सरकार तथा अन्य) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा गठित समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
80.	डब्ल्यू पी (सिविल) सं. 725/94 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति। "मुख्यतः यमुना के कम प्रवाह बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य" पर हिन्दस्तान टाइम्स में न्यूज आइटम	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
81.	योजना आयोग की राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली की योजना समिति (पी सी–एन एन आर एम एस) के ग्रामीण विकास (एस सी–आर) पर स्थायी समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
82.	नदियों की सिंधु प्रणाली के पूर्वी नदी जल पर समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
83.	राष्ट्रीय जल विभाजक समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
84.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ऋण सहायता	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	सदस्य
85.	जल विज्ञान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति की संचालन समिति (आई एन सी ओ एच)	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	स्थाई आमंत्रित
86.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की यमुना कार्य योजना–उच्चाधिकार प्राप्त समिति	सदस्य (जल आयो. एवं परि.)	आमंत्रित
87.	बाढ़ नियंत्रण, जलविकास और समुद्र कटाव–रोधी (गोवा) के लिए तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
88.	राज्य तकनीकी सलाहकार समिति–बाढ़	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष

	(कर्नाटक)		
89.	सुबर्णरेखा तटबंध समिति (उड़ीसा, पष्चिम बंगाल और बिहार)	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
90.	नदियों में न्यूनतम प्रवाह पर डब्ल्यू क्यू ए ए को सलाह देने के लिए कार्य समूह	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
91.	विष्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जल विज्ञान परियोजना चरण–2 के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
92.	विष्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जल विज्ञानीय परियोजना चरण–2 के कार्यान्वयन हेतु एच आई एस एम जी (आंकड़ा और आंकडा प्रसार) का गठन	सदस्य (नदी प्रबंध)	सदस्य
93.	विष्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जल विज्ञान परियोजना चरण–2 के क्रियान्वयन के लिए एच आई एस एम जी (तकनीकी) का गठन	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
94.	जल संसाधन आवष्यकता और शहरी क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करने हेतु संचालन समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
95.	तटीय सुरक्षा और विकास सलाहकार समिति (सी पी डी ए सी)	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
96.	राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण (एन सी जैड एम ए)	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
97.	घग्गर स्थायी समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
98.	यमुना स्थायी समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
99.	साहिबी स्थायी समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
100.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण उपायों की सिफारिष, पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित ष्षीर्ष समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
101.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा गठित बाढ़ नियंत्रण बोर्ड	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
102.	ब्रहमपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
103.	ब्रहमपुत्र बोर्ड की स्थायी समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
104.	पष्चिम बंगाल राज्य अभियंता समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
105.	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष

106.	कोसी उच्च स्तरीय समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
107.	दामोदर घाटी जलाषय नियमन समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
108.	द्रव प्रवाह मापकों के लिए बी.आई.एस. की डब्ल्यू आर डी 01 सेक्षनल समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
109.	डब्ल्यू आर डी–22 नदी एवं विपथन कार्य सेक्षनल समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
110.	इनसिड की उप समिति III (बाढ़ प्रबंध, अपवाह और पर्यावरण प्रभाव)	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
111.	पंचेष्वर बहुउद्देष्यीय परियोजना पर विषेषज्ञों का संयुक्त दल	सदस्य (नदी प्रबंध)	विषेष आमंत्रिती
112.	सप्त कोसी परियोजना पर विषेषज्ञों का संयुक्त दल (जे टी ई)	सदस्य (नदी प्रबंध)	दल नेता
113.	जम्मू एवं कष्मीर में चेनाब मुख्य पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना के संबंध में तकनीकी मुद्दों की जांच के लिए समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
114.	आसाम राज्य ब्रहमपुत्र घाटी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
115.	कछार बाढ़ नियंत्रण बोर्ड (आसाम) की तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
116.	तीस्ता पर निर्मित विभिन्न जल–विद्युत परियोजनाओं से निर्मुक्ति के नियमन का अध्ययन करने हेतु उच्च स्तरीय समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
117.	भूटानी डायरा (पष्चिम बंगाल) और मजोली द्वीप (आसाम) की कटाव समस्या के अध्ययन हेतु समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
118.	ब्रहमपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू किए जाने वाले बाढ़ नियंत्रण एवं कटाव रोधी कार्यों के लिए मार्गदर्षिकाएं तथा योजनाओं की प्राथमिकता तैयार करने वाली स्थायी समिति	सदस्य (नदी प्रबंध)	अध्यक्ष
119.	सी एस एम आर एस, नई दिल्ली की शासिक परिषद की स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
120.	यंत्रीकरण केंद्र (आई डी सी) के लिए यंत्र तथा कार्य प्रतिरूपों की अधिप्राप्ति हेतु तकनीकी समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
121.	राष्ट्रीय षैल यांत्रिकी संस्थान (एन आई आर एम) का षासी निकाय	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य

122.	राष्ट्रीय षैल यांत्रिकी संस्थान (एन आई आर एम) का सामान्य निकाय	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
123.	विज्ञान एवं तकनीकी सलाहकार समिति (एस टी ए सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
124.	भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रबंधन बोर्ड	सदस्य (अभि. एवं अनु.)5	सदस्य
125.	सीमेंट और बिल्डिंग सामग्री राष्ट्रीय परिषद की अनुसंधान सलाहकार समिति (आर ए सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
126.	कोयना बांध एवं इसके अनुबद्ध कार्यों तथा कोयना विद्युत समेत उपकरण/मषीनरी उत्पन्न करने के लिए परामर्षदाता बोर्ड	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	
127.	द्रविकी अनुसंधान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (आई एन सी एच)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
128.	आर एण्ड डी कार्यान्वयन और प्रबोधन समिति (आर आई एम सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
129.	नदी घाटी परियोजनाओं के भूकम्पीय अभिकल्प पैरामीटरों पर राष्ट्रीय समिति (एन सी एस डी पी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
130.	बी आई एस की डब्ल्यू आर डी 09, बांध एवं जलाषय सेक्षनल समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
131.	बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना(डी आर आई पी) हेतु राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एन एल एस सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
132.	बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना(डी आर आई पी) हेतु तकनीकी समिति (टी सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
133.	पी एम पी एटलस की तैयारी के लिए तकनीकी सलाहकार एवं पुनरीक्षण समिति (टी ए आर सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
134.	विष्व मौसम विज्ञानीय संस्था	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	प्रतिनिधि
135.	बड़े बांधों, भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
136.	सतलुज जल विद्युत निगम लि0 (एस जे वी एन एल) निदेषक परिषद	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	निदेषक
137.	टिहरी जल विकास निगम निदेषक बोर्ड	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अंषकालिक निदेषक
138.	ऊर्जा पर भारत–फ्रांस कार्यसमूह	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
139.	जम्मू एवं कष्मीर राज्य में जल विद्युत	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य

	परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी समूह		
140.	भारतीय मानक ब्यूरो, डब्ल्यू आर डी–15	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
141.	फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष
142.	ताला जल विद्युत परियोजना, भूटान की तकनीकी समन्वय समिति (टी सी सी)	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सह अध्यक्ष
143.	ताला जल विद्युत परियोजना प्राधिकरण (टी एच पी ए), भूटान की परिषद बैठक	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	आंमंत्रित
144.	विद्युत योजनाओं के तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन की स्वीकृति के लिए सी ई ए की समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	स्थायी विषिष्ट आमंत्रित
145.	एन एच पी सी निष्पादन पुनरीक्षण समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	सदस्य
146.	फरक्का बराज परियोजना की निविदा समिति	सदस्य (अभि. एवं अनु.)	अध्यक्ष

17.2 कुछ महत्वपूर्ण समितियों के कार्य–कलाप

17.2.1 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, एनडब्ल्यूडीए की तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं तथा सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) तथा सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग, इसके सदस्य हैं ।

तकनीकी सलाहकार समिति की 35वीं बैठक 22 सितम्बर, 2006 को हुई । जिसमें निम्नलिखित रिपोर्टों के तकनीकी पहलुओं पर विचार–विमर्श किया गया :

- उकई पर तापी का प्रारंभिक जल संतुलन अध्ययन।
- पार–तापी–नर्मदा सम्पर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट ।
- केन–बेतवा संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट ।
- पार्बती–कालीसिंघ–चंबल संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट।
- महानदी–गोदावरी–कृष्णा–पेन्नार–कावेरी–वैगई–गुंडर संपर्क की एक संपर्क प्रणाली की व्यवहार्यता रिपोर्ट।
- दमन गंगा–पिन्जल संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट।
- जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का संपर्क परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट।

17.2.2 एनआईएच – तकनीकी सलाहकार समिति

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा एनआईएच के अनुसंधान कार्यक्रम तथा अन्य तकनीकी कार्यकलापों का प्रबोधन एवं दिशा–निर्देशन किया गया । सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) तथा मुख्य अभियंता, जल विज्ञानीय अध्ययन संगठन इसके सदस्य हैं । तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा सतही जल, भू–जल एवं जल वैज्ञानिक प्रेक्षण एवं यंत्रीकरण पर 3 कार्य दलों से मंतव्य (फीड़–बेक) प्राप्त किया जाता है। मुख्य अभियंता, एचएसओ तथा मुख्य अभियंता, बीपीएमओ, सतही जल समूह के सदस्य हैं तथा मुख्य अभियंता (पी एण्ड डी), जल विज्ञानीय प्रेक्षण तथा यंत्रीकरण समूह के सदस्य हैं । तकनीकी सलाहकार समिति की 54वीं बैठक 04.04.2006 रूड़की में हुई। तकनीकी सलाहकार समिति की 55वीं बैठक 30.10.2006 को बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केन्द्र, एन.आई.एच., पटना में हुई। एन.आई.एच. (सतही जल) के सतह जल कार्यकारी समूह की 25वीं बैठक 5–6 सितम्बर, 2006 को रूड़की में हुई।

17.2.3 केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला – तकनीकी सलाहकार समिति

तकनीकी सलाहकार समिति का गठन मुख्यतः द्रविकी अनुसंधान के क्षेत्र में सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य तथा तकनीकी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से किया गया था । तकनीकी सलाहकार समिति में विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के 17 सदस्यों को लिया गया है । अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इसके अध्यक्ष हैं । सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग इसके एक सदस्य हैं। 2006–07 के दौरान कोई बैठक नहीं हो सकी।

17.2.4 फरक्का बराज परियोजना – तकनीकी सलाहकार समिति

सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में फरक्का बराज परियोजना–तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है । इस बैठक में परियोजना के विभिन्न कार्यों के दक्ष एवं सुरक्षित निष्पादन हेतु निर्णय लिए जाते हैं । समय–समय पर विभिन्न समस्याएं, विशेष अध्ययन तथा अभिकल्प से संबंधित कार्य अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध को भेजे गए । सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) ने समय–समय पर फरक्का बराज परियोजना प्राधिकारियों से विचार–विमर्ष किया और फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की अध्यक्षता की। गंगा नदी के कटाव सुरक्षा कार्य करने हेतु फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह में 40 किलो मीटर तक तथा अनुप्रवाह में 30 किलो मीटर तक फरक्का बराज परियोजना का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। फरक्का बराज परियोजना की तकनीकी सलाहकार समिति की 103वीं बैठक 11–13 फरवरी, 2007 को फरक्का में हुई।

17.2.5 केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला की स्थाई तकनीकी सलाहकार समिति

स्थाई तकनीकी सलाहकार समिति का गठन मुख्यतः केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला में की जा रही अनुसंधान स्कीमों की तकनीकी जांच में सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य तथा मार्गदर्शन देने हेतु किया गया था । स्थाई तकनीकी सलाहकार समिति में विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के 11 सदस्यों को लिया गया है तथा इसके अध्यक्ष, सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग हैं। एक समग्र परिदृश्य तथा केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला को तकनीकी मामलों (आर. एण्ड डी.) एवं एस. एण्ड टी. संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति की 25वीं बैठक 23.02.2007 को सम्पन्न हुई।

17.2.6 भारतीय राष्ट्रीय जलीय अनुसंधान समिति (आई एन सी एच)

जल संसाधन मंत्रालय में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की आयोजना तथा प्रबोधन, विज्ञान एवं तकनीकी सलाहकार समिति (एस.टी.ए.सी.); (क) जलविज्ञान, (ख) सिंचाई एवं अपवाह, (ग) जलीय

अनुसंधान, (घ) भू–तकनीकी अभियांत्रिकी, (ड.) निर्माण सामग्री एवं संरचनाओं संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समितियों के सहयोग से स्थायी सलाहकार समिति (एस.ए.सी.) द्वारा की जाती हैं। जलीय अनुसंधान के क्षेत्र में कर्य करने वाली जल संसाधन मंत्रालय, द्वारा गठित पांच राष्ट्रीय समितियों में से एक है जिसका उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन, जलीय संरचना और नदी द्रव इंजीनियरी, पर्यावरणीय द्रव इंजीनियरी, अपवाह और सुधार, तटीय तथा ज्वारनदमुखीय हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक्स मशीनरी, नगर जल आपूर्ति, बंदरगाहों एवं पोताश्रयों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना है । जलीय अनुसंधान संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति को उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने और निधिकरण का कार्य सौंपा गया है । सदस्य (अभि. एवं अनु.) इस समिति के अध्यक्ष हैं।

भारतीय राष्ट्रीय जलीय अनुसंधान समिति में विभिन्न केन्द्र एवं राज्य अनुसंधान संस्थानों से प्रतिनिधियों समेत हाइड्रोलिक्स क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं। केन्द्रीय जल आयोग का एफ.ई. एण्ड एस.ए. निदेशालय सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सचिवालय द्वारा प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों और चल रही अनुसंधान योजनाओं के प्रबोधन एवं समीक्षा हेतु विचार–विमर्श करने के लिए समय–समय पर अनुसंधान एवं विकास सत्र एवं बैठकों आयोजित की जाती है।

वर्ष के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत वित्तपोषक हेतु प्राप्त 8 नए अनुसंधान प्रस्तावों में से 6 प्रस्तावों को विशेषज्ञों के पास उनकी टिप्पणियों हेतु भेजा गया तथा 2 को अध्यक्ष, आई.एन.सी.एच. की अनुमति से वापस भेज दिया गया क्योंकि वे आई.एन.सी.एच. के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। अनुसंधान योजना (1 सं.) की मसौदा पूर्णता रिपोर्ट भी टिप्पणियों हेतु सदस्यों को भेज दी गई है। अप्रयुक्त राशि के पुनः वैधीकरण और चल रही परियोजनाओं के लिए समय विस्तार हेतु सेवा अनुग्रह जल संसाधन मंत्रालय को भेज दिया गया। चल रही अनुसंधान योजनाओं (11 सं.) उनकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के लिए प्रबोधन किया गया।

स्थायी सलाहकार समिति (एस.ए.सी.) की दिनांक 23.08.2006) को हुई 14वीं बैठक में आई.एन.सी. एच. को तहत एक अनुसंधान योजना को समिति द्वारा स्वीकृति दी गई। अन्य दो योजनाओं पर जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रभावीकरण के अधीन सैद्धांतिक सहमति हो गई।

आई.एम.सी.एच. की 29 मार्च, 2007 को हैदराबाद में आयोजित 15वीं बैठक में सात अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए तथा उन पर विचार–विमर्श किया गया।

17.2.7 भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति

वर्ष 1982 में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति का गठन किया गया था । यह एक शीर्ष निकाय है, जो देश में जल विज्ञान से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है । अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के अध्यक्ष हैं। इस समिति के सदस्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के साथ–साथ शैक्षणिक एवं अनुसंधान सगठनों के विशेषज्ञों में से लिए जाते हैं, इसके अलावा कुछ सदस्य गैर–सरकारी व्यवसायिक संगठनों से भी लिए जाते हैं । समिति को राज्यों से मंतव्य (फीड–बैक) प्राप्त होता है तथा राज्य समन्वयकों के माध्यम से राज्य स्तर पर कार्य–कलापों का समन्वय किया जाता है ।

भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समिति की सामान्यतः वर्ष में बैठकें होती हैं, अध्यक्ष, केन्दीय जल आयोग की अध्यक्षता में 31वीं तथा 32वीं बैठक का आयोजन क्रमशः 05.06.2006 और 02.02.2007 को

नई दिल्ली में किया गया। 2006–07 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान समिति की उप समिति की बैठकें इस प्रकार है :–

(क) संचालन समिति–सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) इसके अध्यक्ष हैं तथा मुख्य अभियंता (जल विज्ञानीय अध्ययन संगठन) इस उप समिति के सदस्य हैं। इस उप–समिति की 25वीं बैठक 09.08.2006 को जल विज्ञान भवन, रूड़की में हुई।

(ख) अनुसंधान समिति (सतही जल)–निदेषक, जल विज्ञान (बांध सुरक्षा पुनर्वास) इस उप–समिति के सदस्य हैं। इस समिति की 14वीं एवं 15वीं बैठक क्रमशः 03.05.2006 और 23.02.2007 को राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की में हुई।

17.2.8 भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति (आईएनसीआईडी)

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 1990 में भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास समिति का गठन किया गया था । अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग को भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल–निकास समिति (इनसिड) का अध्यक्ष तथा सदस्य, (जल आयोजना एवं परियोजना) को इसका सदस्य बनाया गया है । इनसिड का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है । भारत में इनसिड द्वारा आईसीआईडी के लक्ष्य तथा कार्य–कलापों का अनुसरण किया जाता है । यह सिंचाई एवं जल–निकास क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के कार्य–कलापों की भी जांच करती है । अनुसंधान स्कीमों को बढ़ावा देने तथा इन्हें तुरन्त तैयार एवं प्रबोधन करने के लिए इनसिड की निम्नलिखित चार उप–समितियों का गठन किया गया है :–

(एक) सिंचाई निष्पादन मूल्यांकन, इतिहास, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास ।
(दो) फसल, जल उपयोग एवं सूखा प्रबंधन, सूक्ष्म तथा यंत्रीकृत सिंचाई ।
(तीन) बाढ़ प्रबंध, जल–निकास तथा पर्यावरण प्रभाव और
(चार) निर्माण, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण, प्रचालन, रख–रखाव एवं प्रबंधन ।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक अनुसंधान पर कार्य करने हेतु दो उप–समूह तथा एक कार्यकारी समूह गठित किए गए।

वर्ष के दौरान सिंचाई एवं अपवाह संबंधी भारतीय राष्ट्रीय समिति की गतिविधियां निम्न प्रकार रहीं :–

- सिंचाई निष्पादन मूल्यांकन, इतिहास, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसाधन एवं विकास संबंधी इनसिड उप–समिति–1 की 9वीं बैठक सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान दो नए पस्तावों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया तथा प्रमुख अन्वेषकों को संशोधित प्रस्ताव एवं अनुमान प्रस्तुत कारने के लिए कहा गया है।

- फसल जल उपयोग एवं सूखा प्रबंधन और यांत्रिक एवं लघु सिंचाई संबंधी इनसिड उप–समेह की इनसिड उप–समिति–II की 9वीं वैठक परियोजना निदेशक, डब्ल्यू.टी.सी., आई.ए.आर.आई. एवं समिति अध्यक्ष की अध्यक्षता में 26 जून, 2006 को जल तकनीकी केन्द्र, आई.ए.आर.आई., पूसा परिसर, नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान समिति द्वारा दो नए प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। संबंधित प्रमुख अन्वेषकों ने पांच नए अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों हेतु कम सिंचाई, फसल एवं फसल आयोजना संबंधी इनसिड उप–समूह–एक की 5वीं बैठक 20 नवम्बर, 2006 को सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) की अध्यक्षता में के.ज.आ., नई दिल्ली में हुई। उप– समूह ने आमंत्रित अनुसंधान के लिए पांच नए विषयों का चयन किया। चालू योजना अर्थात "बाढ़ एवं बाद प्रवण क्षेत्रों के लिए फसल एवं फसल अयोजना" की स्थिति की समीक्षा की गई और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सदस्यों द्वारा टिप्पणियां/मध्यावाधि सुधार संबंधी सुझाव दिए गए।

- संपूरक हेतु कमान क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण सबंधी इनसिड उप–समूह–दो की 5वीं बैठक 20 नवम्बर, 2006 को सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना) की अध्यक्षता में के.ज.आ., नई दिल्ली में हुई। प्रमुख अन्वेषक द्वारा तीन नए अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और विचार विमर्श के पश्चात् उप–समूह ने प्रमुख अन्वेषक को सदस्यों की टिप्पणियों के अनुसार संशोधित योजना भेजने का निदेश दिया। चल रही योजनाओं की स्थिति पर भी चर्चा की गई।

- इनसिड की 25वीं बैठक अध्यक्ष, इनसिड एवं के.ज.आ. की अध्यक्षता में 9 मार्च, 2007 को के.ज.आ. नई दिल्ली में हुई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों अर्थात ब्रोड बेसिंग, अन्य राष्ट्रीय समितियों से सहयोग, चल रही अनुसंधान एवं विकास योजनाओं की प्रगति, आई.सी.आई.डी. कार्य निकायों के भारतीय नामितियों की सहभागिता इत्यादि के संबंध में चर्चा की गई।

- नेरीवाल्म, तेजपुर में 26–27 फरवरी, 2007 को आयोजित इनसिड के 7वें अनुसंधान एवं विकास सत्र में 39 चल रही अनुसंधान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई जिसमें 78 से अधिक तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया।

- अपनी गतिविधियों के प्रचार हेतु वर्ष के दौरान, इनसिड ने तिमाही सूचना पत्र : ''इनसिड न्यूज'' तथा वार्षिक रिपोर्ट का नियमित प्रकाषन किया।

- सिंचाई एवं जलनिकास के क्षेत्र में विषिष्ट योगदान देने वाले संस्थानों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, कृषिविज्ञानियों, अर्थषास्त्रियों इत्यादि को प्रोत्साहित करने के लिए इनसिड ने "जैन–इनसिड पुरस्कारों" की संस्थापना की। यह पुरस्कार, संस्थानों और व्यक्तियों को एकांतर वर्षों में प्रदान किए जाते हैं।

- "बाढ़ प्रबंधन, जल निकास एवं पर्यावरणीय प्रभाव" के द्वोत्र में अनुसंधान एवं विकास स्कीमों के चयन एवं प्रबोधन हेतु सदस्य (नदी प्रबंध), के.ज.आ. की अध्यक्षता वाली बाढ़ प्रबंधन, जलनिकास एवं पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी इनसिड उपव–समिति–तीन की 8वीं बैठक 01.09.2006 को हुई। अनुसंधान एवं विकास योजना "नदी, नहरों और ट्यूब वैलों के निस्सरण का मापन–क्षेत्र कार्यकर्त्ताओं के लिए नियमावली" पर एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे पर इनसिड की अगली बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

17.2.9 विश्व जल परिषद

विश्व जल परिषद एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जो जल पर नीति तैयार करती है और उसे अनुमोदित करती है । केन्द्रीय जल आयोग इस संगठन का सदस्य है । भारत में विश्व जल परिषद के कार्य–कलापों को बढ़ावा देने के लिए विश्व जल परिषद का केन्द्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया है । विश्वव्यापी जल सहभागिता एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, जो स्वरूप में अर्ध–सरकारी है और विश्व स्तर पर जल के नीति संबंधी दस्तावेजों पर विचार–विमर्श करती है और आगे विचार हेतु इसे विश्व जल परिषद को प्रस्तुत करती है । भारतीय राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल–निकास समिति भारत की ओर से विश्व जल सहभागिता का सदस्य है । दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र की तकनीकी सलाहकार समिति के साथ एक क्षेत्रीय जल सहभागिता है । देश स्तर पर एक गैर–सरकारी संगठन बनाया गया है, जिसका नाम भारत जल सहभागिता रखा गया है । केन्द्रीय जल आयोग का भारतीय जल सहभागिता – संचालन समिति में प्रतिनिधित्व है । अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस संचालन समिति के सदस्य हैं । सिंचाई आयोजना (दक्षिण) निदेशालय विश्व जल परिषद से संबंधित सभी कार्यों के लिए एक नोडल निदेशालय के रूप में कार्य करता है ।

विष्व जल परिषद, नई दिल्ली केन्द्र की एक महत्वपूर्ण गतिविधि गहन विचार सत्र का आयोजन करना है।

17.2.10 अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल–निकास आयोग

अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल–निकास आयोग एक गैर–सरकारी संगठन है, जिसमें 80 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है । भारत अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल–निकास आयोग का एक संस्थापक सदस्य है। अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल–निकास आयोग का लक्ष्य विश्व में दीर्घकालीन कृषि हेतु व्यापक परियोजनाओं को ग्रहण करके और उन्नत तकनीकी को बढ़ावा देकर अनुसंधान और विकास एवं क्षमता निर्माण के साथ सिंचाई जल–निकास, बाढ़ नियंत्रण और नदी नियंत्रण अनुप्रयोगों के प्रबंधन में कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी की तकनीकें, कृषि, अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और समाजविज्ञान के विकास को प्रोत्साहित करना और बढावा देना है ।

- **अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग की कार्यकारी परिषद**

आई.सी.आई.डी. की 58वीं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (आई.ई.सी.) बैठक तथा अन्य उत्पादन एवं जल पर अन्तर्क्षेत्रीय सम्मेलन 30 सितम्बर, 2006 से 5 अक्टूबर, 2006 तक कैलीफोर्निया, यू.एस.ए. में आयोजित किए गए। अध्यक्ष के.ज.आ. एवं इनसिड ने आई.सी.आई.डी. के एक उपाध्यक्ष के रूप में परिषद बैठक में भाग लिया।

- **अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल–निकास आयोग के अन्तर्गत समितियां/कार्यदल**

अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल–निकास आयोग द्वारा विभिन्न समितियां/कार्यदलों का गठन किया गया है, जिनमें उपर्युक्त कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल–निकास आयोग की समितियों/कार्य दलों में केंद्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से है :–

कमांक	समिति का नाम	सदस्य
1.	कार्यनीति आयोजना एवं संगठनात्मक कार्यों पर स्थायी समिति (पी सी एस पी ओ ए)	अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं इनसिड़
2.	तकनीकी गतिविधियों पर स्थायी समिति (पी सी टी ए)	अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं इनसिड़
3.	बाढ़ प्रबंधन के लिए समेकित दृष्टिकोण पर कार्यकारी दल (डब्ल्यू जी–सी ए एफ एम)	अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं इनसिड़
4.	क्षमता निर्माण, प्रषिक्षण और षिक्षा पर कार्यकारी दल (डब्ल्यू जी–सी बी टी ई)	अध्यक्ष, के.ज.आ. एवं इनसिड़
5.	जन संपर्क एवं प्रकाषन पर समिति	सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना), के.ज.आ.
6.	सिंचाई, जल निकास तथा बाढ़ नियंत्रण पर कार्यकारी दल (डब्ल्यू जी–एच आई एस टी)	मुख्य अभियंता (पोमियो), के.ज.आ.

- **वाटसेव पुरस्कार 2006**

सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना), केन्द्रीय जल आयोग, मुख्य अभियंता (आई एम ओ), केन्द्रीय जल आयोग और सी एम डी (वाप्कोस) वाली छानबीन एवं चयन समिति ने प्राप्त हुए नामांकनों की जांच की और आई सी आई डी वाट्सेव पुरस्कार, 2006 की 3 श्रेणियों मे से प्रत्येक के लिए एक नामांकन की सिफारिष की।

17.2.11 भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद (भा.कृ.एवं अनु.परि.)–केन्द्रीय जल आयोग संयुक्त पैनल

भा.कृ.एवं अनु.परि.–केन्द्रीय जल आयोग संयुक्त पैनल का गठन पहली बार मार्च, 1979 में तीन वर्षों की अवधि के लिए मुख्य रूप से प्रभावी जल उपयोग प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने तथा वृहत्, मध्यम, लघु और अन्य सिंचाई कार्यक्रमों के तहतषामिल क्षेत्रों में सिंचाई पर हुए निवेष से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु उपाय सुझाने की दृष्टि से भा.कृ.एवं अनु.परि. द्वारा किया गया था । पैनल के कार्यों में सिंचाई कमानों में पर्याप्त एवं प्रभावी कृषि अनुसंधान, षिक्षा और विस्तारीकरण सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है । प्रति इकाई जल से पैदावार को इष्टतम बनाने की दृष्टि से यह पैनल कृषि विष्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, केन्द्र एवं राज्य भू–जल संगठनों तथा अन्यों द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा करता है । तीन वर्षों की इसकी अवधि के समाप्त होने के पष्चात, इस पैनल को अब तक सात बार पुनर्गठित किया गया है । वर्तमान पैनल को सितम्बर, 2003 में पुनर्गठित किया गया था । महानिदेषक, भा.कृ.एवं अनु. परि. और अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एकान्तर वर्षों में इस पैनल के अध्यक्ष रहते हैं ।

केन्द्रीय जल आयोग – भा.कृ.अनु.परि. संयुक्त पैनल के कार्यक्रम के अन्तर्गत भा.कृ.अनु.परि., पूसा द्वारा 18.09.2006 को "कमान क्षेत्रों में दक्ष जल प्रबंधन" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। सदस्य (जल आयो. एवं परि.) ने तकनीकी सत्र–एक की अध्यक्षता की।

17.2.12 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)

केन्द्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में एक शीर्षस्थ तकनीकी निकाय होने के नाते भारतीय मानक ब्यूरो के जल संसाधन प्रभाग (डब्ल्यूआरडी) तथा सिविल इंजीनियरी प्रभाग (सीईडी) के कार्यकलापों में अपनी सहभागिता के माध्यम से जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन तथा इसके संबद्ध क्षेत्रों में मानकों का निरूपण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । वर्तमान में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन प्रभाग परिषद के अध्यक्ष हैं । सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान), मुख्य अभियंता (उ.प.एवं द.), सिविल इंजीनियरी प्रभाग परिषद (सीईडीसी) के मुख्य तथा वैकल्पिक सदस्य हैं । केन्द्रीय जल आयोग, डब्ल्यूआरडीसी के अंतर्गत सभी 18 सेक्शनल समितियों में शामिल है । सिविल इंजीनियरी प्रभाग के अंतर्गत कुल 41 सेक्शनल समितियों में से केन्द्रीय जल आयोग 9 सेक्शनल समितियों में शामिल है। डब्ल्यू.आर.डी. सी. की 18 सेक्शनल समितियां हैं और इनमें केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व निदेशक एवं उपनिदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों में भाग लिया गया:–

- छत पर वर्षा जल संचलन, जलविज्ञानीय उद्देश्यों के लिए बोर छिद्रों का भू–भौतिक अभिलेखन, नदी घाटी परियोजनाओं के भू–विज्ञानीय एवं भू–तकनीकी मानचित्र तैयार करने हेतु सिफारिशों,

भू–वैज्ञानिक पद्धतियों से भू–वैज्ञानिक अन्वेषण संबंधी 7 मसौदा भारतीय मानकों को अपनाने तथा मुद्रण हेतु अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग/डब्ल्यू.आर.डी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई।

- भारतीय मानक ब्यूरों से अनुरोध किए गए/प्राप्त मसौदा बी.आई.एस. मानकों को तैयार/जांच की गई।

- भारतीय मानक ब्यूरों की डब्ल्यू.आर.डी.–01 सेक्शनल समिति (हाइड्रोमीट्रिक सेक्शनल समिति) की बैठकें सामान्यतः अर्ध वार्षिक/वार्षिक आधार पर सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में होती हैं तथा बाद में अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

- आई.एस.ओ. के टी.सी.–113 के मसौदा आई.एस.ओ. मानक जब भी प्राप्त हुए, उनकी जांच की गई तथा टिप्पणियां भारतीय मानक ब्यूरों (आई.एस.ओ. कार्यों के लिए सचिवालय) को भेज दी गई।

- वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सेक्शनल समिति–01 के अन्तर्गत 5 भारतीय मानकों को अपनाने एवं मुद्रण हेतु अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग/डब्ल्यू.आर.डी.सी. द्वारा स्वीकृति दी गई और सेक्शनल समिति टी.सी.–113 के अन्तर्गत 3 मानकों की समीक्षा की गई।

- जल संसाधन परियोजनाओं में सीमेंट में फ्लाई एथ का प्रयोग करने की स्वीकृति संबंधी संशोधनों और सेक्शनल समिति डब्ल्यू.आर.डी.–08 के संबंध में 11 संशोधनों को भी मंजूरी दी गई।

- आई.एस.ओ. टी.सी./113 एवं इसकी उप–समिति की 17 से 21 मई, 2004 तक सुकुबा, जापान में हुई बैठक में मुख्य अभियंता (बी.पी.एम.ओ.), केन्द्रीय जल आयोग ने भाग लिया।

17.2.13 "अधिक फसल एवंज ल की प्रति बूंद से आय" संबंधी उप–समिति

माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भू–जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। परिषद की प्रथम बैठक 22 जुलाई, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री महोदय ने उल्लेख किया कि "हमें अपना जल उपयोग न्यूनतम करना होगा – विज्ञान एवं प्रौधिगिकी में निवेश करें ताकि हम कम जल द्वारा फसलें उगा सकें। दूसरे शब्दों में प्रति बूंद फसल उपयोगिता के रास्ते निकायों।" प्रधानमंत्री महोदय के सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु परिषद ने अपनी पहली बैठक में "अधिक फसल एवं जल की प्रति बूंद से आय" के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक उप–समिति का गठन किया। मुख्य अभियंता (आई.एम.ओ.), केन्द्रीय जल आयोग, इसके सदस्य–सचिव थे। उप–समिति में इनके अंतर्गत विभिन्न संबंधित मंत्रालयों एवं संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की दो बैठकें 9 एवं 20 सितम्बर, 2006 को हुई तथा इनकी रिपोर्ट माननीय मंत्री (जल संसाधन) को 2 अक्तूबर, 2006 को प्रस्तुत कर दी गई।

उप–समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय परियोजना संचालन समिति का गठन किया। मुख्य अभियंता (आई.एम.ओ.), केन्द्रीय जल आयोग इस संचालन समिति में केन्द्रीय जल आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति ने 05.02.2007 अपनी पहली बैठक में पी.ए.आर.पी. के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु फार्मेट को अंतिम रूप दिया और कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं परिचालन

करने हेतु परियोजना कार्यान्वयन दल (पी.आई.टी.) के तत्वाधान में एक लघु समूह गठित करने की सिफारिश की। यह दल मार्गदर्शिकाएं/फार्मेट तैयार करेगा, जिसमें साथ–ही–साथ विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ समझौते करना, निधि जारी करने की पद्धति, दो/तीन फसल मौसमों के लिए सीमित कार्यान्वयन हेतु समय–सीमा, प्रगति का प्रबोधन, पूर्णता रिपोर्टों की प्रस्तुति और पी.ए.आर.पी. का आर्थिक मूल्यांकन शामिल होगा।

जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों, भा.कृ.अनु.परि. अनुसंधान संस्थानों, सी.आर.आई.डी.ए.आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी., वाल्मीस, अभियांत्रिकी कॉलेजों और निजी क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थानों इत्यादि से पी.ए.आर.पी. संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त हुए प्रस्तावों का संचालन समिति द्वारा गठित परियोजना कार्यान्वयन दल (पी.आई.टी.) द्वारा पी.ए.आर.पी. में शामिल करने हेतु मूल्यांकन एवं चयन किया जाएगा।

अध्याय–अठारह
प्रचार एवं प्रकाशन

18.1 मुद्रण एवं प्रकाशन

प्रकाषन प्रभाग से संबंधित प्रेस ने केन्द्रीय जल आयोग तथा जल संसाधन मंत्रालय के प्रिंटिंग के विविध कार्य किए। वर्ष के दौरान लगभग 5400 पेजों को कम्पोज किया गया तथा विविध प्रकाशन/फार्मों की 1,12,900 प्रतियां छापी गई। वर्ष 2006–2007 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशनों/रिपोर्ट/पत्रिकाएं/पम्फ्लेट/फोल्डर्स का मुद्रण किया गया :

क्र.सं.	प्रकाषन/कार्य का नाम
1.	जल संसाधन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2005–06 (अंग्रेजी)
2.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन मार्च, 2006 (अंग्रेजी)
3.	भागीरथ (हिन्दी) जनवरी–मार्च, 2005
4.	सहायक निदेशकों का गोपनीय रिपोर्ट फार्म
5.	जल संसाधन की वार्षिक रिपोर्ट 2005–06 (हिन्दी)
6.	भागीरथ हिन्दी अप्रैल–जून, 2005 संख्या 2
7.	भागीरथ अंग्रेजी जनवरी–मार्च, 2005 संख्या 1
8.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन खण्ड–1, सं. 3, मार्च, 2006 (हिन्दी)
9.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन (अंग्रेजी) खण्ड–8, सं. 4, अप्रैल, 2006
10.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन (हिन्दी) खण्ड–8, सं. 4ए, अप्रैल, 2006
11.	नदी घाटी परियोजनाओं संबंधी राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन समिति, वार्षिक रिपोर्ट 2003–04 (अंग्रेजी)
12.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन मई, 2006
13.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन मई, 2006 (हिन्दी)
14.	भागीरथ (हिन्दी) राजभाषा विशेषांक 2005
15.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन जून, 2006 (अंग्रेजी)
16.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन जून, 2006 (हिन्दी)
17.	वास्तविक समय एकीकृत जलाशय प्रचालन
18.	भागीरथ (हिन्दी) जुलाई–दिसम्बर, 2005 – (मूल–विषय वस्तु)
19.	भागीरथ (अंग्रेजी) जुलाई–दिसम्बर, 2005 आवरण (मूल–विषय का मुद्रण होना है)
20.	आवरण, भागीरथ (हिन्दी), जुलाई–दिसम्बर, 2005
21.	भागीरथ (अंग्रेजी) जनवरी–मार्च, 2006 संस्करण–आवरण
22.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन 8 जुलाई, 2006 (हिन्दी)
23.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन 8 जुलाई, 2006 (अंग्रेजी)
24.	भागीरथ (अंग्रेजी) जुलाई–दिसम्बर, 2005
25.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन अगस्त, 2006 (हिन्दी)
26.	भागीरथ (हिन्दी) जनवरी–मार्च, 2006
27.	भागीरथ (हिन्दी) अप्रैल–जून, 2006
28.	भागीरथ (अंग्रेजी) जनवरी–मार्च, 2006, मूल–विषय वस्तु
29.	केन्द्रीय जल आयोग प्रशासनिक न्यूज बुलेटिन सितम्बर, 2006 (हिन्दी)
30.	भागीरथ (अंग्रेजी) अप्रैल–जून, 2006, मूल विषय

18.2 माइक्रोफिल्म बनाना

भविष्य के संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण आलेखनों तथा अन्य प्रलेखों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से तकनीकी प्रलेखन निदेशालय का माइक्रोफिल्म एकक उचित सूचकांक तथा कोड़ देकर प्रलेखों को माइक्रोफिल्म में रिकार्ड करता है । वर्ष 2006–2007 के दौरान, लगभग 1165 इंजीनियरी आरेखों/प्रलेखों को माइक्रोफिल्म में रिकार्ड किया गया ।

18.3 पत्रिकाएं

केन्द्रीय जल आयोग का तकनीकी प्रलेखन निदेशालय जल संसाधन विकास के क्षेत्र में विभिन्न तकनीकी तथा अर्ध–तकनीकी पत्रिकाएं एवं प्रकाशन प्रकाशित करता है। भगीरथ जो कि एक त्रैमासिक, अर्ध–तकनीकी पत्रिका है, वर्ष के दौरान अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में अलग–अलग प्रकाशित होती है । इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान मासिक आधार पर प्रशासनिक समाचार बुलेटिन भी प्रकाशित किया गया ।

18.4 एजो प्रिंट

तकनीकी प्रलेखन निदेशालय के फैरो प्रिंटिंग एककों में केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय के विभिन्न निदेशालयों से संबंधित आरेखों/अभिलेखों के अनुरेखणों से लगभग 9440 एजो प्रिंट विकसित किए गए।

18.5 तकनीकी प्रकाषन

"कावेरी बेसिन में जल संसाधन विकास–ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति और भावी रूप–रेखा" नामक एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

18.6 प्रचार तथा जन–जागरूकता

जल पर प्रचार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित/तैयार किए गए। इस संबंध में जल संरक्षण पर केन्द्रित विभिन्न विषयों पर पम्फ्लेट तैयार किए गए और इन्हें विभिन्न प्रदर्शनियों में वितरित किया गया। मीडिया प्लान गतिविधियों के अन्तर्गत, जल संबंधी नारे/लेख इत्यादि तैयार किए गए और केन्द्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय की मीडिया समिति को प्रस्तुत किए गए। विश्व जल दिवस 2007 के लिए दो पत्र नामशः अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा थीम पेपर की प्रस्तावना तथा दूसरा प्रो. आर. रंगाचारी द्वारा डॉ. कंवर सेन मेमोरियल लेक्चर संबंधी पत्र परिचालन हेतु प्रकाशित किए गए। जल वर्ष 2007 लोगों को सरकारी स्टेशनरी, स्लिप–पेडों इत्यादि पर मुद्रित करने हेतु भी आवश्यक कदम उठाए गए।

18.6.1 जल संसाधन मंत्रालय का मीडिया प्लॉन 2005–06

जल संसाधन मंत्रालय के मीडिया प्लॉन 2006–07 के अनुसार, जल संसाधन मंत्रालय के अन्य विभागों के साथ केन्द्रीय जल आयोग ने निम्नलिखित प्रदर्षनियों में भाग लिया।

- दिनांक 02.11.2006 से 04.11.2006 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में सातवां जल एषिया–2005।

- 14.11.2005 से 27.11.2005 तक प्रगति मैदान दिल्ली में आई आई टी एफ 2006।
- 21.2.2007 से 25.02.2007 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में कृषि एक्सपो।
- त्रिचुर (केरल) में त्रिचुरपूरम प्रदर्शनी–06 तथा प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

18.6.2 इंजीनियरी संग्रहालय

केंद्रीय जल आयोग का एक इंजीनियरी संग्रहालय बी–5, कालिन्दी भवन, कुतुब इंस्टीट्यूषनल क्षेत्र, नई दिल्ली–16 में स्थित है। यह देष में जल संसाधन विकास के लिए पूर्णतः समर्पित है। देष में जल संसाधन के क्षेत्र में विकास के विभिन्न पक्षों को स्वतः स्पष्ट गतिषील मॉडलों के माध्यम से दर्षाया गया है। संग्रहालय में भारी संख्या में दर्षक आते हैं जिनमें छात्र, व्यवसायिक तथा सभी क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल हैं।